Coastal Aquaculture Authority

Compendium of Act, Rules, Guidelines and Notifications





Coastal Aquaculture Authority (Government of India) Chennai - 600 006, India



Coastal Aquaculture Authority

Compendium of Act, Rules, Guidelines and Notifications






The copyright of this publication is vested with the Coastal Aquaculture Authority. Reproduction of this publication is permitted only for educational, research and non-profit purposes. For bibliographic purpose, this publication should be cited as Coastal Aquaculture Authority - Compendium of Act, Rules, Guidelines and Notifications (2006), page 132.

ISBN 81-901701-0-5

First Reprint

September 2006



Coastal Aquaculture Authority

Shastri Bhawan Annexure Chennai - 600 006

Foreword

Civilization started on the riverbanks. Human settlements increased on the coastal areas due to economic and various other reasons. Increase in population increased the demand for coastal resources. Interests of various groups of stake holders have led to conflicts, unsustainable resource-use and degradation of eco-systems, which resulted in social and environmental impacts.

In December 1996, the Supreme Court had to step in to protect the coastal environment, and to control the indiscriminate growth of shrimp farms. That resulted in setting up of the Aquaculture Authority in 1997. The Parliament in 2005 passed the Coastal Aquaculture Authority Act (Act 24 of 2005) and Central Government has framed the Rules and Guidelines to improve the productivity under sustained conditions.

The Central Government has established the Coastal Aquaculture Authority, with its head quarters at Chennai. The Act enables the Central Government to regulate coastal aquaculture and to ensure sustained increase in the aquaculture products.

The Act has to be implemented effectively in order to protect the environment while increasing the production. Persons running aquaculture farms must abide by the provisions of the Act, Rules, Regulations and the Guidelines. Running coastal aquaculture farms without registration is now a criminal offence.

This compendium contains the Coastal Aquaculture Authority Act and the Rules and Guidelines framed by the Central Government, which provide sound management norms for adoption by the aquaculture farmers. This would serve as a ready reckoner for coastal aquaculture farmers, fisheries, administrators and policymakers, scientists and research scholars and all those concerned with sustainable development of coastal aquaculture in this country.

Chennai, 30 September 2006

(Justice A K Rajan)

her-

Dr Yugraj Singh Yadava Member Secretary

Coastal Aquaculture Authority

Shastri Bhawan Annexure Chennai - 600 006

Preface

Coastal aquaculture has provoked much impassioned debate during the last decade. Unsustainable practices by shrimp farmers in some coastal areas of the world have caused both social and environmental harm. On the other hand, sustainable aquaculture practices can not merely increase fish production, but also create jobs and incomes for the coastal poor, and help strengthen global food and nutritional security.

Aquaculture has been contributing more and more to total fish production. The contribution is likely to rise further. The spectrum of fin and shellfish as culture species is broadening. Hatchery and grow-out technologies are getting better. Good management practices are lowering social and environmental impact. These trends are making aquaculture an ideal source of fin and shellfish production to meet the growing demand of a rising population. Further, when developed sustainably, coastal aquaculture can offset the fall in supply from marine capture fisheries and help conserve wild fish stocks.

In India, the 8100 km-plus coastline and the vast areas adjacent to estuaries, backwaters and lagoons provide enormous opportunities for aquaculture. The favourable climate further supports aquaculture as a year-round activity. On the basis of remote sensing imageries validated by ground truthing, an area of approximately 1.2 to 1.4 million hectares is available for brackish water aquaculture in India. However, present utilization is restricted to about 150 000 ha; more than 50 percent of the utilized areas is in a single state, Andhra Pradesh. Coastal aquaculture in India lacks diversity too; a single species, *penaeus monodon* or tiger shrimp, constitutes almost the entire crop.

The Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, encompasses the farming of shrimp, prawn, fish or any other aquatic life under controlled conditions in ponds, pens, enclosures or any other brackish water bodies, but excludes fresh water aquaculture. Under the provisions of the Act, coastal areas include areas of land within a distance of two kilometers from the High Tide Line of seas, rivers, creeks and backwaters. The Act is expected to give an impetus to sustainable development of aquaculture and to an environment conducive for species diversification.

The Compendium contains Hindi and English versions of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005 (including Guidelines) and all other notifications brought out by the Central Government on

the subject until 30 September 2006. The electronic version of the Compendium is available on the website (www.http://aquaculture.tn.nic.in) of the Coastal Aquaculture Authority and copies can be downloaded.

The Compendium is meant to disseminate information on coastal aquaculture laws, and on good management practices that can lead to sustainable farming practices. The Guidelines comprehensively address good management practices in shrimp farming and provide advice on site selecion, pond preparation, soil and water quality management, inputs such as seed and feed, harvesting and wastewater management, health, management of shrimps, etc. The Guidelines also contain a list of the banned antibiotics and other pharmacologically active compounds and standards for treatment of wastewater, etc.

We will strive to update this Compendium from time to time. It will incude any modifications in the law. The guidelines will be expanded. They will include good management practices on more fin and shellfish species as and when they enter the coastal aquaculture spectrum.

Chennai, 30 September 2006

(Yugraj Singh Yadava)

Contents

1.0	Coastal Aquaculture Authority Act, 2005
2.0	Coastal Aquaculture Authority Act, 2005
3.0	Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005
4.0	Guidelines (Hindi version)
5.0	Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005
6.0	Guidelines (English version)
7.0	Notification - S.O. 1771 (E) dated 16 December 2005
8.0	Notification - S.O. 1803 (E) dated 22 December 2005
9.0	Notification - S.O. 74 (E) dated 23 January 2006
10.0	Notification - S.O. 1359(E) dated 25 August 2006

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005



भारत के राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 1 PART II - Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] No. 27] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 23,2005/ आषाढ़ 2, 1927 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 23, 2005/ASADHA 2, 1927

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005

सं० 2005 का 24 धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

पारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
- 2. परिभाषाएं।

अध्याय 2

केन्द्रीय सरकार की साधारण शक्तियां

3. पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए उपाय करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां।

अध्याय 3

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

- प्राधिकरण की स्थापना और अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति।
- 5. सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं।
- 6. पुनर्नियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता।
- 7. प्राधिकरण के अधिवेशन।
- 8. प्राधिकरण में रिक्ति से कार्यवाही का अविधिमान्य न होना।
- 9. प्राधिकरण के अधिकारियों, परामर्शियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।
- 10. प्राधिकरण के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण।

अध्याय 4

प्राधिकारण की शक्तियां और कृत्य

- 11. प्राधिकरण के कृत्य।
- 12. प्रवेश करने की शक्ति।
- 13. तटीय जलकृषि के लिए रजिस्ट्रीकरण।
- 14. रजिस्ट्रीकरण के बिना तटीय जलकृषि करने के लिए दंड।
- 15. अपराध का संज्ञान।

अध्याय 5 वित्त, लेखा और संपरीक्षा

- 16. प्राधिकरण को संदाय।
- 17. प्राधिकरण की निधि।
- 18. बजट।
- 19. वार्षिक रिपोर्ट।
- 20. लेखा और संपरीक्षा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

- 21. प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों आदि का लोकसेवक होना।
- 22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
- 23. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
- 24. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
- 25. प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति।
- 26. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।
- 27. विधिमान्यकरण।
 - 2.(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "प्रधिकरण" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- 2.(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "प्रधिकरण" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(दि कोस्टल एक्वाकल्चर अथारिटी एक्ट, **2005** का हिन्दी अनुवाद) तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, **2005**

तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि से संबंधित क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय **1** प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 है।
- 5 (2) धारा 27 के उपबंध तुरंत प्रवृत्त होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं :

- (ख) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ग) "तटीय जलकृषि" से तटीय क्षेत्रों में, तालों, बाड़ों और अहातों में या अन्यथा नियंत्रित दशाओं के अधीन लवणीय या खारे जल में श्रिम्प (चिंगर), झींगा, मछली या किसी अन्य जलीय जीव का पालन करना अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत ताजा जल में जलकृषि नहीं है;

5

10

- (घ) "तटीय क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 114 (अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 में तत्समय तट विनियमन जोन के रूप में घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसा अन्य क्षेत्र भी है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;
- (ङ) "सदस्य" से धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्य-सचिव भी है;
- (च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

- (छ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम 15 अभिप्रेत हैं।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

1986 का 29

अध्याय 2

केन्द्रीय सरकार की साधारण शक्तियां

20

पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए उपाय करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां। 3. केन्द्रीय सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तटीय जलकृषि से तटीय पर्यावरण का कोई अहित कारित नहीं होगा, मार्ग दर्शक सिद्धांत विहित करके तटीय जलकृषि के विनियमन के लिए ऐसे सभी उपाय करेगी जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे और मार्गदर्शक सिद्धांतों में अंतर्विष्ट उत्तरदायी तटीय जलकृषि की संकल्पना का तटीय क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की जीविका का संरक्षण करने के लिए तटीय जलकृषि क्रियाकलापों को विनियमित करने में अनुसरण किया जाएगा।

25

35

अध्याय **3** तटीय जलकृषि प्राधिकरण

प्राधिकरण की स्थापना और अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति।

- 4.(1) ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में आधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम केप्रयोजनों केलिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण केनाम केएक प्राधिकरण की स्थापना की जाएंगी।
 - (2) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे केन्द्रीय सरकार विनिश्चित 30 करे ।
- (3) प्राधिकरण निम्नलिखित ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :-
 - (क) अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है ;
 - (ख) एक सदस्य, जो तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो;
- (ग) एक सदस्य, जो तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, जिसे केन्द्रीय सरकार के समुद्र विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;
- (घ) एक सदस्य, जो पर्यावरण संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, जिसे केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;
 - (ङ) केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय का प्रातिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य;

- (च) केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य:
- (छ) तटीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार सदस्य चक्रानुक्रम के आधार पर:
- (ज) एस सदस्य-सचिव।
- (4) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य की पदावधि तीन वर्ष की होगी।
- 5 (5) सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।
 - 5. कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा यदि वह –

में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं।

- (क) किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्विलत है, सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है: या
 - (ख) अनुन्माचित दिवालिया है; या

10

- (ग) विकृतचित का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या
- (घ) सरकार की या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है; या
- 15 (ड) केन्द्रीय सरकार की राय में, प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे सदस्य के रुप में उसके द्वारा उसके कृत्यों का निर्वहन करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

पुनर्नियुक्ति के

- 6. धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जो सदस्य नहीं रहा है, ऐसे सदस्य के रूप में दो क्रमवर्ती पदाविधयों से अनिधक के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- 20 7. (1) प्राधिकरण ऐसे समयों और स्थानों पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में, (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है), प्रक्रिया के प्राधिकरण के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए।

अधिवेशन ।

(2) यदि किसी कारण से, अध्यक्ष प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो प्राधिकरण के किसी अधिवेशन के समक्ष आएं, विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

25

5

10

8. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि –

प्राधिकरण रिक्ति से कार्यवाही का अविधिमान्य न होना।

- (क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या
- (ख) प्राधिकरण के सदस्य के रुप में कार्यरत किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या
- (ग) प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जिससे मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
 - 9. (1) प्राधिकरण, अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को जो वह ठीक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

प्राधिकरण के अधिकारियों, परामर्शियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

- (2) प्राधिकरण, समय-समय पर, किसी ऐसे व्यक्ति को सलाहकार या परामर्शी के रूप में उने जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियक्त कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।
 - 10. प्राधिकरण के सभी आदेश, विनिश्चय और लिखित अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

प्राधिकरण के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण।

अध्याय **4** प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

- 11. (1) धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्ही मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्राधिकरण के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, कृत्य। अर्थात्:-
 - (क) तटीय क्षेत्रों के भीतर जलकृषि फार्मों के सन्निर्माण और प्रचालन के लिए विनियम बनाना;
 - (ख) जलकृषि फार्मों का, तटीय जलकृषि द्वारा कारित उनके पर्यावरणीय प्रभाव को अभिनिश्चित करने की दृष्टि से, निरीक्षण करना;
 - (ग) तटीय जलकृषि फार्मों को रजिस्टर करना;
- (घ) ऐसे किन्हीं तटीय जलकृषि फार्मों को, जो प्रदूषण कारित कर रहे हैं, फार्म के अधिभोगी को सुनने के पश्चात् हटाने या ढा देने का आदेश देना; और
 - (ड़) ऐसे अन्य कृत्य करना जो विहित किए जाएं।

13

(2) जहां प्राधिकरण, उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन किसी तटीय जलकृषि फार्म को हटाने या ढा देने का आदेश देता है वहां उक्त फार्म के कर्मकार को ऐसे प्रतिकार का संदाय किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक व्यक्ति वाले प्राधिकारी के माध्यम से कर्मकारों और प्रबंध-मंडल के बीच तय किया जाए और ऐसा प्राधिकारी ऐसे प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियों का, जो विहित की जाएं, प्रयोग कर सकेगा।	15
12. इस निमित्त बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेषतया प्राधिकृत्त कोई व्यक्ति, जहां कहीं इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, सभी युक्तियुक्त समयों पर, किसी तटीय जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या अहाते में प्रवेश कर सकेगा, और,– (क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकण या जांच कर सकेगा;	20
(य) उसमें की किसी संरचना को हटा सकेगा या ढा सकेगा; (ग) ऐसे अन्य कार्य या बात कर सकेगा जो विहित की जाए: परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, किसी तटीय जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या अहाते में प्रवेश ऐसी जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या अहाते के अधिभोगी को कम से कम चौबीस घंटे पूर्व ऐसा करने के अपने आशय की लिखित रूप में सूचना दिए बिना नहीं करेगा।	25
13. (1) इस धारा में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति तटीय क्षेत्र में तटीय जलकृषि या ऐसे परंपरागत तटीय जलकृषि फार्म में, जो उपधारा (9) में निर्दिष्ट तट विनियमन जोन के अंदर पड़ता है और नियत दिन को जिसका उपयोग तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है, परंपरागत तटीय जलकृषि तब तक नहीं करेगा या नहीं कराएगा जब तक कि उसने अपने फार्म को, यथास्थिति, उपधारा (5) के अधीन या उपधारा (9) के अनुसरण में प्राधिकरण के पास रजिस्टर न कराया हो।	30
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पहले तटीय जलकृषि में लगा हुआ है, उस दिन से तीन मास की अवधि तक ऐसे रजिस्ट्रीकरण के बिना, और यदि वह तीन पास की उक्त अवधि के भीतर उपधारा (4) के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है तो प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवेदन के निपटारे की उसे संसूचना तक ऐसा क्रियाकलाप करता रह सकेगा। (3) उपधारा (5) के अधीन या उपधारा (9) के अनुसरण में किया गया रजिस्ट्रीकरण-	35
(क) पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा; (ख) समय–समय पर उतनी ही अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा; (ग) ऐसे प्ररुप में होगा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा जो विनियमों द्वारा विनिर्देष्ट की	40

प्रवेश करने की शक्ति ।

तटीय जलकृषि के लिए रजिस्ट्रीकरण।

जाएं।

- (4) कोई व्यक्ति, जो तटीय जलकृषि करने का आशय रखता है, प्राधिकरण के समक्ष अपने फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में करेगा और जिसके साथ ऐसी फीस होगी, जो उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए विहित की जाए।
- (5) प्राधिकरण, उपधारा (4) के अधीन फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, उस आवेदन पर विहित रीति से विचार करेगा और आवेदन पर विचार करने के पश्चात् या तो फार्म को रजिस्टर करेगा या आवेदन को नामंजूर कर देगाः

परंतु प्राधिकरण आवेदन को, ऐसी नामंजूरी के कारणों को लेखबद्ध किए बिना नामंजूर नहीं करेगा।

- (6) प्राधिकरण, उपधारा (5) के अधीन फार्म को रजिस्टर करने के पश्चात्, उस व्यक्ति को, जिसने ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- (7) ऐसे फार्म की दशा में जिसमें दो हेक्ट्रेयर से अधिक जलमन क्षेत्र समाविष्ट है, तटीय जलकृषि से संबंधित कोई क्रियाकलाप प्रारंभ करने के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई आवेदन उपधारा (5) के अधीन तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि प्राधिकरण का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे फार्म का रजिस्ट्रीकरण तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होगा।
 - (8) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, -
 - (क) कोई भी तटीय जलकृषि उच्च ज्वार सीमाओं से दो सौ मीटर के अंदर नहीं की जाएगी; और

(ख) कोई भी तटीय जलकृषि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन तत्समय घोषित तट विनियमन जोन के अंदर संकरी खाड़ियों, नदियों और अप्रवाही जलों में नहीं की जाएगी:

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे तटीय जलकृषि फार्म की दशा में, जो नियत दिन को विद्यमान है और सरकार के या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित या उसके द्वारा संचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित गैर वाणिज्यिक और प्रयोगात्मक तटीय जलकृषि फार्म को लागू नहीं होगी:

परंतु यह और कि प्राधिकरण, पहले परंतुक के अधीन छूट प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, समय समय पर तटीय जलकृषि फार्मों की विद्यमानता और उसके क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और इस धारा के उपबंध ऐसे पुनर्विलोकन को ध्यान में रखते हुए तटीय जलकृषि फार्मों को लागू होंगे।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "उच्च ज्वार सीमा" से भूमि पर ऐसी सीमा अभिप्रेत है जिस तक बहुत ज्वार के दौरान उच्चतम जल लहरें पहुंचती है।

15

5

1986 का 29 ı

20

25

(9) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी ऐसा परंपरागत तटीय कृषि फार्म जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग) की अधिसूचना संक्या काoआo114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 द्वारा घोषित तट विनियमन जोन के अंदर पड़ता है और जिसका उपयोग नियत दिन को तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है, प्राधिकरण के समक्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो ऐसे फार्म का स्वामी है, ऐसे स्वामित्व का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके उपधारा (5) के अधीन रजिस्टर किया जाएगा जिसके न हो सकने पर ऐसे फार्म को उपधारा (5) के अधीन रजिस्टर नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् ऐसे फार्म का एक वर्ष के भीतर तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं करता है तो प्राधिकरण द्वारा उसका रजिस्ट्रीकरण रद्ध कर दिया जाएगा।

30

35

5

10

- (10) ऐसा व्यक्ति जिसका आशय उपधारा (5) के अधीन या उपधारा (9) के अनुसरण में किए गए फार्म के रजिस्ट्रकरण को नवीकृत कराने का है, प्राधिकरण को ऐसे रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से पूर्व दो मास के भीतर विहित प्ररुप के विहित फीस के साथ आवेदन कर सकेगा और प्राधिकरण, ऐसे आवेदन को प्राप्त करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करेगा और उस प्रयोजन के लिए उपधारा (6) के अधीन जारी किए गए ऐसे फार्म से संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर अपनी मुद्रा सहित प्रविष्टि करेगा।
- (11) यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका ऐसे रिजस्ट्रीकरण किया गया था, ऐसे फार्म का तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग करने में असफल रहा है या उसने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना इस अधिनियम, असके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का या धारा 11 के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अतिक्रमण किया है तो प्राधिकरण उपधारा (10) के अधीन फार्म के रिजस्ट्रीकरण को नवीकृत करने से इंकार कर सकेगाः

परंतु ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करने से इंकार नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 – इस धारा के प्रयोजनों के लिए "नियत दिन" से प्राधिकरण की स्थापना की तारीख अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2 – शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (10) और उपधारा (11) में प्रयुक्त, "रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करना" पद का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण को और नवीकृत करना है।

- 14. यदि कोई व्यक्ति धारा 13 की उपधारा (1) के उल्लंघन में कोई तटीय जलकृषि या रिजस्ट्रीकरण परंपरागत तटीय जलकृषि करेगा या तटीय जलकृषि या परंपरागत तटीय जलकृषि कराएगा तो वह जलकृषि करने कारावास से जिसकी अविध तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का के लिए दंड। हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा।
- 15. कोई भी न्यायालय धारा 14 के अधीन अपराध का संज्ञान प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त अपराध का प्रधिकृत उसके अधिकारी द्वारा फाइल किए गए लिखित परिवाद के बिना नहीं करेगा।

20

25

30

35

प्राधिकरण को संदाय। 16. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के क्रत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझी जाए।

प्राधिकरण की निधि ।

- 17. (1) प्राधिकरण की अपनी निधि होगी और ऐसी सभी धनराशियां, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर संदत्त की जाएं तथा प्राधिकरण की सभी प्राप्तियां (जिनके अंतर्गत कोई ऐसी धनराशि भी है जो कोई राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति प्राधिकरण को सौंपे) उक्त निधि में जमा की जाएंगी और प्राधिकरण द्वारा सभी संदाय उसमें से किए जाएंगे।
- (2) निधि के सभी धन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए ऐसे बैंकों में जमा किए जाएंगे या ऐसी रीति से विनिहित किए जाएंगे जो प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की जाए।
- (3) प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए उतनी धनराशि व्यय कर संक्रेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी धनराशि को प्राधिकरण की निधि में से संदेय व्यय माना जाएगा।

बजट ।

18. प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाएगा, बजट तैयार करेगा, जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जाएंगे और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी।

वार्षिक रिपोर्ट।

- 19. प्राधिकरण प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्व वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सही और पूरा विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।
- 20. (1) प्राधिकरण, अपने लेखाओं के संबंध में ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित की जाए, लेखा बहियां और अन्य बहियां रखवाएगा।

लेखा और संपरीक्षा।

- (2) प्राधिकरण, अपने वार्षिक लेखे बंद करने के पश्चात् यथाशीघ्र, ऐसे प्ररूप में एक विवरण तैयार करेगा और उसे ऐसी तारीख तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भेजेगा.जो केन्द्रीय सरकार. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से अवधारित करे।
- (3) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे समय पर और ऐसी रीति से की जाएगी जो वह ठीक समझे।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरण के लेखे. उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

5

20

25

अध्याय 6 प्रकीर्ण

21. प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य तथा अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दंड प्राधिकरण के 1860 का 45। संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, अधि - कारियों और अन्य कर्मचारियों आदि का लोक सेवक होना।

सदभावपूर्वक की गई

कार्रवाई के

- 22. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी विनियम या नियम या किए गए किसी 10 आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशायित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों लिए संरक्षण । के विरुद्ध या अध्यक्ष या अन्य सदस्यों द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।
- 23. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न कठिनाइयों को 15 होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर संकेगी जो इस ^{दूर} ^{करने की} अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
- 24. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
 - (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे केन्द्रीय सरकार नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-
 - (क) धारा 3 के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांत;
- (ख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें:

- (ग) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड के अधीन प्राधिकरण के अन्य कृत्य;
- (घ) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां;
- 30 (इ) वे नियम जिनके अधीन रहते हुए, धारा 12 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उस धारा के अधीन किसी तटीय जलकृषि भूमि,ताल, बाड़े या अहाते में प्रवेश कर सकेगा;
 - (च) धारा 12 के खंड (ग) के अधीन अन्य कार्य और बातें;
 - (छ) धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन का प्ररूप और उसके साथ दी जाने वाली फीस;
 - (ज) धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन आवेदन पर विचार करने की रीति;
 - (झ) धारा 13 की उपधारा (6) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररुप;
 - (ञ) धारा 13 की उपधारा (10) के अधीन आवेदन का प्ररूप और उसके साथ दी जाने वाली फीस
 - (ट) धारा 18 के अधीन बजट तैयार करने का प्ररूप और समय;

5

- (ठ) धारा 19 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय;
- (ड) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के लेखाओं के संबंध में रखी जाने वाली लेका बहियां और अन्य बहियां तथा ऐसी लेका बहियों और अन्य बहियों का प्ररूप और उन्हें बनाए रखने की रीति; और
- (ढ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति।

35

- 25. (1) प्राधिकरण, साधारणतया इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के 10 प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात:-
 - (क) धारा **7** की उपधारा **(1)** के अधीन प्राधिकरण के अधिवेशनों के समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के लिए (उसके लिए गणपूर्ति सहित) अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
 - (ख) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें;

- (ग) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन सलाहकार या परामर्शी की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें:
- 20

25

30

35

5

10

- (घ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन तटीय क्षेत्रों के भीतर तटीय जलकृषि फार्मों का संनिर्माण और प्रचालन;
- (ड़) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन रिजस्ट्रीकरण का प्ररुप और शर्तै:
 - (च) साधारणतया तटीय जलकृषि का बेहतर विनियमन।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना। 26. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अविध के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमंत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विधिमान्यकरण।

- 27. (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) में या पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग) की तारीख 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना संवकावआठ 114(अ) में (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) पैरा 2 के उपपैरा (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा और वह सदैव 19 फरवरी, 1991 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थातः—
 - "(xiv) इस पैरा में अंतर्विष्ट कोई बात तटीय जलकृषि को लागू नहीं होगी।"।
- (2) उक्त अधिसूचना सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रभावी होगी और सदैव ऐसे प्रभावी समझी जाएगी मानो इस धारा के पूर्वगामी उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे और तद्नुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कोई तटीय जलकृषि जो की गई थी या हाथ में ली गई थी अथवा जिसका किया जाना या हाथ में लिया जाना तात्पर्यित है उक्त अधिसूचना के उल्लंघन में नहीं समझी जाएगी और सभी प्रयोजनों के लिए विधि के अनुसार ऐसे की गई और सदैव की जा रही समझी जाएगी मानो इस धारा के पूर्वगामी उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे और पूर्वोक्त रुप में किसी बात के होते हुए

भी पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई डिक्री या आदेश देने वाले न्यायालय द्वारा किसी तटीय जलकृषि संबंधी क्रियाकलाप को हटाने या बंद करने का अथवा तद्धीन संबंधित किसी संरचना को ढा देने का, जिसको, यदि इस धारा के पूर्वगामी उपबंध उन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहे होते तो हटाए जाने, बंद किए जाने या ढा दिए जाने की इस प्रकार आवश्यकता नहीं होती, निदेश देते हुए दिए गए किसी निदेश के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी।

The Coastal Aquaculture Autho	ority Act, 2005



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 1 PART II - Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] No. 27]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 23rd June, 2005/Asadha 2, 1927 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 23rd June, 2005, and is hereby published for general information:-

THE COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY ACT, 2005 No. 24 of 2005

[23rd June, 2005]

An Act to provide for the establishment of a Coastal Aquaculture Authority for regulating the activities connected with coastal aquaculture in the coastal areas and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER 1

PRELIMINARY

- **1.** (1) This Act may be called the Coastal Aquaculture Authority Short title and Act, 2005.
- (2) Provisions of section 27 shall come into force at once and the remaining provisions of this Act shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
 - **2.** (1) In this Act, unless the context otherwise requires, Definitions.
- (a) "Authority" means the Coastal Aquaculture Authority established under sub-section (1) of section 4;
 - (b) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;
 - (c) "coastal aquaculture" means culturing, under controlled conditions in ponds, pens, enclosures or otherwise, in coastal areas, of shrimp, prawn, fish or any other aquatic life in saline or brackish water; but does not include fresh water aquaculture;
 - (d) "coastal area" means the area declared as the Coastal Regulation Zone, for the time being, in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife) No. S.O. 114(E), dated the 19th February, 1991 and includes such other area as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify;
 - (e) "member" means the member of the Authority appointed under sub-section (3) of section 4 and includes the Chairperson and the member-secretary;
 - (f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
 - (g) "regulations" means the regulations made by the Authority under this Act.
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the 29 of 1986. Environment (Protection) Act, 1986 shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER II

GENERAL POWERS OF CENTRAL GOVERNMENT

Powers of Central Government to take measures to protect environment.

3. The central government shall take all such measures as it deems necessary or expedient for regulation of coastal aquaculture by prescribing guidelines, to ensure that coastal aquaculture does not cause any detriment to the coastal environment and the concept of responsible coastal aquaculture contained in such guidelines shall be followed in regulating the coastal aquaculture activities to protect the livelihood of various sections of the people living in the coastal areas.

CHAPTER III

THE COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Establishment of Authority and appointment of Chairperson and members.

- **4.** (1) With effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, there shall be established for the purpose of this Act an Authority to be called the Coastal Aquaculture Authority.
- (2) The head office of the Authority shall be at such place as the Central Government may decide.
- (3) The Authority shall consist of the following members who shall be appointed by the Central Government, namely:-
 - (a) the Chairperson who is, or has been, a Judge of a High Court;
 - (b) one member who is an expert in the field of coastal aquaculture;
- (c) one member who is an expert in the field of coastal ecology nominated by the Department of Ocean Development of the Central Government:
- (d) one member who is expert in the field of environment protection or pollution control nominated by the Ministry of Environment and Forests of the Central Government;
- (e) one member to represent the Ministry of Agriculture of the Central Government;
- (f) one member to represent the Ministry of Commerce of the Central Government;
 - (g) four members to represent the coastal States on rotation basis;

- (h) one member-secretary.
- (4) The term of office of the Chairperson and every other member shall be three years
- (5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the members shall be such as may be prescribed.
 - 5. A person shall be disqualified for being appointed as a member if he- Disqualifica-

tion(s) for as member.

- (a) has been convicted and sentenced to imprisonment for appointment an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or
 - (b) is an undischarged insolvent; or
- (c) is of unsound mind and stand so declared by a competent court; or
- (d) has been removed or dismissed from the service of the Government or a Corporation owned or controlled by the Government: or
- (e) has, in the opinion of the Central Government, such financial or other interest in the Authority as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a member.
- **6.** Subject to sub-section (5) of section 4, any person ceasing to be a Eligibility of member shall be eligible for reappointment as such member for not more than two consecutive terms.

member for reappointment.

7. (1) The Authority shall meet at such times and places and shall observe such rules or procedure in regard to the transaction of business at its meetings (including the quorum thereat) as may be specified by regulations.

Meetings of Authority.

- (2) If for any reason the Chairperson is unable to attend any meeting of the Authority any other member chosen by the members present at the meeting shall preside at the meeting.
- (3) All questions which come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson or in his absence the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.

8. No act or proceeding of the Authority shall be invalidated merely by reason of -

Vacancy in Authority not to invalidate proceeding.

- (a) Any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Authority; or
- (b) any defect in the appointment of a person acting as member of the Authority; or
- (c) any irregularity in the procedure adopted by the Authority not affecting the merits of the case.
- **9.** (1) For the purposes of discharging its functions, the Authority shall Appointment of appoint such number of officers and other employees as it may consider necessary on such terms and conditions as may be specified by the regulations. other employees

officers, consultants and of Authority.

- (2) The Authority may appoint, from time to time, any person as adviser or consultant as it may consider necessary on such terms and conditions as may be specified by the regulations.
- 10. All orders, decision and other instruments of the Authority shall be Authentication of authenticated under the Signature of the Chairperson or any other member or any officer of the Authority authorised by the Chairperson in this behalf.

orders and other instruments of Authority.

CHAPTER IV

Powers and functions of authority

Functions of Authority.

- 11. (1) Subject to any guidelines issued by the Central Government under section 3, the Authority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-
- (a) to make regulations for the construction and operation of aquaculture farms within the coastal areas;
 - (b) to inspect coastal aquaculture farms with a view to ascertaining their environmental impact caused by coastal aquaculture;
 - (c) to register coastal aquaculture farms;
 - (d) to order removal or demolition of any coastal aquaculture farms which is causing pollution after hearing the occupier of the farm; and
 - (e) to perform such other functions as may be prescribed.
- (2) Where the Authority orders removal or demolition of any coastal aquaculture farm under clause (d) of sub-section (1), the workers of the said farm shall be paid such compensation as may be settled between the workers and the management through an authority consisting of one person only to be

appointed by the Authority and such authority may exercise such powers of a District Magistrate for such purpose, as may be prescribed.

Power to enter.

- **12.** Subject to any rule made in this behalf, any person generally or specially authorised by the Authority in this behalf, may, whereever it is necessary to do so for any purposes of this Act, at all reasonable times, enter on any coastal aquaculture land, pond, pen or enclosure and ----
 - (a) make any inspection, survey, measurement, valuation or inquiry;
 - (b) remove or demolish any structure therein, and
 - (c) do such other acts or things as may be prescribed

Provided that no such person shall enter on any coastal aquaculture land, pond, pen or enclosure without giving the occupier of such aquaculture land, pond, pen or enclosure at least twenty-four hours' notice in writing of his intention to do so.

Registration for coastal aquaculture.

- 13. (1) Save as otherwise provided in this section, no person shall carry on, or cause to be carried on, coastal aquaculture in coastal area or traditional coastal aquaculture in the traditional coastal aquaculture farm which lies within the Coastal Regulation Zone referred to in sub-section (9) and is not used for coastal aquaculture purposes on the appointed day unless he has registered his farm with the Authority under sub-section (5) or in pursuance of sub-section (9), as the case may be.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a person engaged in coastal aquaculture, immediately before the appointed day, may continue to carry on such activity without such registration for a period of three months from that day and if he makes an application for such registration under sub-section (4) within the said period of three months till the communication to him of the disposing of such application by the Authority.
- (3) The registration made under sub-section (5) or in pursuance of sub-section (9)--
 - (a) shall be valid for a period of five years;
 - (b) may be renewed from time to time for a like period; and
 - (c) shall be in such form and shall be subject to such conditions as may be specified by the regulations.

- (4) A person who intends to carry on coastal aquaculture shall make an application for registration of his farm before the Authority in such form accompanied with such fees as may be prescribed for the purpose of registration under sub-section(5).
- (5) On receipt of an application for registration of a farm under subsection (4), the Authority shall consider the application in the prescribed manner and after considering the application either register the farm or reject the application:

Provided that the Authority shall not reject the application without recording the reason for such rejection.

- (6) The Authority shall, after registering a farm under sub-section (5), issue a certificate or registration in the prescribed form to the person who has made the application for such registration.
- (7) In the case of a farm comprising more than two hectares of water spread area, no application for registration to commence any activity connected with coastal aquaculture shall be considered under sub-section (5) unless the Authority, after making such inquiry as it thinks fit, is satisfied that registration or such farm shall not be detrimental to the coastal environment.
 - (8) Notwithstanding anything contained in this section, ---
 - (a) no coastal aquaculture shall be carried on within two hundred metres from High Tide Lines; and
 - (b) no coastal aquaculture shall be carried on in creeks, rivers and backwaters within the Coastal Regulation Zone declared for the time being under the Environment (Protection) Act, 1986:

29 of 1986.

Provided that nothing in this sub-section shall apply in the case of a coastal aquaculture farm which is in existence on the appointed day and to the non-commercial and experimental coastal aquaculture farms operated or proposed to be operated by any research institute of the Government or funded by the Government;

Provided further that the Authority may, for the purposes of providing exemption under the first proviso, review from time to time the existence and activities of the coastal aquaculture farms and the provisions of this section shall apply on coastal aquaculture farms in view of such review.

Explanation - For the purposes of this sub-section, "High Tide Line" means the line on the land up to which the highest water line reaches during the spring tide.

- (9) Notwithstanding anything contained in this section, any traditional coastal aquaculture farm which lies within the Coastal Regulation Zone declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife) No. S.O. 114 (E), dated the 19th February, 1991 and is not used for coastal aquaculture purposes on the appointed day shall be registered under sub-section (5) by producing before the Authority, by the person who is the owner of such farm, the documentary proof of such ownership failing which such farm shall not be registered under sub-section (5) and if such person after such registration does not utilise such farm, within one year, for coastal aquaculture purposes, the registration shall be cancelled by the Authority.
- (10) A person, who intends to renew the registration of a farm made under sub-section (5) or in pursuance of sub-section (9), may make an application within two months before the expiry of such registration to the Authority in the prescribed form accompanied with the prescribed fees and the Authority shall, after receiving such application, renew the registration and for such purpose make an entry with its seal on the registration certificate relating to such form issued under sub-section (6).
- (11) The Authority may refuse to renew the registration of a farm under sub-section (10) if the Authority is satisfied that the person to whom such registration is made has failed to utilise such farm for coastal aquaculture purposes or without any reasonable cause has violated any provision of this Act or the rules or regulations made thereunder or any direction or order made by the Authority in pursuance of section 11:

Provided that such refusal to renew the registration shall not be made without providing such person an opportunity of being heard.

Explanation 1. --- For the purpose of this section, "appointed day" means the date of establishment of the Authority.

Explanation 2. --- For the removal of doubts, it is hereby declared that the expression "to renew the registration" used in sub-sections (10) and (11) shall be construed to include further renewal of the registration.

Punishment for carrying on coastal aquaculture without registration.

14. If any person carries on coastal aquaculture or traditional coastal aquaculture or causes the coastal aquaculture or traditional coastal aquaculture to be carried on in contravention of sub-section (1) of section 13, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.

Cognizance of offence.

15. No court shall take congnizance of an offence under section 14 without a written complaint filed by an officer of the Authority authorised in this behalf by it.

CHAPTER V

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

Payment to Authority.

16. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament, by law, in this behalf, pay to the Authority in each financial year such sums as may be considered necessary for the performance of functions of the Authority under this Act.

Fund of Authority.

- 17. (1) The Authority shall have its own fund and all sums which may, from time to time, be paid to it by the Central Government and all the receipts of the Authority (including any sum which any State Government or any other authority or person may hand over to the Authority) shall be credited to the fund and all payments by the Authority shall be made therefrom.
- (2) All moneys belonging to the fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as may, subject to the approval of the Central Government, be decided by the Authority.
- (3) The Authority may spend such sums as it thinks fit for performing its functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the fund of the Authority.

Budget.

18. The Authority shall prepare, in such form and at such time each year as may be prescribed, a budget, in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditure and copies thereof shall be forwareded to the Central Government.

Annaul report.

19. The Authority shall prepare once in every calendar year, in such form and at such time as may be prescribed an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year and copies thereof shall be forwarded to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

Accounts and audit.

20. (1) The Authority shall cause to be maintained such books of account and other books in relation to its accounts in such form and in such manner as may, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, be prescribed.

- (2) The Authority shall, as soon as may be, after closing its annual accounts, prepare a statement of accounts in such form, and forward the same to the Comptroller and Auditor-General of India by such date, as the Central Government may, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, determine.
- (3) The accounts of the Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India at such times and in such manner as he thinks fit.
- (4) The accounts of the Authority as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

CHAPTER VI

Miscellaneous

21. The Chairperson and other members and the officers and other Chairperson and employees of the Authority and the authority appointed by the Authority shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the employees of Indian Penal Code.

other members, officiers and other Authority, etc. to be public servants.

22. No suit, prosecution of other legal proceeding shall lie against the Protection of Central Government or the Authority or the Chairperson and other members of the Authority or the authority appointed by the Authority or any person authorised by the Authority or any officer authorised by the Chairperson for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or regulation or order made thereunder.

action taken in good faith.

23. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Power to Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, difficulties. make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

remove

Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

32

45 of 1860.

24. (1) The Central Government may, by notification in the Official Power to Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

Power to Central Government to make rules.

- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
 - (a) the guidelines under section 3;
 - (b) the salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the members under sub-section (5) of section 4;
 - (c) the other functions of the Authority under clause (e) of sub-section (1) of section 11;
 - (d) the powers of a District Magistrate to be exercised by the authority under sub-section (2) of section 11;
 - (e) the rules subject to which any person referred to in section 12 may enter upon any coastal aquaculture land, pond, pen or enclosure under that section:
 - (f) the other acts or things under clause (c) of section 12;
 - (g) the form of application and the fees to be accompanied therewith under sub-section (4) of section 13;
 - (h) the manner of considering application under sub-section (5) of section 13;
 - (i) the form of certificate of registration under sub-section (6) of section 13;
 - (*j*) the form of application and the fees to be accompanied therewith under sub-section (10) of section13;
 - (k) the form and time of preparing budget under section 18;
 - (1) the form and time of preparing annual report under section 19;
 - (m) the books of account and other books to be maintained in relation to the accounts of the Authority and the form and manner of maintaining such books of account and other books under sub-section (1) of section 20;
 - (n) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

Power of Authority to make regulations.

- **25.** (1) The Authority may, by notification in the Official Gazatte, make regulations not inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder to carry out the purposes of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-
 - (a) the times and places of the meetings of the Authority and the rules of procedure to be observed in regard to the transaction of business at its meetings (including quorum thereat) under sub-section (1) of section 7;
 - (b) the terms and conditions of appointment of the officers and other employees under sub-section (1) of section 9;
 - (c) the terms and conditions of appointment of adviser or consultant under sub-section (2) of section 9;
 - (d) for the construction and operation of coastal aquaculture farms within the coastal areas under clause (a) of sub-section (1) of section 11;
 - (e) the form and conditions of registration under clause (c) of sub-section (3) of section 13;
 - (f) generally for better regulation of the coastal aquaculture.

Rules and regulations to be laid before Parliament.

26. Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or both houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

Validation.

27. (1) Notwithstanding anything contained in clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 or clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and

29 of 1986.

Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife) No. S.O. 114 (E), dated the 19th February, 1991 (hereafter referred to in this section as the said notification), in paragraph 2, after sub-paragraph (*xiii*), the following sub-paragraph shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted with effect from the 19th day of February, 1991, namely:—

"(xiv) nothing contained in this paragraph shall apply to coastal aquaculture."

(2) The said notification shall have and shall be deemed always to have effect for all purposes as if the foregoing provisions of this section had been in force at all material times and accordingly notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority, no coastal aquaculture carried on or undertaken or purporting to have been carried on or undertaken shall be deemed to be in contravention of the said notification and shall be deemed to be and to have always been for all purposes in accordance with law, as if the foregoing provisions of this section had been in force at all material times and notwithstanding anything as aforesaid and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, no suit or other proceeding shall be maintained or continued in any court for the enforcement of any direction given by any court of any decree or order directing the removal or closure of any coastal aquaculture farm's activity or demolition of any structure connected thereunder which would not have been so required to be removed, closed or demolished if the foregoing provisions of this section had been in force at all material times.

> T. K. VISWANATHAN, Secy. to the Govt. of India

The Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005 (Hindi and English versions)

भारत के राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II, खंड 3, उप-खंड(i)

PART II-Section3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2005/ पौ-ा 1,1927 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2005/PAUSA 1, 1927

No. 528]

कृ-ि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग) अधिसुचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 740 (आ) तटीय जलकृिन प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय - I प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का नाम तटीय जलकृ-ि। प्राधिकरण अधिनियम, 2005 होगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभा-॥

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से तटीय जलकृ-ि। प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकरण " से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित तटीय जलकृि। प्राधिकरण अभिप्रेत है:
- (ग) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (घ) "फीस" से इन नियमों में नियत कोई फीस अभिप्रेत है;
- (ङ) "प्ररूप" से इन नियमों में उपबंध प्ररूप अभिप्रेत है;
- (च) "मार्गदर्शक सिद्धान्त" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन बताए गए मार्गदर्शक सिद्धान्त अभिप्रेत है;
- (छ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त किए गए प्राधिकरण के सदस्य अभिप्रेत हैं और जिसके अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्य सचिव भी हैं:

- (ज) "विनियम" से प्राधिकरण द्वारा बताए गए विनियम अभिप्रेत है;
- (झ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (ञ) इसमें उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्ति तथा जिनको परिभानित नहीं किया गया है लेकिन तटीय जलकृनि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) में परिभानित किया गया हो, उक्त अधिनियम में क्रमशः अभिप्रेत होगा।

अध्याय - 11

मार्गदर्शक सिद्धान्त

3. अधिनियम की धारा 3 के अधीन तटीय जलकृि। का नियमन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त इन नियमों के साथ यथासंलग्न मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे।

अध्याय -III

प्राधिकरण और इसकी समितियां

- 4. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निबंधन
 - अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निबंधन निम्नानुसार होंगी:-
 - (1) अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्तों तथा अवकाश, पेंशन और अन्य मामलों के संबंध में सेवा की ऐसी शर्तों के प्रति पात्र होगा जो समय-समय पर भारत सरकार के सचिव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
 - (2) प्राधिकरण का सदस्य सचिव ऐसे वेतन और भत्तों तथा अवकाश, पेंशन और अन्य मामलों के संबंध में सेवा की ऐसी शर्तों के प्रति पात्र होगा जो समय-समय पर भारत सरकार के अपर सचिव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
 - (3) अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ख), (ग), (घ), (ड), (च) और (छ) के अधीन नियुक्त सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे। वे इस अधिनियम के अधीन किसी वेतन और भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे सिवाय इसके कि गैर-सरकारी सदस्य समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित बैठक फीस और दैनिक भत्ते, मंहगाई भत्ते के लिए पात्र होंगे।
 - (4) अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ख), (ग), (घ), (इ), (च) और (छ) के अधीन नियुक्त सदस्य यदि वह कारण समाप्त हो जाता है जिसके कारण वे सदस्य नियुक्त किए गए हों तो वे सदस्य नहीं रहेंगे।
 - (5) अध्यक्ष केन्द्र सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है/ दे सकती है और केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार कर लेने के बाद अध्यक्ष को अपने पद से मुक्त माना जाएगा।
 - (6) कोई भी सदस्य अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है/ दे सकती है। सदस्य का पद उस तारीख से रिक्त हो जाएगा जिस तारीख को सदस्य का त्यागपत्र केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा अथवा अध्यक्ष को त्यागपत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी पहले हो, व्यतीत हो जाएगी।
 - (7) केन्द्र सरकार किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है, जो अधिनियम की धारा 5 के अधीन अनर्हक हो जाएगा।

- (8) केन्द्र सरकार किसी भी सदस्य को तब भी हटा सकती है जब वह सदस्य अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना प्राधिकरण की लगातार 3 बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है।
- (9) सदस्य सचिव प्राधिकरण अथवा इसके द्वारा गठित समितियों द्वारा किए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करने का जिम्मेदार होगा और नियमों के अधीन उसे सुपूर्द किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- (10) सदस्य सचिव अध्यक्ष से परामर्श करते हुए प्रत्येक बैठक के लिए तारीख, समय और स्थान निर्धारित करेगा तथा कार्यसूची भी तैयार करेगा।
- (11) सदस्य सचिव को सामान्य अधीक्षण की शक्तियां प्राप्त होंगी जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगी:-
 - (क) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करना।
 - (ख) प्राधिकरण के सभी प्रभागों और अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना;
 - (ग) नियमों के अधीन लेखे और संग्रह के स्थान अथवा यथापेक्षित कारोबार के दस्तावेज और रिकार्ड मंगवाना तथा निरीक्षण करना या करवाना;
 - (घ) आकस्मिकताओं, आपूर्तियों और सेवाओं के लिए तथा प्राधिकरण के कार्यालय के कार्यकरण के लिए अपेक्षित वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए व्यय की मंजूरी देना;
 - (ङ) यथा व्यवहार्य यथाशीघ्र प्राधिकरण के समक्ष सभी महत्वपूर्ण कागजात और मामले प्रस्तुत करवाना; और
 - (च) प्राधिकरण के निर्णय को कार्यान्वित करने की पद्धति के निदेश जारी करना।

5. प्राधिकरण के कृत्य

प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य नि-पादित करेगाः-

- (i) यह सुनिश्चित करना कि कृिन भूिम, लवण पटल भूिम, कच्छ वनस्पति, आई भूिम, वन भूिम, ग्राम के सामान्य प्रयोजन की भूिम और जन प्रयोजन की भूिम तथा रा-ट्रीय पार्क और अभयारण्यों को तटीय जलकृिन फार्मों में परिवर्तित न किया जाए ताकि तटीय समुदाय की जीविका का संरक्षण किया जा सके:
- (ii) केन्द्र सरकार द्वारा उसे बनाए गए कार्यों सहित तटीय जलकृिन से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कार्य करना;
- (iii) देश के सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना और केन्द्र सरकार तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पर्यावरण अनुकूल तटीय जलकृि। विकास हासिल करने के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करने हेत् परामर्श देना;
- (iv) तटीय जलकृिन में पर्यावरण अनुकूल तथा सतत् विकास हासिल करने के लिए आम अवसंरचना अर्थात् तटीय जलकृिन फार्मों और आम स्त्रोत उपचार प्रणाली द्वारा आम जल एकत्रण और प्रसार की गई नहरों का निर्माण करने हेतु राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को परामर्श और समर्थन प्रवान करना:
- (v) जल जीवों और उनमें पालन किए गए कीटाणुओं तथा जलाशयों के रखरखाव के लिए सभी तटीय जलकृ-िा आदानों अर्थात् बीज, चारा, विकास अनुपूरक तथा रसायनों/ औ-ाधियों के लिए मानक निर्धारित करना;
- (vi) पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अन्वे-ाण और अध्ययन/ स्कीमें चलाना तथा प्रायोजित करना और तटीय जलकृ-ि में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना;

- (vii) तटीय जलकृिन से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों और अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक-आर्थिक सूचना एकत्र करना और इनका प्रसार करना;
- (viii) तटीय जलकृिन के सतत् विकास और इससे संबंधित गतिविधियों के संबंध में मैनुअल, संहिता और श्रव्य-दृश्य सामग्री तैयार करना;
- (ix) जलकृिन के प्रयोजनार्थ तटीय संसाधनों के सतत् उपयोग और उचित तथा सामान्य भागीदारी के बारे में एक व्यापक कार्यक्रम मीडिया तथा संचार के अन्य माध्यमों के जरिए आयोजित करना;
- (x) जलकृ-ि। प्रयोजनों के लिए तटीय संसाधनों के सतत् उपयोग के लिए कार्यक्रमों में लगे हुए/ लग सकने वाले व्यक्तियों की योजना बनाना और उनके लिए प्रशिक्षण आयोजन करना;
- (xi) तकनीकी मैनुअल, आचार संहिता आदि तैयार करने के लिए प्राधिकरण के सदस्यों और अधिकारियों, रा-ट्रीय अनुसंधान संस्थानों/ राज्य सरकारों/ नागरिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को शामिल करके विभिन्न तकनीकी समितियों, उप समितियों, कार्यसमूहों, उप समूहों का गठन करना:
- (xii) फार्म के स्वामियों को स्टॉक रखने के घनत्व, अविश-ट स्तर/ एंटीबायटिक, रसायनों और अन्य औ-।धीय सक्रिय यौगिकों के उपयोग सिहत तटीय पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए ऐसे उपान्तर करने के लिए निदेश देना;
- (xiii) तटीय जलकृिन पद्धतियों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौसमी फार्मों को बंद करने के आदेश देना:
- (xiv) पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने और जीविका का संरक्षण करने के हित में या तटीय पर्यावरण के हित में आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य कारण से तटीय जलकृ-ि। फार्म को बंद करने के आदेश देना;
- (xv) उन मामलों में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना जिनमें इस बात की संतु-िट हो कि किसी व्यक्ति ने गलत सूचना देकर नियम 11 के उप नियम(1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है अथवा उसने इन नियमों के किसी उपबंध या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्य कार्रवाई बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले कर सकेगाः परन्तु ऐसा प्रमाण-पत्र को रद्द करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन करने का अवसर देगा, परन्तु यह भी कि आदेश के साथ रद्द करने के कारणों की प्रति संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी।
- (xvi) तटीय जलकृिन प्राधिकरण के लिए पद सृजन करने हेतु भर्ती नियम बनाना और उस समय तक आदेश जारी करना कि इन पदों पर भर्ती केन्द्र सरकार में समतुल्य पदों के लिए लागू भर्ती नियमों के आधार पर की जाएगी;
- (xvii) प्राधिकरण के कर्मचारियों की सेवाओं के लिए वेतन, अवकाश, भत्ते और अन्य शर्तें तथा निबंधने निर्धारित करना, परन्तु कि तटीय जलकृिन प्राधिकरण में सभी कर्मचारियों के संबंध में वेतन, अवकाश, भत्ते, सेवा की अन्य शर्तें और सुविधाएं तथा वेतन अग्रिम, वाहन अग्रिम, गृह निर्माण और आदि जैसी रियायतें ऐसे नियमों और आदेशों के अनुसार नियमित की जाएंगी, जो उन स्थानों पर तैनात तत्स्थानी श्रेणी अथवा स्तर के केन्द्र सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए उस समय लागू होंगी, यह स्थिति तटीय जलकृिन प्राधिकरण द्वारा अलग से नियम बनाने तक लागू रहेगी;
- (xviii) प्रौद्योगिकी, कृिन व्यवसाय आदि में परिवर्तन को ध्यान देकर तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों मे ऐस परिवर्तन समाहित करके समय-समय पर नियम 3 के अधीन मार्गदर्शक सिद्धान्तों को संशोधित करने के लिए सरकार को उचित सिफारिश करना तािक पर्यावरण संरक्षण और तटीय समुदायों की जीविका सुनिश्चित रह सके।

अध्याय -IV

एक सदस्य प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य

- 6. एक सदस्य प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य। (क) अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (2) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले एक सदस्य प्राधिकारी को कर्मकारों और प्रबंधन के बीच तय की गई क्षतिपूर्ति के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी।
 - (क) कार्मिकों को अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति तय करते समय कर्मकारों के लिए आय में होने वाली संभावित कमी, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर और नियोक्ता की भुगतान करने की क्षमता को हिसाब में लिया जाए।
 - (ख) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि तय की गई क्षतिपूर्ति की राशि कर्मकारों को अदा की जाती है, एक सदस्य प्राधिकारी संबंधित राज्य के भू राजस्व नियमों के अधीन कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- 7. किसी भी तटीय जलकृि। भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति। किसी भी तटीय जलकृि। भूमि, तालाब, पटल, अथवा पिरसर पर प्रवेश करने के लिए प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की शक्तियां निम्नलिखित के अध्यधीन होंगी:-
 - (i) प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को धारा में उल्लिखित कार्यों को करने के लिए पुलिस कर्मचारियों सहित एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों को साथ ले जाने की शक्ति प्राप्त होगी;
 - (ii) किसी प्रकार का निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच करने और किसी ढांचे को हटाने या गिराने के प्राधिकरण के निर्णय की सूचना तटीय जलकृिन भूमि, तालाब, पटल या परिसर के स्वामी या उसके प्रतिनिधि को लिखित में कम से कम 24 घंटे अग्रिम में देनी होगी और यह सूचना उसे रिजस्ट्रीकृत डाक या संदेशवाहक द्वारा देनी होगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी सूचना को तटीय जलकृि। फार्म के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर भी चिपकाना होगा। यदि ऐसे नोटिस को स्वीकार करने से कोई स्वामी इंकार करता है तो चिपकाया गया नोटिस उसे दिया गया नोटिस समझा जाएगा:
 - (iii) अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित गतिविधियां स्वामी अथवा उसके प्रतिनिध की उपस्थिति, यदि वह ऐसा चाहता है तो, में चलाई जाएंगी। स्वामी को निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच में सहायता करने के लिए अपने कर्मचारी (दो से अधिक नहीं) को साथ रखने की अनुमति भी दी जाए;
 - (iv) किसी ढांचे को हटाने अथवा गिराने का कार्य पंचनामे के अधीन किया जाना चाहिए और जहां कहीं संभव हो, वहां स्थानीय निकाय के एक प्रतिनिधि को दल में शामिल करना चाहिए तथा पंचनामें में उसके हस्ताक्षर करवाने चाहिए:
 - (v) अधिनियम की धारा 12 के खंड (क) और (ख) के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिकृत व्यक्ति (यों) द्वारा यह कृत्य केवल दिन अर्थात् सूर्योदय के बाद तथा सूर्यास्त से पहले किया जाएगा।
 - (vi) अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (क) के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (यों) का यह प्रयास होगा कि ऐसा कृत्य नागरिक ढांचों, उपकरणों, मशीनों अथवा खड़ी फसल को कोई क्षति पहुंचाए बिना किए जाएं।

8. ऐसे कार्य या वस्तुएं जो अधिनियम की धारा १२ के खंड (ग) के अधीन किए जाने हैं: प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित किया जायेगा:-

- (1) प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स, रसायनों और अन्य औ-।धीय सक्रिय यौगिकों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ जल, मृदा और पाले जा रहे पशुओं के नमूने लेना और इन्हें एकत्र करने, विश्ले-।ण करने, सूचना देने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया अपनाना।
- (2) नियम 7 के उपबंधों के अधीन किसी ऐसे तटीय जलकृिन फार्म को हटाना अथवा ध्वस्त करना जो प्रदूनण फैला रहा हो और जिसे अधिनयम की धारा 11 की उप धारा (1) के खंड (घ) के अधीन पारित आदेश देने के बाद हटाया अथवा ध्वस्त न किया गया था।
- (3) ऐसे तटीय जलकृिन फार्म से पानी निकाल देना अथवा फसल न-ट कर देना जो प्रदूनण फैला रहा हो और जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (1) के खंड (ड) के अधीन पारित उचित आदेश की अनुपालना न की गई हो।
- (4) प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स रसायनों और अन्य औ-ाधीय सक्रिय यौगिकों का पता लगाने के प्रयोजन के लिए मृदा, जल, पालतू पशुओं और अन्य पालतू जल जीवों को विश्ले-ाण करने के लिए प्रयोगशालाएं प्राधिकृत करना/ इन्हें मान्यता देना।

अध्याय - V

रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण

9. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के अधीन संदत की जाने वाली फीस:-

- (1) तटीय जलकृ-ि फार्म के रिजस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्राधिकरण द्वारा गठित जिला स्तरीय सिमित को प्ररूप I में दिया जाएगा, जो जिला स्तरीय सिमित के कार्यालय या प्राधिकरण के कार्यायल से मिलेगा अथवा प्राधिकरण के बेवसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- (2) निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दि-ट तटीय जलकृि। फार्म के रिजस्ट्रीकरण के लिए उप-नियम (1) के अधीन भेजे जाने वाले प्रत्येक आवेदन के साथ उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की गई तत्स्थानी प्रवि-ट में विनिर्दि-ट फीस भेजी जाएगी।

सारणी

	4114	
	(1)	(2)
1.	5.0 हैक्टेयर तक के जल प्रसार क्षेत्र	200 रूपये प्रति हैक्टेयर (या एक हैक्टेयर के अंश के लिए), बशर्तें कि न्यूनतम 500 रूपये हो
2.	5.1 से 10 हैक्टेयर तक के जल प्रसार क्षेत्र	1000 रूपये + 5 हैक्टेयर से अधिक के लिए 500 रूपये प्रति हैक्टेयर (अथवा एक हैक्टेयर के अंश के लिए)
3.	10.1 हैक्टेयर और इससे अधिक जल प्रसार क्षेत्र	3500 रूपये + 10 हैक्टेयर से अधिक के लिए 1000 रूपये प्रति हैक्टेयर (अथवा एक हैक्टेयर के अंश के लिए)

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस प्राधिकरण द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के संयोजक सदस्य के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देय होगी।

10. रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर विचार करने की रीति

- 1) नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर जिला स्तरीय समिति फार्म के आकार को ध्यान में रखे बिना सभी तटीय जलकृिन फार्मों के संबंध में आवेदन में दिए गए ब्यौरों का सत्यापन करेगी और (क) 2.0 हैक्टेयर तक के जल प्रसार क्षेत्रों के तटीय जलकृिन फार्मों के मामलों में इस आवेदन में दी गई सूचना से समाधान होने पर जिला स्तरीय समिति आवेदन की संस्तुति रिजस्ट्रीकरण करने के विचारार्थ सीधे प्राधिकरण को भेजेगी तथा राज्य स्तरीय समिति को इसकी सूचना देगी।
 - (ख) 2.0 हैक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र के तटीय जलकृि। फार्मों के मामले में जिला स्तरीय सिमित यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित फार्म का निरीक्षण करेगी कि फार्म तटीय जलकृि। फार्मों के स्थल के विनिर्दि-ट प्रतिनिर्देश में मार्गदर्शक सिद्धान्तों में विहित मानदंडों को पूरा करता है और ऐसे आवेदनों की राज्य स्तर सिमित को संस्तुति करेगी, जो संतु-ट होने पर इनकी संस्तुति आगे रिजस्ट्रीकरण पर विचार करने के लिए प्राधिकरण को करेगी।
- (2) आवेदन में कोई त्रुटि पाए जाने पर आवेदक का ध्यान विहित अविध के अंदर त्रुटि दूर करने का अनुरोध करते हुए लिखित में आकृ-ट किया जाएगा और यदि ऐसी अविध के अंदर त्रुटि दूर करने में आवेदक विफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण के लिए इंकार कर दिया जाएगा।
- (3) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने की समय अनुसूची विनियमों में यथा-निर्दि-ट होगी।
- (4) इस नियम के प्रयोजनार्थ जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय समितियों की संरचना निम्नानुसार होगा:-

क. जिला स्तरीय समिति

(पर) जिला परलपटर - जब्द	(क)	जिला कलेक्टर		_	अध्यक्ष
-------------------------	-----	--------------	--	---	---------

(ख) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य

(ग) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कृ-ि। विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य

(घ) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य

(ङ) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की जिला परि-ाद का प्रतिनिधि - सदस्य

(च) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग का सहायकनिदेशक/ जिला स्तरीय मत्स्य अधिकारीसदस्य-संयोजक

ख. राज्य स्तरीय समिति

(क) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का मत्स्य सचिव भारसाधक - अध्यक्ष

(ख) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का राजस्व सचिव भारसाधक - सदस्य

(ग) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का पर्यावरण सचिव भारसाधक - सदस्य

(घ) समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधि - सदस्य

(ङ) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का मत्स्य निदेशक/ आयुक्त भारसाधक - सदस्य-संयोजक

- (5) जिन मामलों में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर इंकार कर दिया जाता है उनमें ऐसे इंकार के कारण लिखित में दर्ज किए जाएंगे और इन कारणों की प्रति सिहत आदेश की प्रति आवेदक को भेजी जाएगी।
- (6) प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी आवेदक से विनिर्दि-ट अविध के अंदर कोई अतिरिक्त सूचना मांग सकता है जिसे वह रजि-ट्रीकरण/ नवीकरण के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझता हो और हरेक आवेदक विनिर्दि-ट अविध के अंदर ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य होगा।
- (7) यदि आवेदक मांगी गई सूचना देने में विफल रहता है अथवा गलत सूचना देता है तो प्राधिकरण आदेश द्वारा किसी तटीय जलकृि। फार्म के रिजस्ट्रीकरण/ नवीकरण के आवेदन को इन्कार कर सकता है: इन्कार के आदेश तथा इसके कारण की एक प्रति आवेदक को भेजी जाएगी।
- (8) उप नियम (5) में कुछ भी आवेदक को इस नियम के अधीन अस्वीकृति के 6 माह बाद रिजस्ट्रीकरण के लिए नया आवेदन करने से नहीं रोकता है, यदि आवेदक ने त्रुटियां सुधार ली हों और उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह प्राधिकरण द्वारा विनिर्दि-ट मानकों की पूर्ण अनुपालना कर सकता है तो नया आवेदन कर सकता है।
- (9) यदि तटीय जलकृि। फार्म के रिजस्ट्रीकरण की अविध के दौरान उसका स्वामी फार्म में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे कम से कम 30 दिन अग्रिम में प्राधिकरण को आवेदन देना होगा और प्राधिकरण इन परिवर्तनों को प्रभावित करने के आदेश पारित करने से पूर्व यथा आवश्यक जांच करेगा। जिन मामलों में प्राधिकरण परिवर्तन के लिए सहमत हो जाता है उनमें ऐसे परिवर्तनों के ब्यौरों की रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में प्रवि-टि की जाएगी।
- (10) कोई भी व्यथित व्यक्ति नियम 10 के उप नियम (5) के अधीन इन्कार करने के आदेश के खिलाफ इन्कार या रद्द करने के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर अध्यक्ष के पास अपील कर सकता है, जो या तो इसकी पु-िट कर सकता है, इसमें परिवर्तन कर सकता है अथवा ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है।

11. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का उपयोग करने के लिए प्ररूप

जब रजिस्ट्रीकरण आवेदन को इन्कार नहीं किया जाता है तब रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र **प्ररूप-II** में मंजूर किया जाएगा और यह प्रमाण-पत्र में विनिर्दि-ट शर्तों तथा निबंधनों के अध्यधीन होगा।

12. रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का आवेदन तथा संपत की जाने वाली फीस

- (1) तटीय जलकृिन फार्म के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से 2 माह पूर्व प्राधिकरण को प्ररूप-III में दिया जाएगा और प्राधिकरण अगले 5 वर्न की अविध के लिए रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करेगा।
- (2) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए देय फीस नियम 9 के उप नियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विनिर्दि-ट फीस के समान ही होगी।
- (3) तटीय जलकृिन फार्म के रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रत्येक आवेदन जिला स्तरीय सिमिति को दिया जाएगा जो जांच करके इसे राज्य स्तरीय सिमिति के माध्यम से प्राधिकरण को भेजेगी।
- (4) रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण पर विचार करने की समय अनुसूची विनियमों में यथा निर्दि-ट होगी।
- (5) जहां प्राधिकरण को यह समाधान है कि उक्त तटीय जलकृ-ि। फार्म को आगे जारी रखना तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक है तो वह रिजस्ट्रीकरण का नवीकरण करने से इन्कार करेगाः

परन्तु कि रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने से इन्कार करने से पूर्व प्राधिकरण संबंधित व्यक्ति को सुनवाई करने का एक अवसर देगाः

परन्तु यह भी कि रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के इन्कार करने के कारणों सहित आदेश की प्रति संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी।

(6) कोई भी व्यथित व्यक्ति नवीकरण के इन्कार करने के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के अंदर इसके खिलाफ अध्यक्ष के पास अपील कर सकता है, जो या तो इसकी पु-टि कर सकता है, इसमें परिवर्तन कर सकता है अथवा ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है।

13. बजट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय

- (1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्न में अगले वित्तीय वर्न के लिए तटीय जलकृिन प्राधिकरण के लिए बजट तैयार करेगा और इसे मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार द्वारा यथा निश्चित तारीख को या उससे पूर्व केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- (2) केन्द्र सरकार द्वारा बजट को मंजूरी दिए जाने तक और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त खर्च के लिए मंजूरी प्राप्त होने तक कोई खर्च वहन नहीं किया जाएगा।
- (3) बजट निम्नलिखित प्ररूप में या केन्द्र सरकार द्वारा यथा निदेशित प्ररूप में तैयार किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा:-
 - (क) अनुमानित अथशे-ा;
 - (ख) अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (1) में उल्लिखित अनुमानित प्राप्तियां;
 - (ग) निम्नलिखित व्यापक शी-ाँ या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीमों के अनुसार ऐसे अन्य शी-ाँ के अधीन वर्गीकृत अनुमानित खर्च।
 - (i) प्रशासन;
 - (ii) विकास;
 - (iii) सांख्यिकीय;
 - (iv) निरीक्षण/ निर्माण कार्य;
 - (v) वित्तीय और अन्य सहायता/ राजसहायता स्कीम;
 - (vi) अन्य

टिप्पणी:- जहां कहीं लागू हो, प्रत्येक व्यापक शी-ां के लिए विभिन्न उप शी-ां के अधीन पूर्ण ब्योरे दिए जाएंगे जिसमें अधिकारियों के वेतन, स्थापना का वेतन, भत्ते, मानदेय, आकस्मिकता खर्च और इसी प्रकार के खर्च सहित अनुमानित खर्च दर्शाए जाएंगे।

(4) खर्च के अनुपूरक अनुमान, यदि कोई हो, ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख को केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे जो इस संबंध में यथा निर्देशित हों।

14. वार्निक रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप तथा समय

(1) अध्यक्ष अथवा इस कार्य के लिए यथा प्राधिकृत प्राधिकरण का कोई कर्मचारी प्रत्येक वित्तीय वर्न की शुरूआत के बाद यथाशीघ्र वार्निक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्व वित्तीय वर्न के दौरान प्राधिकरण की गतिविधियों का लेखा-जोखा शामिल किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सूचना शामिल होंगी:-

- (क) कारपोरेट का विवरण प्राधिकरण के प्रचालनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्य
- (ख) उप नियम (1) की पृ-ठभूमि में विभिन्न गतिविधियों में निर्धारित वार्निक लक्ष्य और भौतिक तथा वित्तीय शर्तें एवं इन लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तविक कार्यनि-पादन की संक्षिप्त समीक्षा
- (ग) पूर्व वित्तीय वर्ना के दौरान प्राधिकरण की गतिविधियों पर एक प्रशासनिक रिपोर्ट और उन गतिविधियों का लेखा-जोखा, जिनके अन्य गतिविधियों के साथ चलाए जाने की संभावना है
- (घ) पूर्व वित्तीय वर्ना और रिपोर्ट के वर्ना के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों का सारांश
- (ङ) महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन और किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसे विशि-ट उपाय जिनसे प्राधिकरण के लाभ या कार्यकरण प्रभावित हुए हैं या प्रभावित होने की संभावना है।
- (च) परिकल्पित नई प्रस्तावित या विस्तार स्कीमें जिनके साथ उनके लाभ, वित्तीय जटिलताएं और कार्यनि-पादन के कार्यक्रम दिए जाएं;
- (छ) प्राधिकरण के संगठनात्मक गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- (ज) नियोजक-कर्मचारी संबंधों पर रिपोर्ट तथा प्राधिकरण की कल्याण गतिविधियां; और
- (झ) ऐसे अन्य विविध वि-ायों पर रिपोर्ट, जो बाद में रिपोर्ट देने के लिए केन्द्र सरकार या प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझे जाएं।
- (2) वार्निक रिपोर्ट को स्वीकार करने हेतु प्राधिकरण की बैठक में रखा जाएगा और इस पर अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत 2 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा इसे प्राधिकरण की आम मोहर लगाकर प्रमाणित किया जाएगा एवं इसकी अपेक्षित प्रतियां अगले वर्न दिसम्बर की 31 तारीख तक केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगीं।

15. प्राधिकरण के लेखों का रखरखाव करने का प्ररूप और रीति

- (1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्न के संबंध में सभी प्राप्तियों और खर्चों के लेखे रखेगा।
- (2) रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के वास्ते एक अलग बैंक खाता रखा जायेगा।
- (3) किसी विशे-ा वित्तीय वर्ना में वहन किया गया खर्च अलग-अलग शी-ाँ और उप शी-ाँ के अधीन दर्शाया जाएगा।
- (4) आदिशे-ा, यदि कोई हो, का इसी प्रकार अलग से उल्लेख किया जाएगा।
- (5) वर्न का इतिशे-ा खर्च की ओर लेखों के पाद पर दर्शाया जाएगा।
- (6) लेखों के संबंध में लेखा बही, अन्य बिहयों का रखरखाव उस समय लागू विभिन्न सामान्य वित्तीय नियमों, केन्द्रीय खजाना नियमों, इन नियमों में अन्यथा के सिवाय समय-समय पर प्रवृत्त प्राप्ति और भुगतान नियमों, केन्द्रीय खजाना नियमों के प्रावधानों, वित्तीय शक्ति प्रदत्त नियमावली, 1958 और केन्द्र सरकार के सामान्य वित्तीय नियम 1962 में समय पर प्रवृत्त किया जाएगा, जो केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से उनमें दिए गए प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे उपान्तरों या अनुकूलनों की शर्त के अध्यधीन होगा तथा प्राधिकरण के समस्त वित्तीय कारोबार के लिए लागू होगा।

[फा.सं. 33036/5/2005-मा0(टी-2)]

अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

प्ररूप -I

(नियम 9 देखिये)

तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण

कृि-। मंत्रालय

तटीय जलकृि। फार्म के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

	श्रेणी ग्राम	सर्वेक्षण संख्या
	तो कृपया ब्यौरे दें	:
	कोई भाग निम्नलिखित किसी श्रेणी में आता है	
5.	यदि उपर्युक्त भूमि सम्पूर्ण रूप में अथवा उसका	
	(ज) जल प्रसार का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	:
	(छ) फार्म का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	:
	(क्या फ्रीहोल्ड है अथवा लीज होल्ड है)	:
	(च) स्वामित्व का अधिकार	
	(ङ) सर्वेक्षण संख्या	:
	(घ) राजस्व ग्राम	:
	(ग) तालुक/ मंडल	:
	(ख) जिला	:
	(क) राज्य	:
-т.	लिए आवेदन दिया गया है	:
4.	उस भूमि के ब्यौरे जिसके रजिस्ट्रीकरण के	
	फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए है	ः हॉ/नहीं
	फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए है (ख) नए निर्माण किए जाने वाले जलकृनि	. ਜੱਂ/ ਸਰੀ
	(क) तटीय क्षेत्र में पहले से चल रहे जलकृनि	ः हाँ/नहीं
3.	क्या आवेदन	
2.	पत्राचार का पता	:
	का नाम (स्थायी पते सहित)	:
1.	आवेदक (आवेदकों)/ रजिस्ट्रीकृत कम्पनी/ संस्था	
	राटाय जलवूमा नगर यह राज	रद्राकरण के लिए जाववन

श्रेणी	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल
			(हैक्टेयर में)

- (क) कृ-ा भूमि
- (ख) वन भूमि
- ग्राम के आम प्रयोजन की भूमि (ग)
- (घ) जन प्रयोजन की भूमि
- (ङ) आर्द्र भूमि
- (च) कच्छ वनस्पति
- (छ) लवण पटल

निम्नलिखित से इकाई स्थल की दूरी का उल्लेख करें 6. (क) ज्वार रेखा (ख) निकटतम पेय जल स्रोत (ग) कृ-। भूमि (घ) कच्छ वनस्पति (ङ) समुद्री संरक्षित क्षेत्र (च) निकटवर्ती जलकृ-। फार्म (छ) मानव रिहायश (रिहायश की आबादी का उल्लेख करें) (ज) रा-ट्रीय पार्क (झ) अभयारण्य (ञ) आरक्षित वन (ट) प्रजनन अण्डजनन स्थल और अन्य जल जीव जीवन (ठ) बालू तट (ड) प्रवाल-भित्ति (ਫ) विरासत क्षेत्र जल कृ-ि। इकाई के लिए जल स्रोत 7. हाँ/ नहीं (क) समुद्र (ख) संकरी खाड़ी/ नदी मुख/ नहर/ दूरवर्ती जल हाँ/ नहीं (ग) यदि जल स्रोत का उल्लेख उपर्युक्त (ख) में किया गया हैं तो स्रोत का नाम लिखें विद्यमान जलकृ-। फार्म के प्रचालन शुरू होने 8. की तारीख: * निम्न ब्यौरे देते हुए परियोजना रिपोर्ट दें प्रचालन में/ प्रस्तावित जलकृ-। फार्म के डिजाइन और ले-आउट का रेखाचित्र (पैमाने पर) तथा प्रचालनात्मक ब्यौरे, जल प्राप्ति तथा दू-िात जल उपचार स्विधा के ब्यौरे भी दें क्या जलकृ-। फार्म के संबंध में इसके पड़ोस में अन्य भूमि के उपयोग के संदर्भ में और परियोजना रिपोर्ट में यथा-उल्लिखित इकाई के प्रचालनात्मक ब्यौरों के आधार पर जलकृ-। फार्म के पर्यावरण पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई0आई0ए0)/ पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई0एम0पी0) का कार्य किया गया था,

कृपया विशि-ट रूप से उल्लेख करें कि क्या

- (क) जलकृि। गतिविधि का प्रभाव निकटवर्ती क्षेत्रों में जल जमाव के रूप में या पेयजल स्रोतों को प्रदूि।त करने के रूप में पड़ेगा।
- (ख) अनुपूरक चारे/ औ-ाधियों/ दवाओं आदि का उपयोग करने के परिणामस्वरूप अवसादन बढेगाः जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा।
- (ग) ऐसी गतिविधि से गाद जमा होगी, जल गंदला होगा, जिससे स्थानीय जीवन और वनस्पति पर खराब प्रभाव पड़ेगा
- 11 *यदि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई0आई0ए0) किया गया है तो कृपया रिपोर्ट संलग्न करें
- 12 * यदि पर्यावरण प्रबंधन योजना(ई0एम0पी0) तैयार की गई है तो कृपया ब्यौरे दें
- 13 * यदि एफल्यूएंट उपचार प्रणाली(ई0टी0एस0) प्रचालन में है/ प्रस्तावित है, तो कृपया रेखाचित्र (ले-आउट), डिजाइन और तकनीकी ब्यौरे दें
- 14 अनुदेशिका शुल्क प्रेनित करने के ब्यौरे

घो-ाणा

:

मैं/हम	पुत्र/ पुत्री/ पत्नी	, निवासी
एतद्द्वा	रा घो-ाणा करता हूँ/ करते हैं कि उप	र्युक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी और
विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे/	हमें पूर्ण जानकारी है कि यदि यह पर	ता चलता है कि मेरे/ हमारे द्वारा दी गई
सूचना गलत पाई जाती है अथवा	उनमें कुछ छिपाया गया है/ उन शतं	ीं का उल्लंघन किया गया है, जिन पर
प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमा	ण-पत्र दिया जा सकता है तो जारी वि	केया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या
तो निलम्बित कर दिया जाए अथव	ग रद्द कर दिया जाए।	

आवेदक(आवेदकों) के हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

* 2(दो) हैक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक जल प्रसार क्षेत्र वाले फार्मों के लिए लागू।

प्ररूप -II (नियम 11 देखिये) तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण कृ-ि मंत्रालय

तटीय जलकृि-। फार्म का रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 13 और तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण नियमावली, 2005 के नियम 11 के अधीन

रजिस्ट्रीकरण संख्या		तारीर	<u> ब</u>
श्री/ श्रीमती/ सुश्री का द्वारा तटीय जलकृ	तटीय जलकृ-ा	फार्म दिनांक	की संख्या
इकाई और उ	अपनाई जाने वाली प्रं	ौद्योगिकी के ब्यौरे	
1. फार्म का स्थल राज्य	जिला	तालुक/मंडल	राजस्व ग्राम
 सर्वेक्षण संख्या फार्म का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (क) फार्म का कुल क्षेत्रफल (ख) जल प्रसार का कुल क्षे पालन की जाने वाली प्रजाति स्टाक रखने का घनत्व प्रति व-ि फसल संख्या 	त्रफल		
स्थानः तारीखः		प्रमा	ण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
	(प्राधिकरण की मृह	इर)	

तटीय जलकृ-। फार्म के रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

- यह रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तटीय जलकृ-ि अधिनियम, 2005, तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण नियमावली,
 2005 और तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण विनियम, 2005 तथा इनके अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों की शर्त के अधीन अनुदत किया जाता है।
- 2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अहस्तांतरणीय है।
- 3. ले आउट, डिजाइन, क्षेत्रफल और स्टाक रखने, घनत्व (अथवा) अन्य मामले में किसी भी परिवर्तन के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन लिया जाना चाहिए।
- 4. पर्यावरणीय अपेक्षाएं मार्गदर्शक सिद्धान्तों तथा समय-समय पर तटीय जलकृ-ि। प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी विनियमों के अनुरूप होनी चाहिएं।
- 5. तटीय जलकृिन फार्म का स्वामी ऐसे अन्य अनुदेशों/ शर्तों का भी अनुपालन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी की जाएंगी।

प्ररूप -III

(नियम 12 देखिये)

तटीय जलकृ-ी प्राधिकरण

कृ-ि मंत्रालय

झींगा जलकृि। करने के लिए तटीय जलकृि। प्राधिकरण द्वारा रिजस्ट्रीकरण का नवीकरण किए जाने के लिए आवेदन

1.	आवेद	दक(आवेदकों)/ रजिस्ट्रीकृत	:
	कम्पः	नी/ स्थापना का(के) नाम	:
2.	पत्राच	गर का पता	:
3.	फार्म	का स्थान/ भूमि के ब्यौरे जिसके लिए	:
	अनुमं	ोदन जारी किया गया था	
	(ক)	कुल क्षेत्र और प्रसार क्षेत्र	:
	(ख)	फार्म/ तालाब की सर्वेक्षण संख्या	:
	(ग)	ग्राम	:
	(ਬ)	तालुक	:
	(ভ)	जिला	:
	(च)	अपनाया गया स्टाक रखने का	:
		औसत घनत्व(संख्या/ वर्ग मीटर में)	
	(छ)	प्राप्त औसत उत्पादन	
		(किलोग्राम/ हैक्टेयर/ फसल)	:
	(ज)	अपनाई गई प्रौद्योगिकी	:
	(झ)	प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण की	:
		संख्या और तारीख (प्राधिकरण द्वारा जारी	
		अनुमोदन की फोटोप्रति संलग्न होगी)	
4.	अनुदे	शिका शुल्क प्रे-िात करने के ब्यौरे	:
		घो-ाणा	
	ਸ਼ੇ	: i/हम, पुत्र/ पुत्री,	/ पत्नी निवासी
		एतद्द्वारा घो-ाणा करता हूं/ क	
		५.५४ व्याप के अनुसार सत्य है। मेरे/ हमारे द्वारा च	
		॥ है और ना ही निकटवर्ती क्षेत्र की पारिस्थितिव	
		है कि यदि यह पाया जाता है कि मेरे/ हमारे द्वारा	
		। शर्तों का उल्लंघन किया गया है जिन पर प्राधिक	
		ानुदत किया गया प्राधिकार/ नवीकरण निलम्बित व	
तारीर	ब्र:		
ग्शान			

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

तटीय जलकृि-। का विनियमन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

उपाबंध (नियम 3 देखिये)

तटीय जलकृिन का विनियमन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

वि-ाय-वस्तु

पृ-ठ संख्या

1.0	प्रस्तावना
2.0	झींगा जलकृ-िा
3.0	झींगा जलकृनि पद्धतियां
4.0	स्थान का चयन
5.0	झींगा फार्मों का निर्माण और तैयारियां
6.0	जल क्वालिटी और इसका प्रबंधन
7.0	बीज उत्पादन
8.0	बीज का चयन और स्टॉक रखना
9.0	चारा और चारा प्रबंधन
10.0	झींगा का स्वास्थ्य प्रबंधन
11.0	रसायनों और औ-ाधियों का उपयोग
12.0	हारवेस्ट और पोस्ट हारवेस्ट
13.0	दू-िात जल प्रबंधन
14.0	फार्म की साफ-सफाई और प्रबंधन
15.0	पर्यावरण प्रभाव का निर्धारण
16.0	पर्यावरण मानीटरिंग और प्रबंधन योजना
17.0	समूह प्रबंधन, रिकार्ड का रखरखाव और नेटवर्किंग
18.0	एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन
19.0	विभिन्न तटीय समदायों की जीविका का संरक्षण

परिशि-ट

तटीय जलकृि। नियमित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1.0 प्रस्तावना

- 1.1 तटीय जलकृिन में घरेलू और निर्यात, दोनों बाजारों के लिए उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजनार्थ लवणीय अथवा खारे पानी के क्षेत्र में जीवाणुओं की प्रबंध की गई कृिन अथवा पालन आवश्यक होता है। व्यापक रूप में तटीय जलकृिन में झींगा, प्रान, समुद्री झींगा, केकड़ा जैसे क्रस्टेशियंस और ग्रुंपर्स, सी ब्रीम, मुलेट्स जैसी फिन फिश और क्लाम, मसल्स और उइस्टर जैसे मोलस्क का पालन शामिल होता है।
- 1.2 ये मार्गदर्शक सिद्धांत देश में झींगा जलकृिि के सुव्यवस्थित और सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिए हैं। मार्गदर्शक सिद्धांत का उद्देश्य पर्यावरण रूप से जिम्मेदार तथा सामाजिक रूप से स्वीकार्य तटीय जलकृि करवाना है और उस सकारात्मक योगदान को बढ़ाना है जो तटीय क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक लाभ, जीविका सुरक्षा और गरीबी उपशमन करने के लिए झींगा कृि। और जलकृि के अन्य रूप प्रदान कर सकते हैं।
- 1.3 वर्तमान मार्गदर्शक सिद्धांत झींगा फार्म प्रबंधन के सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर करने तथा झींगा फार्मों से निकलने वाले दूिनात जल के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, ऐसे कचरे का उपचार करने तथा पर्यावरण पर ऐसे कचरे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और सामाजिक द्वेन को हल करने को कवर करने के लिए हैं, जिससे झींगा जलकृिन का सतत विकास हो सके। मार्गदर्शक सिद्धांत का उद्देश्य किसानों की अच्छी प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने में सहायता करना है।
- 1.4 ये मार्गदर्शक सिद्धांत झींगा किसान, तटीय समुदाय, राज्य मत्स्य विभाग, प्रदू-ाण नियंत्रण बोर्ड और भारत तथा राज्यों की सरकारों के मंत्रालयों और विभागों सहित सभी हितधारकों के उपयोग के लिए हैं।

2.0 झींगा जलकृि-।

- 2.1 झींगा जलकृिन तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक आम और लोकप्रिय कृिन पद्धित है। 2004 के अंत तक अनुमानतः 12 लाख हैक्टेयर के जलकृिन योग्य तटवर्ती क्षेत्र में से केवल लगभग 1,50,000 हैक्टेयर क्षेत्र पर ही झींगा कृिन की जाती है जिससे प्रत्येक वर्न लगभग 1,20,000 टन झींगा का उत्पादन होता है। पिनियस मोनोडॉन अत्यंत आम प्रजाति है जिसके लिए प्रौद्योगिकी भी सुस्थापित है। फिलहाल, देश में झींगा पालन गतिविधियों का लगभग 80 प्रतिशत भाग परंपरागत/ व्यापक प्रणालियों के अधीन है।
- 2.2 झींगा जलकृिन के परिणामस्वरूप बीज उत्पादन, चारा उत्पादन और प्रोसेसिंग यूनिटें तथा जलकृिन मशीने/ उपकरण उत्पादन जैसी कई आनु-ाांगिक/ सहयोगी गतिविधियों का भी विकास हुआ है। कुल मिलाकर इन गतिविधियों ने तटीय क्षेत्रों में जीविका के विकल्पों और रोजगार अवसरों के सजन में योगदान दिया है।

3.0 झींगा जलकृ-ी पद्धतियां

3.1 झींगा जलकृिन की प्रौद्योगिकी, पैमाना और सघनता ही उत्पादन और उत्पादकता तथा तटवर्ती पर्यावरण पर पर्यावरणीय और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव निर्धारित करते हैं। फिलहाल, परंपरागत और वैज्ञानिक व्यापक झींगा कृिन पद्धतियां बहुत सामान्य हैं तथा देश के तटीय क्षेत्रों में किसानों द्वारा अपनाई गई हैं। परंपरागत/ उन्नत परंपरागत प्रणालियों की विशेनाताएं कम घनत्व का स्टाक रखना और अनुपूरक चारा तथा उर्वरकों का सीमित उपयोग करना है। वैज्ञानिक व्यापक कृिन में अनुपूरक बीज और चारे को तटवर्ती क्षेत्रों में भूमि और जल संसाधनों के उपयोग को अधिक प्रभावी रूप से एकीकृत साधन के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है।

3.2 झींगा कृिन की अन्य प्रौद्योगिकियां जैसे कि अर्ध गहनता और गहनता की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि इनमें बीज के स्टाक के उच्च घनत्व का उपयोग और अधिक मात्रा में चारे तथा उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ऐसी पद्धतियों में सामान्यतः प्राकृतिक संसाधनों की अधिक मांग होती है और इसके परिणामस्वरूप उच्चतर कार्बनिक भार पड़ता है जिससे तटीय क्षेत्रों में प्रदूनण तथा सामाजिक कुप्रभाव होता है। अतः झींगा कृिन की केवल परंपरागत/ उन्नत परंपरागत तथा वैज्ञानिक विस्तार प्रणालियों की अनुमति दी जानी चाहिए।

4.0 स्थान का चयन

- 4.1 जलकृिन में स्थान का चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इससे अक्सर छोटे अथवा बड़े झींगा फार्म की सफलता अथवा विफलता निर्धारित हो सकती है। झींगा फार्म स्थापित करने के लिए स्थल को अंतिम रूप देते समय जलकृिन के प्रौद्योगिकीय (जैविकीय, भौतिक और रासायिनक) पहलुओं के अलावा सामाजिक, आर्थिक और कानूनी मुद्दों को कवर करने वाले सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जाना होता है। यह भी आवश्यक है कि स्थल की पर्याप्तता और फार्म की निर्माण की लागत तय करने के लिए स्थल के पिछले उपयोग और स्थलाकृित को देखा जाए।
- 4.2 स्थल चयन के संबंध में निम्निलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए होते हैं कि झींगा फार्म सुव्यवस्थित रूप से स्थानीय पर्यावरण और सामाजिक तालमेल में एकीकृत हों। उन सीमाओं की पहचान करके जो स्थल की उपयोगिता को प्रभावित करती हैं, फार्म डिजाइन में सुधारात्मक उपाय करना संभव होता है और इन सीमाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों के लिए उपचारात्मक उपाय तैयार करना भी संभव होता है।
- 4.3 वृहद पैमाने पर झींगा जलकृि। से भू-संसाधनों की व्यापक मांग उत्पन्न हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप बहुउपयोगकर्ता में टकराव हो सकता है। झींगा फार्म कृि। भूमि पर बनना शुरू हो सकते हैं। राज्यों को ऐसी भूमि/ क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करना चाहिए जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयुक्त होती हैं और झींगा कृि। के लिए उपयुक्त क्षेत्र का आवंटन करना चाहिए। उन्हें जलकृि। के लिए कृि। भूमि के परिवर्तन को हतोत्साहित करना चाहिए। केवल खेती के लिए अनुपयुक्त छोटे भूखंड पर झींगा तालाब के निर्माण की अनुमित दी जानी चाहिए। तथािप, झींगा फार्म स्थािपत करने के लिए अनुमोदन देते समय विभिन्न संबंधित क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धी और सहकारी गतिविधियों पर भी विचार करना चाहिए।
- 4.4 सामान्यतः मिटयार दुमट मृदा को तरजीह दी जाती है। बलुई क्षेत्र में फार्म का रखरखाव करने में उच्च पूंजीगत और प्रचालनात्मक लागत आएगी, क्योंकि बलुई मृदा में से जल रिसाव उच्च होता है और इससे होने वाली संभावित पर्यावरणीय क्षिति से बचना चाहिए। इसके अलावा, मृदा की स्थलाकृति और इसकी रूपरेखा को जल ग्रहण और जल निकासी के मुद्दों तथा निर्माण लागत के संबंध में सुनिश्चित करना चाहिए। बेहतर स्थल वह होता है जिसमें पूर्णतया खाली किए जा सकने वाले तालाब का निर्माण करने के लिए कम पूंजीगत निवेश होता है।
- 4.5 मृदा की गुणवत्ता मृदा पी०एच०, पारगम्यता, सहय क्षमता और भारी धातु तत्व के लिए सुनिश्चित की जानी चाहिए। 5 पी०एच० से कम वाली मृदा (उदाहरण एसिड सल्फेट मृदा) से बचना चाहिए। इसी प्रकार भारी धातुओं की उच्च सान्द्रता वाली मृदा से भी बचना चाहिए। झींगा फार्म के निर्माण के लिए आदर्श विशे-ाता वाली उपयुक्त मृदा निम्नानुसार होती है:-

पी0एच0	जैविक	कैल्सियम	उपलब्ध	उपलब्ध	
	कार्बन	कार्बोनट	नाइट्रोजन	फास्फोरस	विद्युत संचालकता
7-8	1.5-2.5%	>5%	50-75	4-6	>4
			मिलीग्राम/100	मिलीग्राम/100	माइक्रो म्हो
			ग्राम मृदा	ग्राम मृदा	

- 4.6 प्रस्तावित क्षेत्र के जल के संबंध में मौसम संबंधी आंकड़े फार्म के डिजाइन के विकास के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि फार्म में स्वीकार्य गुणवत्ता के जल की उपलब्धता हो। इस संबंध में अपेक्षित महत्वपूर्ण आंकड़े व-र्गा, ज्वारभाटा उतार-चढाव, हवा की दिशा और गति, बाढ़ का स्तर, तूफान, चक्रवात, हिम तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आवर्ती और पुनरावृत्ति के समय के संबंध में होते हैं। चक्रवात प्रवण क्षेत्रों और ऐसे स्थानों पर फार्मों के निर्माण करने से बचना चाहिए जहां बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं।
- 4.7 कच्छ वनस्पित मृदा को बांधने में पो-ाण तत्वों के चक्र के एक स्रोत के रूप में, बफर के रूप में और अनेक प्रदू-ाणों के प्राकृतिक जैविक फिल्टर के रूप में तथा प्रजनन स्थल के रूप में और अनेक महत्वपूर्ण फिन तथा सैलफिसिस के लिए पालन क्षेत्र के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि कच्छ वनस्पित को हटाने से पोस्ट-लार्वा की कम उपलब्धता के जिए खुले जल में फिन तथा शैलिफिसिस की वृद्धि में गिरावट आती है। कच्छ वनस्पित का अब देश के पर्यावरण कानून के अधीन कानूनी रूप से संरक्षण किया जाता है। कच्छ वनस्पित के क्षेत्रों में झींगा फार्मों की अधिक गहनता विश्व में अन्यत्र स्थिर सिद्ध नहीं हुई है। कच्छ वनस्पित की मृदा संभावित अम्ल सल्फेट मृदा होती है और झींगा फार्मों की स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं है। राज्यों को प्राकृतिक कच्छ वनस्पित क्षेत्रों अथवा पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील आर्द्र भूमि, दलदल आदि के अंदर झींगा फार्मों के निर्माण की अनुमित नहीं देनी चाहिए।
- 4.8 झींगा फार्म के लिए स्थल का चयन करते समय सड़क, विद्युत, प्रजननकों की निकटता, चारा निर्माण यूनिटों/ चारा खुदरा विक्रेताओं, बर्फ के प्लान्टों, प्रोसेसिंग प्लान्टों जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं पर विचार करना चाहिए क्योंकि ये पालन प्रचालनों की मितव्यियता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।
- 4.9 स्थल का चयन करने और बाद में सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों से भी बचने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत जो अनिवार्य हैं, अपनाए जाने चाहिएं :-
 - झींगा कृिन के लिए कच्छ वनस्पित, कृिन भूिम, लवण पटल भूिम और अभयारण्य, समुद्री जीव पार्क आदि जैसे पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
 - झींगा फार्म 500 से कम आबादी वाले ग्रामों/ निवासों से कम से कम 100 मीटर दूर और 500 से अधिक आबादी वाले ग्राम/ निवासों से 300 मीटर से अधिक दूर स्थित होने चाहिए। बड़े कस्बों अथवा विरासतीय क्षेत्रों में यह दूरी लगभग 2 किलोमीटर होनी चाहिए।
 - सभी झींगा फार्मों को निकटतम पेय जल स्रोत से 100 मीटर की दूरी रखनी चाहिए।
 - झींगा फार्म प्राकृतिक नालों, नहरों/ बाढ़ के नालों के आर-पार स्थित नहीं होने चाहिए।
 - संकरी खाड़ी, नहर, समुद्र आदि जैसे आम संपदा संसाधनों का उपयोग करते समय यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि कृ-ि गतिविधि से मछली पकड़ने आदि जैसी किसी अन्य परंपरागत गतिविधि में हस्तक्षेप न हो।

- निकटवर्ती झींगा फार्मों के बीच की दूरी स्थान विशि-ट के अनुसार हो सकती है। छोटे फार्मों में 2 निकटवर्ती फार्मों के बीच कम से कम 20 मीटर की दूरी रखी जानी चाहिए ऐसा विशे-ा रूप से जनता को मछली निकालने के केन्द्रों और अन्य आम सुविधाओं तक पहुंचने के लिए किया जाना चाहिए। फार्म के आकार पर निर्भर करते हुए 2 फार्मों के बीच यह दूरी अधिकतम 100-150 मीटर निर्धारित की जा सकती है। मृदा की बेहतर बनावट होने के मामले में ज्वार नदमुख आधारित फार्म के लिए बफर जोन 20-25 मीटर हो सकता है। समुद्र आधारित फार्मों के मामले में प्रत्येक 500 मीटर के लिए 20 मीटर चौड़ाई की दूरी तथा नदीमुख आधारित फार्मों के लिए प्रत्येक 300 मीटर फासले के लिए 5 मीटर चौड़ाई का फासला प्रदान किया जा सकता है तािक वहां सुगमता से पहुंचा जा सके।
- बड़े फार्मों की स्थापना समूहों में की जा सकती है जिसमें समूहों के बीच पहुंचने की व्यवस्था की जा सकती है।
- निकटतम कृ-ि। भूमि (मृदा स्थिति पर निर्भर करते हुए), नहर अथवा जल निकासी के किसी अन्य स्रोत और झींगा फार्म के बीच न्यूनतम दूरी 50-100 मीटर रखी जानी चाहिए।
- िकसी फार्म का जल प्रसार क्षेत्र भूमि के कुल क्षेत्रफल के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। शे-ा 40 प्रतिशत का उपयोग उपयुक्त रूप से अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। जहां कहीं संभव हो पेड़ लगाए जा सकते हैं।
- जिन क्षेत्रों में पहले ही अधिक संख्या में झींगा फार्म हों उनसे बचना चाहिए। ग्रहण करने वाले जलाशय की रखरखाव/ समाहित करने की क्षमता का अध्ययन करने के बाद ऐसे क्षेत्रों में नए फार्मों की अनुमति दी जा सकती है।

5.0 झींगा फार्मी का निर्माण और तैयारियां

5.1 फार्म का डिजाइन और निर्माणः झींगा फार्म के सक्षम प्रबंधन और पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उनका उचित डिजाइन बनाना और निर्माण करना आवश्यक होता है। बाढ़ स्तर, तूफान, अपरदन, सीपेज, जलग्रहण और निकासी स्थलों के संबंध में समस्याओं से बचने के लिए अच्छे स्थान का चयन करना और फार्म के डिजाइन में न्यूनीकरण की विशे-ाताएं समाहित करना बेहतर तरीके होते हैं। झींगा फार्म के डिजाइन और निर्माण के लिए स्थल विशि-ट दृ-टिकोण आवश्यक है क्योंकि स्थल विशे-ाताएं स्थान-दर-स्थान बहुत भिन्न होती हैं। झींगा फार्म का डिजाइन बनाने और निर्माण करते समय निम्नलिखित चेकलिस्ट पर विचार करना चाहिए:-

फार्म के डिजाइन और निर्माण के लिए चेकलिस्ट

- बाढ़ तथा अपरदन से बचने के लिए ज्वार-भाटा के आयाम, जल प्रवाह की तेजी, वायु की दिशा, लहर का आयाम और चक्रवातों/ तूफानों के दौरान क्षेत्र में बाढ़ आने के पिछले इतिहास पर विचार करके तटबंधों का डिजाइन तैयार करना चाहिए।
- जो मृदाएं सीपेज प्रवण हैं उनके डिजाइन में अधिक ठोसपन के साथ बांध में अंदर मिट्टी की सतह शामिल करनी चाहिए और फार्म के चारों ओर खाई बनानी चाहिए तािक निकटवर्ती भूमि में लवणीय जल के प्रवेश में कमी लाई जा सके।
- तालाब की निचली सतह, निकासी नहर और निकास स्थल की ऊंचाई इस प्रकार डिजाइन की जानी चाहिए कि फार्म से जल पूर्णतया और आसानी से गुरूत्वाकर्नण के जिए निकाला जा सके।

- तालाबों में अलग-अलग इनटेक और आउटलेट ढ़ांचे होने चाहिए ताकि भराव और निकासी पर नियंत्रण रखा जा सके।
- तालाबों में कम से कम 80-100 सेंटीमीटर गहरा पानी होना चाहिए।
- भरने और खाली करने की नालियां अलग-अलग होनी चाहिए तािक जल आपूर्ति और दूि-ात जल का मिश्रण न हो। जिन क्षेत्रों में ऐसा प्रावधान नहीं किया जा सकता है उनके संबंध में यह सराहनीय होगा कि डिजाइन में दूि-ात जल उपचार तालाब शािमल किए जाएं।
- फार्म के डिजाइन से जल प्रवाह में परिवर्तन नहीं होना चाहिए अथवा बाढ़ का पानी नहीं रुकना चाहिए।
- नालियों के मुहाने वाटर टाइट होने चाहिए और इनमें जाली के फिल्टर लगे होने चाहिए।
- जहां कहीं संभव हो वनस्पित बफर जोन, तटवर्ती वनस्पितकरण और रिहायस गिलयारे बनाए जाने चाहिए तथा खुली भूमि पर वनस्पित उगाई जानी चाहिए।
- पम्प इनटेक्स को रक्षावरण देना चाहिए, पम्प स्टेशनों के आसपास वनस्पित का बफर प्रदान करना चाहिए और ईंधन के बिखराव को रोकने के लिए रुकावट खड़ी करनी चाहिए।
- 5.2 इनटेक रिजर्वायर और एफल्यूएंट तालाबों का निर्माणः जिन क्षेत्रों में स्रोत जल तत्वों से गंदला होता है वहां इनटेक रिजर्वायर गाद बैठने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में झींगा फार्म की बहुलता होती है वहां इनटेक तथा निकासी एक ही स्रोत (जैसे कि संकरी खाड़ी, नदी का मुहाना, बैक वाटर) से होती है वहां जल के उपचार के प्रावधान सहित इनटेक रिजर्वायर आवश्यक होता है। जिन क्षेत्रों में ज्वार-भाटा का प्रवाह तेज होता है और ज्वार की लहरें ख्र्री होती है वहां दूिनत जल को भाटा लहर के दौरान सीधे बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में ज्वार-भाटा का प्रवाह कम होता है, वहां यह आवश्यक होता है कि दूिनत जल को प्राकृतिक प्रणाली में निकालने से पूर्व एफल्यूएंट उपचार तालाब (ई0टी0पी0) में उपचारित किया जाए। 5 हैक्टेयर से बड़े फार्मों के लिए एक ई0टी0एफ0, दूिनत जल को रखने और पुनः तैयार करने के लिए रिजर्वायर के रूप में, अनिवार्य होता है। फार्म के कुल क्षेत्र का कम से कम 10 प्रतिशत इस प्रयोजन के लिए आरक्षित रखना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि छोटे फार्म जो एक-दूसरे के बहुत निकट (फार्म समूह में) स्थित होते हैं उन्हें आम ई0टी0पी0 स्थापित करने पर विचार करना चाहिए ताकि स्व-प्रदू-ाण और अधिक पो-ाक तत्वों तथा ठोस पदार्थों को रिलीज करने से बचा जा सके, जो प्राप्त करने वाले जलाशय में यूट्रोफिकेशन कर सकते हैं।
 - बेहतर जल प्रबंधन के लिए प्रत्येक पालन यूनिट 5 हैक्टेयर क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए और फार्म के अंदर ही उपयुक्त फीडर चैनल प्रणाली प्रदान की जानी चाहिए ताकि वाटर इनटेक का सभी व्यक्तिगत यूनिटों में प्रभावी प्रबंधन किया जा सके।
- 5.3 तालाब तैयार करनाः तालाब तैयार करना पालन पद्धित का आवश्यक भाग है जिसके दौरान पिछले पालन चक्र से मृदा में मौजूद मैटाबोलाइट भार तथा संदू-ाण (रासायिनक और जैविक) जुताई, निराई तथा सूखाने के जिरए समाप्त किए जाते हैं। तालाब तैयार करने के दौरान जन्तुबाधा और परभक्षी हटा दिए जाते हैं तथा जल और मृदा में पी0एच0 तथा पो-ाक तत्वों का स्तर चूने, कार्बनिक खाद और अकार्बनिक उर्वरकों को डालकर इ-टतम सांद्रता तक लाया जाता है। तालाब तैयार करने और संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में निम्नलिखित चेकलिस्ट सहायता करेगी:-

- पिछले पालन से तालाब तलछट, जिसमें पो-ाक तत्वों और अन्य संदू-ाणों का जमाव होने की संभावना होती है, का प्राकृतिक पर्यावरण में निपटान नहीं किया जाना चाहिए। यदि तलछट को हटाना आवश्यक हो तो इसका निपटान फार्म स्थल के अंदर ही किया जाना चाहिए। यह कार्य तलछट को चौड़े बांधों में बनी खाइयों में डालकर किया जा सकता है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह तलछट बहकर बाहर न निकले।
- चूने का उपयोग मृदा और जल के पी0एच0 को सुधारने में संदू-।णनाशक के रूप में और खनीजीकरण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। यदि मृदा पी0एच0 7.5 से कम नहीं है तो एक 300-500 किलोग्राम/ हैक्टेयर की खुराक दी जा सकती है। तथापि, अम्लीय मृदा, जहां पी0एच0 कम होता है, में डाली जाने वाली चूने की मात्रा की गणना पी0एच0 और उपयोग किए जाने वाले चूने के आधार पर की जानी चाहिए।
- अवांछित और जन्तुबाधा जीवाणु न-ट कर दिए जाने चाहिए और तालाब की तली को सूखाकर तालाब से समाप्त कर दिए जाने चाहिए। जिन मामलों में पूर्णतः सूखाया जाना संभव नहीं है वहां कार्बनिक, जैविक रूप से अपरदनीय मत्स्यनाशक जैसे कि महुए के तेल की खली (100-150 पी0पी0एम0) चाय के बीज की खली (15-20 पी0पी0एम0) और चूना (अधिमानतः कैल्सियम आक्साइड) का उपयोग किया जा सकता है। किसी रासायनिक मत्स्यनाशक का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- कार्बनिक मत्स्यनाशक डालने के बाद इसके वि-गाक्त प्रभाव को समाप्त करने के लिए कम से कम 10 दिन की अविध दी जानी चाहिए। जिन तालाबों में तली को सूखाना संभव नहीं है उनमें जन्तुबाधा और रोगजनक को समाप्त करने के लिए क्लोरिन का प्रयोग किया जा सकता है।
- उर्वरकों और खाद का उपयोग संस्तुत खुराक (निम्न सारणी 1) के अनुसार आवश्यकतानुसार न्यायोचित रूप से किया जाना चाहिए। अधिक उर्वरक डालने से बचना चाहिए। तालाब में पादप प्लवक के विकास के आधार पर उर्वरक अनुसूची तय करनी चाहिए। प्लवक विकास के संकेतक के रूप में जल के रंग और पारदर्शिता को लेना चाहिए। पालन की अविध के दौरान पादक प्लवक के इ-टतम घनत्व को लेना चाहिए।
- कभी भी भारी शैवाल चमक का विकास नहीं होने देना चाहिए क्योंकी शैवाल चमक के टकराव से तालाब में आक्सीजनहीन स्थिति हो सकती है, जिससे झींगा का जीवन और विकास प्रभावित होता है।

सारणी-1 परंपरागत और व्यापक प्रणाली की कृिन में उत्पादन में सुधार करने के लिए कार्बनिक खाद और अकार्बनिक उर्वरकों की संस्तुत खुराक

मृदा के जैविक कार्बन तत्व के संबंध में खाद की खुराक					
	विहित आधार खुराक				
मृदा में जैविक कार्बन(%)	गाय का कच्चा	मुर्गी की सूखी खाद			
	गोबर (किलोग्राम/ हैक्टेयर)	(किलोग्राम/ हैक्टेयर)			
1	500	175			
0.5	1000	350			
0.25	2000	700			

उपलब्ध नाइट्रोजन के संबंध में यूरिया डालना		
मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन	डाला जाने वाला यूरिया	
(मिलीग्राम/100 ग्राम मृदा)	(किलोग्राम/ हैक्टेयर)	
12.5	100	
25.0	50	
50.0	25	

उपलब्ध फारफोरस के संबंध में सुपर फास्फेट डालना		
मृदा में उपलब्ध फास्फोरस	डाला जाने वाला सुपर फास्फेट	
(मिलीग्राम/100 ग्राम मृदा)	(किलोग्राम/ हैक्टेयर)	
1.5	100	
3.0	50	
6.0	25	

(स्रोतः जलकृ-। प्राधिकरण, 1999)

6.0 जल गुणवत्ता और इसका प्रबंधन

6.1 वर्न भर पर्याप्त मात्रा में खारा जल/ समुद्री जल उपलब्ध होना चाहिए। जल का स्रोत बैकवाटर, नहर/ संकरी खाड़ी, समुद्र ताल अथवा समुद्र हो सकता है। स्थल में उपलब्ध जल की गुणवत्ता का झींगा फार्म की सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पी0एच0, लवणता, घुली हुई आक्सीजन और वि-ौले/ प्रदू-ित पदार्थों की मौजूदगी जैसे जल गुणवत्ता पैरामीटरों का पता लगाया जाना चाहिए। कम पी0एच0 वाले जल से गंभीर समस्याएं उत्पन्न होंगी और इसी प्रकार लवणता में अधिक उतार-चढ़ाव होने से पालन की जाने वाली प्रजातियों में व्यवधान आएगा। जल स्रोत को प्रौद्योगिक/ कृ-ि। प्रदू-ाण से मुक्त होना चाहिए। संदू-ाणों की उपस्थित और उनके स्तर पर सहयता तथा पालन की जाने वाली प्रजातियों पर इनके उक्त मारक प्रभाव के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। झींगा के बेहतर जीवन और विकास के लिए जल के विभिन्न गुणवत्ता पैरामीटरों के इ-टतम स्तर निम्नलिखत सारणी 2 में दिए गए हैं -

सारणी-2 झींगा फार्मों के लिए जल गुणवत्ता पैरामीटरों के इ-टतम स्तर

क्रम सं०	जल गुणवत्ता पैरामीटर	इ-टतम स्तर
1.0	तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)	28-33
2.0	पारदर्शिता(सेंटीमीटर)	25-45
3.0	पी0एच0	7.5-8.5
4.0	घुली हुई आक्सीजन (पी0पी0एम0)	5-7(50% वायु संतृप्तता से अधिक)
5.0	लवणता ((पी0पी0टी0)	15-25
6.0	कुल क्षारता (पी0पी0एम0)	200
7.0	घुला हुआ अकार्बनिक फास्फेट (पी0पी0एम0)	0.1-0.2
8.0	नाइट्रेट-एन०(पी०पी०एम०)	<0.03

क्रम सं०	जल गुणवत्ता पैरामीटर	इ-टतम स्तर
9.0	नाइट्राइट-एन०(पी०पी०एम०)	<0.01
10.0	अमोनिया-एन०(पी०पी०एम०)	<0.01
11.0	कैडमियम(पी0पी0एम0)	<0.01
12.0	क्रोमियम(पी0पी0एम0)	<0.1
13.0	तांबा(पी0पी0एम0)	<0.025
14.0	सीसा(पी0पी0एम0)	<0.1
15.0	पारा(पी0पी0एम0)	<0.0001
16.0	जस्ता(पी0पी0एम0)	<0.1

- 6.2 झींगा पालन तालाबों में उत्पादित पो-ाक और जैविक कचरे में ठोस तत्व (मुख्यतः खाया न गया चारा, मल पदार्थ और मृत प्लवक) तथा घुले हुए मैटाबोलाइट (मुख्यतः अमोनिया, फास्फेट, कार्बन डाई आक्साइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट) होते हैं। इन्हें सहय सीमा के अंदर बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रबंधन विधियां अपनाई जाती हैं। इनमें अधिक मितव्ययी जल बदलना है। प्रतिदिन 5-30% जल बदलने का कार्य सामान्यतः जल की उपलब्धता और तालाब के जल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जल तथा मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई रसायन और प्रोबायोटिक्स उपयोग किए जाते हैं।
- 6.3 निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए होते हैं कि इन पद्धतियों के हानिकारण प्रभाव में कमी आए।
 - न्यूनतम बर्बादी के साथ जल स्थिर चारे का उपयोग करके जल की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए।
 - जल गुणवत्ता के पैरामीटरों की मानीटरिंग नियमित रूप से की जानी चाहिए और जल गुणवत्ता की स्थिति को इ-टतम बनाए रखने के लिए आवधिक जल प्रबंधन आवश्यक होता है। जल बदलने के समय जल की गुणवत्ता में अधिक उतार-चढ़ाव से बचने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए तािक झींगा पर अधिक दबाव पड़ने से बचा जा सके और जन्तुबाधा तथा परभक्षी के प्रवेश को रोकने के लिए उचित रक्षावरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रातःकाल में घुली हुई आक्सीजन की सांद्रता मापी जानी चाहिए।
 - उर्वरकों और चूने का उपयोग जिम्मेदार तरीके से, वास्तव में अपेक्षित होने पर किया जाना चाहिए।
 - पालन जल की लवणता में कमी करने के लिए ताजे पानी के उपयोग से स्थिरता के कारणों के लिए बचना चाहिए; यद्यपि झींगा लवणता की व्यापक रेंज में अनुकूलन कर सकती है और विकास कर सकती है, लेकिन लवणता के फल्क्सों से बचना बेहतर होता है ताकि झींगा को दबाव से बचाया जा सके जिससे वे रोगों के लिए अधिक प्रवण हो सकती हैं।
 - कम घनत्व वाले पालन में उच्च स्तर का जल परिवर्तन अपेक्षित नहीं होता है। खुले वातावरण में पो-ाण तत्वों के भार की शिकायत को देखते हुए स्रोत जल में वायरल संदू-ाण के डर से जल परिवर्तन जरूरत आधार पर किया जाना चाहिए। यदि जल गुणवत्ता इ-टतम सीमाओं के अंदर रहती है तो प्रजनन के पहले 2 माह के अंदर जल परिवर्तन अपेक्षित नहीं होता है।

 रसायनों, बैक्ट्रियायुक्त और एंजाइमयुक्त खुराकों, जो पो-ाक तत्वों में कमी को दूर करते हैं, के अविवेकशील उपयोग, जैविक तत्व, आक्सिकरण और जल तथा मृदा से अमोनिया को हटाने से बचना चाहिए।

7.0 बीज उत्पादन

- 7.1 सभी झींगा अंडज उत्पत्तिशालाओं को एम0पी0ई0डी0ए0 द्वारा उनके मानदंडों के अनुसार पंजीकरण कराने की जरूरत होती है, जिनकी सूचना प्राधिकरण को बाद में होने वाली इसकी बैठकों में दी जा सकती है। प्राधिकरण को अंडज उत्पत्तिशालाओं की समीक्षा करने तटवर्ती जलकृिन क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त निर्णय लेने की शक्तियां प्राप्त होंगी।
- 7.2 सतत् झींगा कृि। के लिए स्वरथ्य और रोगमुक्त झींगा बीज का उत्पादन करना प्रथम कदम है। 2004 के अंत तक देश में लगभग 300 झींगा अंडज उत्पत्तिशालाएं स्थापित की गई थीं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 12 बिलियन पोस्ट लार्वा है। ये अंडज उत्पत्तिशालाएं मुख्यतः देश के पूर्वी तट पर स्थित हैं।
- 7.3 अंडज उत्पत्तिशाला के प्रचालनों को मुख्यतः ब्रूड स्टाक, लार्वा/ पोस्ट लार्वा पालन और जीवित चारा प्रबंधन में व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। चूंकि रोगमुक्त कृि। के लिए स्वस्थ्य बीज का उत्पादन करना प्रथम कदम है इसलिए झींगा अंडज उत्पत्तिशालाओं के लिए कड़ी सफाई, संगरोध और गुण नियंत्रण प्रबंधन बनाए रखना अपेक्षित होता है तािक जैव सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। मानक और एक समान गुणवत्ता के बीज जो रोगजनक मुक्त हो, का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए झींगा अंडज उत्पत्तिशाला द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश अपनाए जाने चाहिए।
- 7.4 अंडज उत्पत्तिशालाओं को अपनी प्रजनन प्रणाली में जल गुणवत्ता की इ-टतम विशे-ाताएं अपनाकर समुद्री गुणवत्ता के समुद्री जल की अच्छी आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि लावीओं पर पड़ने वाले किसी दबाव से बचा जा सके। यह कार्य अपेक्षित गुणवत्ता के जल वाले अच्छे स्थल का चयन करके किया जा सकता है।

सारणी-3 झींगा अंडज उत्पत्तिशालाओं के लिए जल के संस्तृत गुणवत्ता पैरामीटर

पैरामीटर	सहय सीमा	इ-टतम स्तर
तामक्रम (डिग्री सेल्सियस)	18-38	28-32
लवणता(पी0पी0टी0)	26-34	30-34
पी0एच0	7.0-9.01	8.0-8.4
घुली हुई आक्सीजन (पी0पी0एम0)	3 से अधिक	4 से अधिक
अमोनिया-एन०(पी०पी०एम०)	0.1 तक	0.01 से कम
नाइट्राइट-एन०(पी०पी0एम०)	0.1 तक	0.01 से कम

इसके अलावा, जल का उपचार सभी प्रलंबित ठोस पदार्थों, घुले हुए पो-ाक तत्व और बैक्टिरियाई तथा वायरल रोगजनकों को हटाने के लिए करना चाहिए। यह कार्य जल के अच्छे उपचार प्रोटोकॉल का अनुसरण करके किया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- अवसादन
- जल में क्लोरिन मिलाना और क्लोरिन का स्तर कम करना

- बालू के फिल्टरों से छानना
- सक्रिय कार्बन फिल्टर से छानना
- एक माइक्रोन आकार तक के काट्रेज से छानना
- यू०वी० फिल्ट्रेशन/ ओजोनेशन
- 7.5 जलांडक/ ब्रूडस्टॉक की गुणवत्ताः मादा झींगा से वायरल रोगजनक का गर्भाश्य उत्तकों के जिरये लार्वा में सीधे अंतरण होना अंडज उत्पत्ति प्रणाली में वायरल रोगजनक पैदा होने का एक स्रोत है। इसके अलावा, जलांडकों पर पड़ने वाले किसी दबाव से जलांडक की खराब गुणवत्ता के अंडे उत्पन्न होते हैं। अच्छी गुणवत्ता के अंडे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
 - वाणिज्यिक महाजाल प्रचालनों से एकत्र किए गए जलांडक/ ब्रूड स्टॉक पर महाजाल में पकड़ने के समय दबाव पड़ता है। इन्हें तत्काल और कोई दबाव/ आहत किए बिना अंडज उत्पत्तिशालाओं में भेज देना चाहिए।
 - एकत्र किए गए जलांडजो को अलग-अलग असंक्रमित जल में रखना चाहिए तथा इन्हें आक्सीजन की पैकिंग के अधीन तत्काल भेज देना चाहिए। पकड़ने के समय से लेकर जलांडकों का अलग-अलग रखरखाव करने का कार्य महत्वपूर्ण है तािक वायरल रोगजनकों के साथ इनका संदू-ाण होने से बचा जा सके।
 - ब्रूडस्टॉक का अंडज उत्पत्तिशाला में पहुंचने पर संगरोध किया जाना चाहिए ताकि रोगजनकों के प्रवेश को रोका जा सके। जलांडक/ ब्रूडस्टॉक, जिसमें कोई घाव नहीं है, जिसका गिल क्षतिग्रस्त नहीं है, जिसके जन्मजात गुण को नुकसान नहीं पहुंचा है और जिसका रंग लाल नहीं हुआ है, का ही चयन किया जाना चाहिए।
 - जलांडक/ ब्रूडस्टॉक का रोगिनराधी उपचार अच्छे वातन के अधीन एक घंटे के लिए 50 पी0पी0एम0 पर फोरमेलिन से किया जाना चाहिए। यह कार्य स्टाक को अंडज उत्पित्तशाला/ परिपक्वता प्रणाली में रखने से पूर्व किया जाना चाहिए।
 - जलांडक/ ब्रूडस्टॉक को अलग-अलग जलवायु के अनुकूल बनाना चाहिए और प्लवपाद के अंतिम शीरे का उपयोग करके डब्ल्यू0एस0एस0वी0 की उपस्थिति के लिए तथा मल तत्वों से मोनोडोन बैकुलो वायरस (एम0बी0वी0) के लिए जांच की जानी चाहिए। इन रोगजनकों से मुक्त जलांडकों को ही अंडज उत्पत्तिशाला/ परिपक्वता प्रणाली में भेजना चाहिए।
- 7.6 कैप्टिव परिस्थितियों के अधीन लाई गई परिपक्वताः स्वस्थ्य, रोगजनक मुक्त, अपरिपक्व, ब्रूडस्टॉक, विल्ड से एकत्रित किए हुए को रोगनिराधी उपचार देने और जलवायु के अनुकूल बनाने के बाद परिपक्वता टैंकों में ले जाना चाहिए तथा पकड़ने और ढुलाई करने के दबाव से रिकवरी करने के लिए 4-5 दिन का समय देना चाहिए। इसके बाद इन्हें आईस्टॉक अपअपरदन के जिरए निम्नलिखित दिशा-निर्देश अपनाकर परिपक्व किया जाता है।
 - कठोर कवच युक्त थिलिकम में स्पर्ममैटोफोर्म वाले रोग और घाव से मुक्त स्वस्थ्य मादा झींगा का चयन आईस्टॉक अपअपरदन के लिए करना चाहिए।
 - मादा को आकार में 100 ग्राम से अधिक होना चाहिए तािक अच्छी गुणवत्ता के अंडे सुनिश्चित किया जा सके।

- हाल ही में केंचुली उतारे हुए और केंचुली उतारने के लिए तैयार मादा झींगा के लिए आईस्टॉक अपअपरदन करने से बचा जाना होता है।
- इलेक्ट्रोकोट्रिजेशन अपक्षरित आईस्टॉक का सर्वोत्तम तरीका है क्योंकि इससे न्यूनतम दबाव पड़ता है।
- अपक्षरित मादा झींगा को 4 नग प्रति वर्गमीटर की दर पर अपक्षरित न हुए नर के साथ परिपक्वता टैंक में रखा जाता है। मादा और नर को 2:1 के अनुपात में रखने से सर्वोत्तम मैटिंग होती है।
- झींगा, पोलिचीट कृमि, बहु-असंतृप्त वसा अम्लों की लम्बी श्रृंखला में आरटिमिया बायोमास पु-ट की तरह अमिनो अल्म प्रोफाइल वाले क्लाम (मेरिट्रिक्स प्रजाति), मुसेल (परना विरिडिस) और स्कविड(लोलिगो प्रजाति) जैसे ताजे चारे का उपयोग परिपक्वता चारे के रूप में किया जाता है। आँख से देखकर ही पर्याप्त मात्रा में चारा दिया जाना चाहिए। केकड़े का मांस जैसे चारे, जो रोगजनकों का वाहक होते हैं, से बचा जाना चाहिए।
- जीवित चारे की वस्तुओं के अलावा अराचिडानिक अम्ल, इकोसोपैंटाईनोइक अम्ल और डीकैशोहैक्जाईनोइक अम्ल जैसे बहुसंतृप्त वसा अम्लों के साथ पु-ट गोली बने हुए चारे का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि अच्छी गुणवत्ता के अंडे सुनिश्चित हो सके।
- जल का 100 % से 200 % तक रोजाना परिवर्तन करके इ-टतम परिस्थितियों के अधीन जल गुणवत्ता का रखरखाव करना चाहिए।
- कम रोशनी होनी चाहिए और परिपक्वता टैंक के आसपास मानवों की आवा-जाही कम होनी चाहिए और अपक्षरित झींगा को व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

7.7 जलांड पैदा करना और अंडज उत्पत्ति करनाः

- अविवाचित जलांडक/ परिपक्व बनाए गए स्टाक को जलांडक टैंको में अलग-अलग रखने से पूर्व फोरमेलिन उपचार से असंक्रमित किया जाना चाहिए।
- जलांडक टैंको में चारा नहीं देना चाहिए।
- जलांडकों को एकत्र करना चाहिए, पूर्णतः धोना चाहिए और फोरमेलिन में डूबाकर तथा अंडज उत्पत्ति के लिए ताजे समुद्री जल में रखकर असंक्रमित करना चाहिए।
- जलांडकीकरण के बाद 2 घंटे के अंदर अंडो की गुणवत्ता उस समय आकंलित करनी चाहिए जब उर्वरक और अनुर्वरक अंडो की पहचान करना स्नगम होता है।
- यदि अंडो की गुणवत्ता खराब होती है तो उन्हें अस्वीकार कर देना सराहनीय होता है।
- केवल सकारात्मक रूप से सक्रिय फोटो टैक्टिक नौपली को लार्वा प्रजनन टैंक में भेजने के लिए एकत्र किया जाना चाहिए।

7.8 लार्वा पो-ाण/नर्सरी पो-ाणः

- एकल जलांडक से नौपली का पालन अलग करना चाहिए ताकि आपसी संदू-ाण से बचा जा सके।
- नौपली का स्टॉक रखने का घनत्व लार्वा पालन टैंको में 50 प्रति लीटर रखा जाना चाहिए।
- नौपली के जोइया 1 में बदलने से पूर्व शैवाल चारा देना शुरू करना चाहिए।

- जो पालन विकास की घातीय अवस्था में है उन्हें अपेक्षित मात्रा में शैवाल चारा देना चाहिए।
- शैवाल चारे को सांद्रित करना चाहिए तािक शैवाल पालन जल की अधिक मात्रा को इसके पो-गाहार भार के साथ शािमल करने से बचा जा सके।
- लार्वा पालन में जल की गुणवत्ता की मानीटरिंग अमोनिया, नाइट्राइट और बैक्ट्रियाई भार के लिए की जानी चाहिए।
- 1 एयर डिफ्यूजर स्टोन्स को प्रति वर्ग फीट पर 1 की दर से रखकर टैंक के सभी हिस्सों में एक समान वातन प्रदान किया जाना चाहिए। इससे टैंक में लार्वा और शैवाल चारा एक समान रूप से संवितरित रहेगा।
- जल परिवर्तन के दौरान जल निकासी के लिए उचित आकार की जाली के जाल का इस्तेमाल करना चाहिए तािक लार्वा पर दबाव डाले बिना मल पदार्थ हटाए जा सके।
- आरटिमिया नौपली/ फ्लेक आहार का इस्तेमाल आवश्यक रूप से शैवाल खुराक के साथ माइसिस-2 अवस्था से करना चाहिए।
- एंटीबायोटिक और अन्य औ-ाधियों का रोगनिरोधी उपयोग नहीं करना चाहिए और केवल अनुमत एंटीबायोटिक्स, रसायनों आदि का उपयोग करना चाहिए। अधिकतम संभव सीमा तक प्रोबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए।
- पी0एल0-5 पर लार्वा पालन टैंको में से लार्वा निकाल लेना चाहिए, फोरमेलिन में डूबोकर असंक्रमण उपचार करना चाहिए और इसे 15-20 प्रति लीटर की दर पर बाहर रखे नर्सरी टैंको में रखना चाहिए।
- नर्सरी पालन की बाद की अवस्था के दौरान आरटिमिया नौपली के साथ क्लाम मांस जैसी अन्य जीवित चारा वस्तुओं अथवा संतुलित यौगिक चारे का उपयोग किया जा सकता है।
- अपेक्षित लवणता स्तर तक अनुकूलन पालन की नर्सरी अवस्था में धीरे-धीरे किया जाना चाहिए।
- केवल पी0एल0-20 को मोनोडोन बैकुलो वायरस (एम0बी0वी0) और व्हाइट स्पॉट सिन्ड्रोम वायरस (डब्ल्यू0एस0एस0वी0) की उपस्थिति के संदर्भ में इसकी गुणवत्ता का परीक्षण करने के बाद ही किसानों को बेचा जाना चाहिए। यदि पालन की किसी अवस्था में डब्लयू0एस0एस0वी0 का पता चलता है तो सम्पूर्ण टैंक के लार्वा को अस्वीकार कर देना चाहिए।
- लम्बी दूरी तक ढुलाई करने के लिए बीज को कम तापक्रम पर थर्मोकोल के बक्सों में पैक करना चाहिए।
- अनुपूरक चारा और रॉ सामग्री को उचित रूप से हैंडल करना चाहिए तथा इनके बिखराव से बचने के लिए इनका संग्रह करना चाहिए।

7.9 शैवाल पालनः

- शैवाल पालन मकान के अंदर शुद्ध रूप में, तापक्रम नियंत्रित कमरों में करना चाहिए और इनका उपयोग बाह्य बहुलता पालन के लिए शुरूआती पालन के रूप में करना चाहिए।
- शैवाल के शुद्ध पालन के लिए यू0वी0 उपचारित जल का उपयोग करना सराहनीय होगा ताकि संदु-ाण रोका जा सके।
- लार्वा पालन टैंको में चारा देने से पूर्व वृहद पालन की गुणवत्ता का परीक्षण करना चाहिए।

7.10 आरटिमिया अंडज उत्पत्तिः

- आरटिमिया कृमि को-। को अंडज उत्पत्ति के लिए रखने से पहले असंक्रमित करना चाहिए।
- लार्वा पालन टैंको में चारे के रूप में उपयोग करने से पूर्व अंडज उत्पन्न आरटिमिया नौपली को कृमि को-ा कवच और अंडज उत्पन्न न करने वाले कृमि को-ाों से अलग करना चाहिए।
- केवल पौ-ाणिक रूप से बेहतर इनस्टार 1 नौपली का चारे के रूप में उपयोग करना चाहिए।

7.11 सामान्य जैव सुरक्षा प्रक्रियाएं:

- झींगा अंडज उत्पत्ति के स्वस्थ्य प्रचालन के लिए दिए जाने वाली पानी की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों से लिए गए प्रदू-ाण मुक्त जल का छान लेना चाहिए और संभवतः उपयोग से पहले इसका नि-ोचन करना चाहिए।
- अंडज उत्पत्तिशाला के विभिन्न खंडों के बीच मानव, सामग्री और व्यक्तिगत सामान की आवा-जाही को नियंत्रित रखना चाहिए ताकि संदु-ाण से बचा जा सके।
- पाद गड्ढे, बॉश बेसिन, टॉयलेट आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अंडज उत्पत्तिशाला के परिसर में पर्याप्त साफ-सफाई सुनिश्चित की जा सके।
- एफल्यूएंट जल को बाहर निकालने से पूर्व एफल्यूएंट उपचार प्रणाली में उपचारित करना चाहिए।
- पर्यावरण मानक सुनिश्चित करने के लिए एफल्यूएंटों की नियमित मानिटरिंग विहित की जाती है।
- अंडज उत्पत्तिशाला में विभिन्न अवस्थाओं में ब्रूडर/ बीज की स्वस्थ्य स्थिति की जांच करने के लिए माइक्रो जैविक/ पी०सी०आर० सुविधाओं जैसी पैथालॉजी प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।
- रूग्ण अथवा मृतप्राय झींगा का निपटान सुरक्षापूर्ण तरीके से करना चाहिए तािक स्टॉक के संद्-ाण से बचा जा सके।
- साफ-सफाई की वस्तुओं का उपयोग करके जैव फिल्टरों, टैंको, बाल्टियों, जालियों आदि की पूर्ण धुलाई और सफाई करनी चाहिए तथा इसके बाद इन्हें सूखाना चाहिए। जैव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से असंक्रमणीकरण करना चाहिए।
- अंडज उत्पत्तिशालाओं के लिए अक्सर अपने एफल्यूएंट की मानीटरिंग करना अपेक्षित होता है तािक जल गुणवत्ता मानक सारणी-5 में विहित सीमा के अंदर बने रहें। एफल्यूएंट निकासी मानक बनाए रखने की जरूरत पर विचार करते हुए एफल्यूएंट उपचार प्रणाली सभी अंडज उत्पत्तिशालाओं के लिए अनिवार्य होगी।
- यह आवश्यक है कि अंडज उत्पत्तिशालाओं में विभिन्न खंडों में उनकी गतिविधियों का उचित रिकार्ड रखा जाए ताकि पर्यवेक्षण एजेंसियां इनका सत्यापन कर सकें और इनका पता लगाना तथा बाजार तक सुगम पहुंच बनाना सुनिश्चित किया जा सके।
- 7.12 झींगा अंडज उत्पत्तिशालाओं के लिए अपने दैनिक प्रचालनों हेतु समुद्री जल की बहुत अधिक मात्रा अपेक्षित होती है। अंडज उत्पत्तिशाला में उपयोग किया गया जल और बाहर निकाले गए पदार्थों में घुले हुए और अघुलनशील कार्बनिक तत्व, पो-ाक तत्व, रसायन, एंटीबायोटिक्स आदि का संदू-ाण हो सकता है। जब संदू-ित जल खुले में निकाला जाता है तो इसे पर्यावरण प्रदू-ित होने की

संभावना रहती है जो अंडज उत्पत्तिशाला के प्रचालनों के लिए ही नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि पानी प्राप्त करने वाले और बाहर निकालने वाले स्थल पास-पास होते हैं। अतः एफल्यूएंटों का उचित उपचार करना आवश्यक होता है ताकि निकाला गया जल पर्यावरण मानकों के अनुरूप हो।

8.0 बीज का चयन और स्टॉक रखना

- 8.1 बीज की गुणवत्ता का पाले हुए झींगों के जीवन और विकास के साथ सीधा संबंध होता है और स्टॉक रखने के घनत्व का तालाब में उत्पन्न कचरे के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जितना अधिक स्टॉक रखने का घनत्व होगा उतनी ही उपयोग किए जाने वाले चारे की मात्रा अधिक होगी। स्टॉक रखने का घनत्व उच्च होने से जन्तुओं पर दबाव पड़ता है जिससे रोग फैलने की अधिक घटनाएं होती है। अधिक स्टॉक और चारे की दर वाले तालाबों में दूनित जल सामान्यतः घटिया गुणवत्ता का होता है और इससे अधिक उचित घनत्व के स्टॉक वाले तालाबों से निकलने वाले दूनित जल की तुलना में अधिक जल प्रदूनण होता है। अतः यह आवश्यक है कि निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।
 - स्टॉक रखने के लिए पंजीकृत अंडज उत्पत्तिशालाओं से लेकर केवल स्वस्थ्य और रोगजनक बीज का उपयोग करना चाहिए।
 - झींगा बीज के स्वारथ्य स्तर की पी०सी०आर० सिहत मानक परीक्षण प्रक्रियाओं के जिरए जांच करनी चाहिए।
 - प्राकृतिक संसाधनों से बीज एकत्र करने पर राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए तािक बहुत अधिक मात्रा में फिन और शेलिफिश प्रजाितयों को न-ट होने से बचाया जा सके।
 - स्टॉक रखने से पूर्व बीज का प्रचलित तापक्रम, लवणता और तालाब में पी0एच0 स्थिति के लिए अनुकूलन करना चाहिए, ऐसे बीज को धीरे-धीरे मिलाकर किया जा सकता है। बहुत कम लवणता वाले क्षेत्रों में 4-5 दिन की अविध तक लवणता समायोजन किया जाना होता है और यह कार्य अंडज उत्पत्तिशालाओं में ही करना चाहिए।
- 8.2 कृिन पद्धितयों की सततता पर स्टॉक रखने के घनत्व के अधिक प्रभाव को देखते हुए झींगा जलकृिन में केवल कम घनत्व के स्टॉक की अनुमित दी जाएगी। तथापि, विभिन्न प्रकार की पद्धितयों के लिए स्टॉक रखने के घनत्व तटवर्ती जलकृिन प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार होंगे।

9.0 चारा और चारा प्रबंधन

- 9.1 सभी झींगा चारा निर्माण यूनिटों को उनके मानदंडों के अनुसार एम0पी0ई0डी0ए0 द्वारा पंजीकृत करने की जरूरत है जिसकी सूचना प्राधिकरण को इसकी बाद में होने वाली बैठकों में दी जाए। प्राधिकरण के पास चारा मिलों के पंजीकरण की समीक्षा करने और तटवर्ती जलकृिन क्षेत्र की अपेक्षाओं के अनुसार उचित निर्णय लेने की शक्तियां होंगी।
- 9.2 झींगा कृिन में इ-टतम पैदावार स्तर के लिए चारा आधार होता है। देश में 2004 के अंत तक 1,50,000 टन चारे की उत्पादन क्षमता के साथ लगभग 33 झींगा चारा मिल स्थापित किए गए थे। इसके अलावा, स्थानीय यूनिटों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चारा निर्माण की छोटी यूनिटें मौजूद हैं।
- 9.3 तथापि, झींगा उन्हें प्रदान किए गए सम्पूर्ण चारे को नहीं खाता है और खाए गए चारे का केवल एक भाग ही झींगा मांस में परिवर्तित होता है। बिना खाया चारा, मल और चया-अपचयी कचरा दूिनत

- जल में पो-ााहार भार को बढ़ाता है। जैसे-जैसे चारा देने की दर बढ़ती है, वैसे-वैसे तालाब के जल की गुणवत्ता और मृदा गुणवत्ता सामान्यतः खराब होती है।
- 9.4 ताजा आहार झींगा तालाब में नाइट्रोजन भार को बढ़ाता है। अक्सर उन क्षेत्रों में तालाब की तली में मलबे और कचरे की काफी मात्रा जमा हो जाती है, जहां परिसंचलन धीमा होता है जिससे अधिक बीओडी बन जाता है और हानिकारक गैसे निकलती हैं जिनसे तली में रहने वाले झींगों पर दबाव पड़ सकता है। इसके विपरीत गोली बने हुए आहार का नियमित चारा दिए जाने से झींगे का अधिकतम विकास और दू-ित जल में पौ-ाणिक पु-टता कम हुई पाई गई है।
- 9.5 चारे की गुणवत्ता और रूपानतरण अनुपात/ सक्षमता का कचरे के स्तर पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। चारे में फासफोरस तत्व की कमी चया-अपचयी के संबंध में आहार की नाइट्रोजन का नियंत्रण और आकर्नकता, जल स्थिरता, बनावट और उचित आकार के चारे जैसी भौतिक विशे-ाताओं में सुधार करने से काफी हद तक पो-।।हार भार में कमी करने में सहायता मिलेगी।
- 9.6 सफल झींगा कृिन के लिए सावधानीपूर्ण चारा प्रबंधन आवश्यक है। तालाब में उचित मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के चारे, जल और मृदा गुणवत्ता का उपयोग करके इ-टतम स्थितियां बनी रहती हैं। इससे झींगा पर कम दबाव पड़ता है, रोग होने की संभावना कम होती है और वे चारे का उपयोग चारा रूपांतरण अनुपात के रूप में अधिक सक्षमता से करते हैं तथा चारे की लागत न्यूनतम होती है। तालाब में बेहतर गुणवत्ता के जल से दूिनत जल में पोनाहार का भार न्यूनतम होता है और पानी गिरने वाले जलाशयों में पर्यावरणीय प्रभाव पड़ने की संभावनाएं घटती हैं।
- 9.7 चारा आदान की मानीटिरिंग करना चारे की बर्बादी को न्यूनतम रखने के लिए अपेक्षित होता है। इसी प्रकार तालाब में खड़े स्टॉक की सावधानीपूर्वक मानीटिरिंग करने से यह सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलती है कि चारा देने का सही स्तर अपनाया गया है। निर्माता द्वारा विहित की गई चारा देने की दर, चारे की गुणवत्ता पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न होती है। निम्नलिखित सारणी-3 में दी गई चारा देने की दरों की संस्तुति की जाती है। तथािप, इसको चैक ट्रे अवलोकनों के आधार पर नियमित करना चाहिए।

सारणी-4 झींगा के विभिन्न आकारों के लिए संस्तृत चारा दर

झींगे का आकार (ग्राम)	शरीर भार के प्रतिशत के रूप में दैनिक चारा
2-5	4.0-3.0
5-10	3.0
10-15	3.0-2.5
15-20	2.5-2.0
20-35	2.0

- 9.8 झींगा कृ-ि। में चारा और चारा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाए जाने चाहिएः
 - चारा तत्वों में संदू-ाक, पो-ाणरोधी तत्व, सूक्ष्म जैविक वि-ा, प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स और अन्य अपिमश्रक पदार्थ नहीं होने चाहिए।
 - फार्म पर तैयार किए गए गीले आहार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, जब गीले आहार का उपयोग किया जाता है तब इसमें शामिल तत्व के रूप में क्रस्टेशियन से बचना चाहिए।

- इ-टतम जल स्थिरता के साथ केवल शु-क, पौ-ाणिक रूप से संतुलित गोली बनाए हुए चारे का उपयोग करना चाहिए।
- यथासंभव सीमा तक ताजे चारे का उपयोग करना चाहिए। यदि चारे का संग्रह 2 माह से अधिक समय के लिए किया गया हो तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। फफूंद और अन्य संद्र-ाण को रोकने के लिए चारे को शीत, श्-क स्थान पर संग्रह करना चाहिए।
- मानक फीड कर्व/ चार्ट (उपर्युक्त सारणी-4) से चारा दर तय की जानी चाहिए और साप्ताहिक आधार पर झींगा जैवमास के लिए समायोजित की जानी चाहिए।
- चारा देने की दर को नियमित करने के लिए चारा चैक ट्रे का उपयोग करना चाहिए। चारा चैक ट्रे को तालाब में व्यापक रूप से वितरित करना चाहिए।
- अधिक चारे और कम चारे, दोनों से बचना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए कि झींगा दिए गए अनुपूरक चारे की अधिकतम मात्रा का उपभोग करता है क्योंकि खाया न गया पड़ा हुआ अधिक चारा सड़ जाएगा और पानी की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, झींगा पर दबाव पड़ेगा और परिणामतः रोग होने का खतरा बढेगा।
- चूंिक झींगे के लिए चारे को पचाने हेतु लगभग 4 घंटे की जरूरत होती है इसलिए चारा देने की आवर्ती दिन में 4-6 बार होनी चाहिए। चूंिक झींगा रात्रिचर होता है इसलिए 60 प्रतिशत से अधिक चारा रात्रि के दौरान खिलाया जाना चाहिए।
- चारा रूपांतर अनुपात (एफ0सी0आर0) की मानीटरिंग करनी चाहिए। सावधानीपूर्वक बनाई
 गई चारा देने की अनुसूची के जिरये एफ0सी0आर0 में कमी करने से उत्पादन सक्षमता में
 सुधार होगा और कचरा भार में गिरावट आएगी।
- उच्च स्वीकार्यता, उच्च पचनीयता और समाहित होने की सक्षमता वाले चारे से कचरा उत्पादन और पो-ााहार भार में गिरावट आएगी। इसके अलावा, इससे उत्पादन लागत में कमी आएगी क्योंकि चारा वहन की जाने वाली लागत का 50 प्रतिशत से अधिक होता है।
- झींगा किसानों को दैनिक चारा अनुसूची का पूर्ण रिकार्ड रखना चाहिए तािक एफ0सी0आर0 का मूल्यांकन किया जा सके, जिसका उपयोग चारा खिलाने की सक्षमता बढ़ाने और चारा बर्बादी में कमी करने के लिए किया जाना चािहए।

10.0 झींगा का स्वास्थ्य प्रबंधन

- 10.1 वायरस, बैक्ट्रिया, प्रोटोजोआ से झींगा में प्रमुख रोग होते हैं। व्हाइट स्पॉट सिन्ड्रोम वायरस (डब्ल्यू०एस०एस०वी०) द्वारा पैदा किए गए "श्वेत चित्तीदार रोग ", जिससे अन्य स्थानों की तरह भारत में झींगा कृिन में गंभीर हािन हुई थी, सर्वाधिक प्रचलित वायरस रोग है; एक और प्रचलित वायरस रोग "पीला शीर्न रोग " है, जिसकी सूचना भारत में होने की नहीं मिली है लेकिन यह थाइलैण्ड और एशिया के अन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। झींगा कृिन में बैक्ट्रिया से उत्पन्न विब्रिओसिस, गिल जैसा प्रोटोजाआ रोग और जूथामिनयम द्वारा उत्पन्न बाह्य बदबूदार रोग भी समस्या पैदा करते हैं।
- 10.2 झींगा पालन प्रणाली में रोग फैलने का संबंध जल गुणवत्ता में गिरावट, तलछट और स्व-प्रदू-ाण जैसे पर्यावरणीय घटकों में होता है। इनका उपचार तभी किया जाना चाहिए जब विशि-ट रोग का निदान हो जाता है और यह पता चल जाता है कि इस रोग का उपचार किया जा सकता है। फार्म स्टॉक और प्राकृतिक स्टॉक के बीच रोग फैलने को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी उपाय भी करने चाहिए।

- 10.2 निम्निलिखत दिशा-निर्देशों में रोग रोकथाम गितविधि के साथ उपयुक्त गितविधि के रूप में स्वास्थ्य प्रबंधन की एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में पिरकल्पना की गई है। इस दृ-टिकोण में रोगमुक्त बीज का कम मात्रा में स्टॉक करना, बेहतर हैंडिलिंग करना, तालाब का पर्यावरण अच्छा रखना और दबाव कम करने तथा अत्यधिक संक्रमित और असंक्रमित रोगों को रोकने के लिए इ-टतम चारा प्रबंधन करना शामिल है।
 - झींगा के स्वास्थ्य की लगातार मानीटरिंग करनी चाहिए और जिनमें निम्नलिखित एक अथवा अधिक स्थिति का निदान होता है उनमें कुछ-न-कुछ रोग होता हैः
 नि-कृयता और सुस्ती, रिक्त आहार नाल, नीला/ काला रंग, शरीर पर फफोले, बढ़े हुए गिल, जन्मजात गुणों की कमी, काली/ श्वेत चित्तियां, रंगीन गिल और अपारदर्शी मांसपेशियां
 - प्रशिक्षित पैथालॉजिस्ट/ सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक की सहायता से तत्काल किसी भी रोग का निदान किया जाना चाहिए।
 - जिस रासायनिक उपचार से जन्तुओं पर दबाव पड़ता हो वह नहीं करना चाहिए।
 - जलकृिन में उत्पन्न होने वाली समस्याएं प्रमुखतः पर्यावरण गिरावट के कारण होती है और अधिकांश रोगजनक स्वरूप में वैकल्पिक रोगजनक होते हैं। अतः रोग रोकथाम और नियंत्रण के लिए तालाब पर्यावरण का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। तालाब की स्थितियों से संबंधित असंक्रमणीय रोग के लिए जन्तुओं का उपचार किया जाना चाहिए अथवा तालाब की स्थितियां सुधारनी चाहिए।
 - हल्के संक्रामक रोग, जिसके फैलने की संभावना होती है, के लिए तालाब को संगरोध किया जाना चाहिए और रोग उपचार के लिए सर्वोत्तम विकल्प अपनाना चाहिए।
 - गंभीर संक्रमित रोग, जो व्यापक रूप से फैल सकता है, के लिए तालाब को अलग-थलग कर देना चाहिए, शे-ा झींगों को जाल से पकड़ लेना चाहिए और तालाब में से पानी निकाले बिना इसे असंक्रमित करना चाहिए।
 - मृत और रोगी झींगों का स्वच्छ तरीके से निपटान करना चाहिए जिससे रोग का प्रसार हतोत्साहित होगा।
 - जब तालाब में रोग उत्पन्न हो जाता है तो झींगा, उपकरण अथवा जल का अंतरण किसी अन्य तालाब में करने से बचना चाहिए।
 - औ-ाधि, एंटीबायोटिक्स और अन्य रासायनिक उपचार संस्तुत पद्धितयों के अनुसार किए जाने चाहिए तथा सभी रा-ट्रीय और अंतर्रा-ट्रीय विनियमों का अनुपालन करना चाहिए।

11.0 रसायनों और औ-ाधियों का उपयोग

11.1 जलकृिन में उपयोग किए जाने वाले रसायनों और औ-ाधियों में वे पदार्थ शामिल होते हैं जो ढांचागत सामग्री, मृदा और जल उपचार, बैक्टिरिया रोधी एजेंट, चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं, जन्तुबाधानाशिओं, चारा अनुपूरकों, अनेस्थेटिक्स, असक्राम्य-उत्तेजक और हार्मोनों के साथ मिले होते हैं। फिलहाल प्रयोग में लाए जा रहे रसायन और औ-ाधियां अधिकांशतः कृि।/ पशु चिकित्सा के क्षेत्र से ली जाती हैं और इनका कभी भी विशि-ट रूप से जलीय पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने के संबंध में परीक्षण/आकंलन नहीं किया गया है।

- 11.2 कुछ रसायन और एंटीबायोटिक झींगा के मांस में जमा हो सकती हैं और इनसे उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है तथा व्यापार की संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती है। कुछ रसायन अविश-ट के रूप में एफल्यूएंट में मौजूद हो सकते हैं और प्राकृतिक जलीय पारिस्थितिकी प्रणाणी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन एजेंटों और रसायनों के उपयोग में कमी करने से पर्यावरण कार्यनि-पादन में तो सुधार होगा ही साथ ही झींगा फार्मों के प्रचालनों की लागत में भी कमी आएगी। झींगा स्वास्थ्य प्रबंधन में रोग उपचार की बजाय अच्छे पो-ााहार, ठोस तालाब प्रबंधन और समग्र दबाव में गिरावट के जिए रोगों की रोकथाम पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।
- 11.3 रसायनों का उपयोगः रोगों की रोकथाम अथवा उपचार करने के लिए, चारा अनुपूरक के रूप में, संक्रमणरोधक के रूप में, अन्य मछली हटाने के लिए या मृदा अथवा जल का उपचार करने के लिए झींगा तालाबों में रसायनों का उपयोग करने से बचना चाहिए। तथापि, अंडज उत्पत्तिशालाओं में रसायन अपेक्षित हो सकते हैं। अंडज उत्पत्तिशाला के प्रचालकों को अंडज उत्पत्तिशालाओं से प्राकृतिक जल में ऐसे रसायनों के होने वाले प्रवेश की सावधानीपूर्वक मानीटरिंग करनी चाहिए और उन्हें दूनित जल में से ऐसी सामग्री को समाप्त करने के लिए पग उठाने चाहिए।
- 11.4 उर्वरकों का उपयोगः मत्स्य खाद्य जीवाणुओं की वृद्धि को बढ़ावा देने, विशे-ारूप से लार्वा उपरांत की अग्रिम अवस्था के लिए बढ़ावा देने हेतु झींगा पालन में कार्बनिक और अकार्बनिक, दोनों उर्वरकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इससे जिस जल में एफल्यूएंट मिलता है उसमें पो-ााहार भार बढ़ सकता है। अतः जहां तक संभव हो, एसे प्रयोजनों के लिए केवल जैविक खाद/ उर्वरक और अन्य पादप उत्पादों का उपयोग करना चाहिए।
- 11.5 मत्स्यनाशकों का उपयोगः- इसी प्रकार मत्स्यनाशक और नाशक चूर्ण का व्यापक उपयोग झींगा तालाबों से परभक्षी और प्रतिस्पर्धियों का हटाने के लिए किया जाता है। जल किसानों के यह सराहनीय होगा कि वे इस प्रयोजन के लिए जैविक रूप से सड़ सकने वाले जैव पादपों के रसों का ही उपयोग करें क्योंकि ये रसायनिक एजेंटों की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। रसायनिक मत्स्यनाशकों के उपयोग से बचना चाहिए।
- 11.6 रसायनिक चिकित्सा के सामान (कैमोथेरापियुटेन्ट्स) का उपयोगः रसायनिक चिकित्सा की कुछ वस्तुएं, जैसे कि फौरमेलिन और मालाचिट, जो संक्रमण नाशकों के रूप में आमतौर से प्रयोग की जाती है, वि-ााक्त होती हैं और इनसे तालाब पारिस्थितिकी प्रणाली, बाहरी जल आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा इसीलिए पालन प्रणाली में इनके उपयोग से बचना चाहिए।
- 11.7 एंटीबायोटिक्स/औ-1धियों का उपयोगः झींगा पालन में एंटीबायोटिक का उपयोग कड़ाई से नि-ोध है क्योंकि इनके उपयोग से ऐसी दवाइयों के प्रतिरोधी रोगजनक विकसित हो सकते हैं और इन रोगजनकों के मानव शरीर में अंतरित होने के परिणामस्वरूप मानव रोगजनकों में प्रतिरोध विकसित हो सकता है। अब तक झींगा पालन में उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित 20 एंटीबायोटिक्स/ औ-1धीय सक्रिय पदार्थों की सूची सारणी 4 में दी जाती है। यह प्रतिबंध समय-समय पर सरकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित किए गए अन्य पदार्थों के लिए भी लागू होगा।

सारणी-5 झींगा जलकृिन में उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स और अन्य औन्धीय सक्रिय पदार्थ

क्रम संख्या	एंटीबायोटिक्स और अन्य औ-ाधीय सक्रिय पदार्थ
1.	क्लोरामफेनिकोल
2.	नाईट्रोफुरेन्सः फ्यूरालटेडोन, फ्यूराजोलिडोन, फ्यूरीलफ्यूरामाइड्, नाईफ्यूरेटेल निफुरोक्साइम, निफुराप्राजाइम, नाइट्रोफ्यूरेनटाइन, नाईट्रोफुरेजोन सहित
3.	नियोमाइसिन
4.	नेलिडाइक्सिक अम्ल
5.	सल्फामेथोक्साजोल
6.	एरिस्टोलोचिआ एस0पी0पी0 और उसका सम्पाक
7.	क्लोरोफोर्म
8.	क्लोरप्रोमैजिन
9.	कोलचिसाइन
10.	डैपसोन
11.	डाइमेट्रिडाजोल
12.	मेट्रोनिडाजोल
13.	रोनिडाजोल
14.	इन्प्रानिडाजोल
15.	अन्य नाइट्रोआइमीडाजोल्स
16.	क्लेनबुटेरोल
17.	डाईथीलस्टिलबेस्ट्रोल (डी0ई0एस0)
18.	सुल्फोनामाइड औ-ाधियां (अनुमोदित सुल्फाडाईमेथोक्साइन, सल्फाब्रोमोमेथाजाइन एंड सल्फाइथोजाईपाइरिडेजाइन को छोड़कर)
19.	फ्लुरोक्विनोलोन्स
20.	ग्लाइकोपेप्टिडेस

11.8 मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न एंटीबायोटिक्स और अन्य औ-।धीय सिक्रय पदार्थों के लिए अधिकतम अनुमेय अविश-ट स्तर इन दिशा-निर्देशों के साथ संलग्न परिश-ट के अनुसार हैं। झींगा किसानों और आदान-प्रदानकर्ताओं को इन निर्धारकों का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए, जिनमें सरकार द्वारा समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।

12.0 हारवेस्ट और पोस्ट - हारवेस्ट

12.1 हारवेस्टिंग के दौरान अधिकतम प्रलंबित कणों के खुले जल में रिलीज हो जाने की संभावना होती है। अतः ऐसे रिलीज को रोकने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। किसानों को फसल की हारवेस्टिंग करते समय निम्नलिखित मानदंड अपनाने का परामर्श दिया जाता है:-

- तालाब को गुरुत्वाक-णि द्वारा अथवा पम्प के जिरए पूर्णतया खाली करके हाथ से पकड़कर या जाल में फंसाकर हारवेस्टिंग की जा सकती है।
- हारवेस्टिंग के लिए निकाले गए पानी को कचरा स्थिरीकरण तालाब में भेजना चाहिए और इसे खुले पानी में रिलीज करने से पहले बैठने के लिए कुछ दिन रखना चाहिए।
- हारवेस्ट के तत्काल बाद बर्फ लगाना चाहिए।
- सामान्यतः प्रोसेस करने वाले/ क्रेता फार्म स्थल से हारवेस्ट लेते हैं और इसे रेफरीजेरेटिड वैन में ले जाते हैं। जब ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो और उत्पाद को लम्बी दूरी तक ले जाना है तब झींगे का सिर काट देना चाहिए और खराब होने से बचाने के लिए बर्फ में संग्रह करना चाहिए।

13.0 दू-ीत जल प्रबंधन

- 13.1 झींगा तालाब के कचरे में मुख्यतः प्रलंबित ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें उपभोग न किया गया चारा, मल पदार्थ और प्लवक तथा घुलनशील पो-ाक तत्व जैसे कि अमोनिया, नाइट्राइट, फासफोरस, कार्बन डाइ आक्साइड, हाइड्रोजन सलफाइड शामिल होते हैं। पहले तत्व चारे और उर्वरकों की भौतिक गुणवत्ता का परिणाम होते हैं जबिक पो-ाक तत्व चारे के तत्वों तथा उर्वरकों के रासायिनक संघटक द्वारा प्रभावित होते हैं। झींगा तालाब के कचरे में पो-ाक तत्व और जैविक तत्व के निम्नलिखित प्रभाव पड़ने की संभावना होती है:-
 - ग्रहण करने वाले जल में आक्सीजन की घुली हुई कम मात्रा, इसका कारण घुली हुई कम आक्सीजन के दूनित जल को निकालना और घुले हुए तथा विविक्त जैविक पदार्थों और अन्य बेकार पदार्थों (बीoओoडीo और सीoओoडीo) का टूटना होता है;
 - ग्रहण करने वाले जल का हाइपर नाइट्रिफिकेशन और यूट्रोफिकेशन, इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक उत्पादकता (पादप प्लवक चमक के संभावित खतरे के साथ) बढ़ती है, जैविक समुदाय ढ़ाचें और द्वितीयक उत्पादकता में परिवर्तन होता है; और
 - जैविक पदार्थों के कारण तलछट बढ़ता है, जिससे उत्पादकता और नितलस्थ सामुदायिक ढाचें में परिवर्तन होता है तथा गाद जमने की संभावना होती है।
- 13.2 ऐसे प्रभाव बाहर निकाले जाने वाले दू-ित जल की मात्रा और कचरा सामग्री को समाहित करने की पर्यावरण की क्षमता पर निर्भर करते हैं। अतः यह वांछनीय होता है कि पर्यावरण की कचरा सामग्री को स्वीकार करने की क्षमता के अनुसार इस भार को निकाला जाए। निम्नलिखित चेक लिस्ट से झींगा किसानों का जिम्मेदार कचरा प्रबंधन करने में और जल तथा भू-संसाधनों का संरक्षण करने में मार्गदर्शन होगा।

दू-ित जल प्रबंधन के लिए चेक लिस्ट

- स्वतंत्र इनटेक और निकासी के साथ फार्म का उचित डिजाइन बनाने से पो-ाक तत्वों के भार में गिरावट आएगी।
- बंधों पर वनस्पित उगाकर उचित रूप से ठोस बनाया जाना चाहिए जिससे अपरदन में गिरावट आएगी।
- तालाब तैयार करने की उचित विधि से पो-ाक भार में गिरावट आएगी।
- पालन तालाब में उचित जल और मृदा गुणवत्ता प्रबंधन करने से दू-िात जल में पो-ाक तत्वों के भार में गिरावट आएगी।
- जिम्मेदार चारा प्रबंधन से चारा बर्बादी में गिरावट आएगी।
- हारवेस्ट के दौरान तलछट के पुनः जमा होने से बचाव करके पानी की निकासी सावधानीपूर्वक करनी चाहिए।
- झींगा तालाब के दू-िात जल को ताजे जल के क्षेत्र अथवा कृ-ि। भूमि में नहीं निकालना चाहिए।
- तालाब की तली से तलछट निकालने से बचना चाहिए। इसमें स्वस्थान सुधार करना चाहिए।
- 13.3 झींगा फार्म और अंडज उत्पत्तिशालाओं से कचरे की सीधी निकासी से समुद्र तट के जल की गुणवत्ता में परिवर्तन हो सकता है। कम मात्रा में रासायनों, सूक्ष्म जीवाणुओं और निवारित पदार्थों सिंहत घुले हुए और विविक्त पो-ाक तत्व तथा जैविक पदार्थ जल की गुणवत्ता में काफी सीमा तक परिवर्तन कर सकते हैं और इसलिए ऐसे कचरे को खुले पानी अथवा ड्रेनेज नाली में निकालने से पूर्व उचित रूप से उपचारित करना होगा। ऐसे दूनित जल का उपयोग द्वितीय जलकृनि परियोजनाओं, विशे-ारूप से मुसेल्स, ओइस्टर, सीवीड, अन्य फिनफिशिज आदि के पालन के लिए भी किया जा सकता है। ऐसी एकीकृत परियोजना से दूनित जल की गुणवत्ता में सुधार करने, जैविक और पो-गहार हानि में कमी लाने तथा एक अतिरिक्त नकदी फसल का उत्पादन करने की संभावनाएं भी पैदा होंगी। दूनित जल के इस जैविक सुधार के अलावा ड्रेनेज नालियों के साथ सेटलमेंट/ तलछट बनने के तालाबों का निर्माण भी किया जाए। ड्रेनेज नालियों का डिजाइन इस प्रकार बनाया जा सकता है कि वे इतनी चौड़ी हों कि तालाब से निकलने वाले पानी का प्रवाह पर्याप्त धीमा हो जाए ताकि इसमें मौजूद प्रलंबित ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाएं।
- 13.4 5 हैक्टेयर से बड़े फार्मों के लिए एफलुएंट उपचार प्रणाली (ई0टी0एस0) अनिवार्य होती है। तालाब के कुल क्षेत्रफल का कम से 10 प्रतिशत भाग ई0टी0एस0 के लिए रखना चाहिए जिसका उपयोग द्वितीयक जलकृि। परियोजनाओं, विशे-ारूप से मुसेल्स, ओइस्टर, सीवीड, अन्य फिनफिशिज आदि के पालन के लिए किया जा सकता है। ऐसी एकीकृत परियोजना से दूि-ात जल की गुणवत्ता में सुधार करने, जैविक और पो-ाहार हानि में कमी लाने तथा एक अतिरिक्त नकदी फसल का उत्पादन करने की संभावनाएं भी पैदा होंगी।
- 13.5 सारणी-6 में दिए गए मानक जलकृि। प्रणाली, अंडज उत्पत्तिशालाओं, चारा मिलों और प्रोसेसिंग प्लांटों से निकलने वाले दूि।त जल के लिए विहित किए जाते हैं। तथापि, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा इनमें संशोधन किया जा सकता है।

सारणी-6 जलकृि-। फार्मो, अंडज उत्पत्तिशालाओं, चारा मिलों और प्रोसेसिंग प्लांटों से निकलने वाले दूि-ात जल के उपचार के मानक

	,	अंतिम डिस्च	ार्ज स्थान
	पैरामीटर	तटीय समुद्री जल	संकरी खाड़ी अथवा नदीमुख स्थल जब उसी स्थल जल का उपयोग स्रोत और निपटान स्थल के रूप में
1.	पी0एच0	6.0-8.5	6.0-8.5
2.	सस्पेन्डेड सोलिड्स मिलीग्राम/ लिटर	100	100
3.	डिसोल्वड आक्सीजन मिलीग्राम/ लिटर	3 से कम नहीं	3 से कम नहीं
4.	फ्री अमोनिया (एन0एच03-एन) मिलीग्राम/ लिटर	1.0	0.5
5.	बायोकेमिकल आक्सीजन मांग-बी0ओ0डी0 (20 सी0 की दर से 5 दिन) अधिकतम मिलीग्राम/ लिटर	50	20
6.	केमिकल आक्सीजन मांग-सी0ओ0डी0 मिलिग्राम/ लिटर अधिकतम	100	75
7.	घुला हुआ फास्फेट(फासफोरस के रूप में) मिलीग्राम/ लिटर अधिकतम	0.4	0.2
8.	कुल नाइट्रोजन (नाइट्रोजन के रूप में) मिलीग्राम/ लिटर	2.0	2.0

13.6 तालाब की तली में जमी हुई तलछट को हटाने के बजाय हारवेस्टों के बीच तालाब को सूखने देना सराहनीय होता है। संभवतः यह विधि तलछट को अविवेकशील रूप से हटाने की तुलना में पर्यावरणीय रूप से कम नुकसानदेह है। यदि झींगा स्टॉक रखने का घनत्व कम (15 पी0एल0 प्रति वर्ग मीटर से कम) रखा जाता है तो तलछट को हारवेस्टों के बीच तालाब की तली सूखाकर साधारण रूप से अच्छी हालत में रखा जा सकता है। तालाब के कीचड़ और मृदा की छीलन सहित फार्मों के ठोस कचरे का निपटान पानी में बहाकर नहीं किया जाना चाहिए। कचरे का निपटान पर्याप्त उपचार देने के बाद और इसे नालियों में बहाए बिना फार्म के परिसर के अंदर किया जाएगा।

14.0 फार्म की साफ-सफाई और प्रबंधन

14.1 झींगा कृिन पद्धतियों का उद्देश्य तालाब के जिम्मेदार प्रचालनों और अच्छी प्रबंधन पद्धतियों के जिरए उपभोक्ताओं के लिए संदूनण मुक्त उत्पादों का उत्पादन करना है जिनसे मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाले रासायनों, औनािधयों और रोगजनकों के स्तर को रोका, समाप्त, अथवा उचित रूप से कम किया जा सके। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश अपनाए जाने चाहिए।

- सभी कचरा सामग्री का निपटान सैनिटरी तरीके से करना चाहिए।
- जलकृि के लिए स्थल की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने में उन रसायनों, औ-ाधियों और रोगजनकों का परीक्षण किया जाना शामिल होता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और जिनकी स्थल पर मिलने की संभावना होती है।
- मानव तथा अन्य पशुओं से वि-ााक्त होने की संभावनाओं से बचना चाहिए तथा जन्तुबाधानाशकों, वनस्पतिनाशकों और औ-ाधियों के अक्सर उपयोग तथा ईंधन तेल या किसी अन्य रासायनिक संद्र-ाकों के पिछले संद्र-ाण से बचना चाहिए।
- चारे में रासायनिक अथवा सूक्ष्म जैविक संदू-ाण नहीं होने चाहिए। बिना पके जीवाणुओं अथवा बिना पके जीवाणुओं से लिए गए पो-ाक तत्व को खिलाया जाना हतोत्साहित किया जाता है।
- झींगा उद्योग और व्यक्तिगत उत्पादकों को उन रोगजनकों, औ-ाधियों और रासायनिक संदू-ाणों की सूची तैयार करने के लिए सरकार के साथ काम करना चाहिए जो मौजूदा अथवा संभावित रूप में मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा होते हैं तथा इन खतरों पर नियंत्रण करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए।
- झींगा कृिन स्थल पर अथवा इसके निकट किसी रासायनिक उत्पाद का उपयोग करते समय झींगा किसानों को मानव स्वास्थय के खतरे के बारे में उत्पाद के लेवल पर दी गई सूचना पर ध्यान देना चाहिए।
- पहचान किए गए रोग को नियंत्रित करने के लिए केवल आवश्यक होने पर ही अनुमोदित
 औ-ाधियों अथवा अन्य रासायनों का उपयोग करना चाहिए।

15.0 पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन

15.1 40 हैक्टेयर से अधिक आकार की सभी जलकृिन यूनिटों द्वारा योजना बनाने की अवस्था पर ही पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई0आई0ए0) किया जाना चाहिए। 10 हैक्टेयर और उससे अधिक के लिए विस्तृत योजना में एक विवरण दिया जाना अपेक्षित होगा। तटवर्ती जलकृिन प्राधिकरण द्वारा गठित जिला/ राज्य स्तरीय समितियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका प्रस्ताव तटवर्ती जलकृिन प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए संस्तुत करने से पूर्व जलकृिन यूनिटों द्वारा ऐसा ई0आई0ए0 कर लिया गया है।

16.0 पर्यावरण मानीटरिंग और प्रबंधन योजना

- 16.1 40 हैक्टेयर अथवा अधिक के निवल जल क्षेत्र वाली झींगा पालन यूनिटें निम्नलिखित क्षेत्र कवर करते हुए एक पर्यावरण मानीटरिंग योजना तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई०एम०एम०पी०) समाहित करेंगी:
 - ✓ पास-पड़ोस के जल प्रवाहों पर प्रभाव।
 - √ भू-जल गुणवत्ता पर प्रभाव।
 - √
 पेय जल स्रोत पर प्रभाव।

- 🗸 हरित पट्टिका का विकास (स्थानीय प्राधिकारियों की विनिर्दि-टियों के अनुसार) और
- 10 हैक्टेयर अथवा उससे अधिक के लेकिन 40 हैक्टेयर से छोटे सभी फार्म उपर्युक्त पहलुओं के संबंध में विस्तृत सूचना भेजेंगे।

17.0 समूह प्रबंधन, रिकार्ड का रखरखाव और नेटवर्किंग

- 17.1 सामाजिक टकराव से बचने की जागरूकता मौजूद होनी चाहिए और सभी हितधारकों को मिलकर आम समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए तथा उचित प्रबंधन उपाय अपनाने चाहिए तािक टकराव से बचा जा सके और कृ-ि। प्रणाली की सततता बढाई जा सके।
- 17.2 किसान एसोशिएसन और स्व-सहायता समूहः झींगा किसानों को प्रौद्योगिकी का विनिमय करने और जल उपयोग तथा कचरा प्रबंधन में सहयोग हासिल करने के लिए सहकारी समितियां, एसोशिएसन अथवा स्व-सहायता समूह बनाने चाहिए। झींगा पालन तकनीकों में भी लगातार सुधार हो रहा है और यह बात महत्वपूर्ण है कि झींगा किसान सतत् कृिन तकनीकों के अपने ज्ञान को बढ़ाना जारी रखें।
 - छोटे किसानों को आदानों की आपूर्ति की सुविधा, समकालिक कृ-ि। प्रचालनों, बीज और चारा गुणवत्ता की मानीटरिंग करने के लिए आम जरूरतों, झींगा स्वास्थ्य प्रबंधन और जल गुणवत्ता, उत्पाद की बिक्री करने के लिए तथा ऋण जुटाने एवं फसल का बीमा करने के लिए ऐसी सहकारी समितियों अथवा स्व-सहायता समूहों/ एसोशिएसनों का गठन करके लाभ उठाना चाहिए। राज्य/जिले में झींगा किसान एसोशिएसन के शी-ी निकाय का गठन करना सहायक होगा, विशे-ारूप से ऋण देने वाली एजेंसियों के साथ बातचीत करने और अन्य प्रमुख संगठनात्मक गतिविधियां चलाने के लिए सहायक होगा।
- 17.3 किसानों के लिए नियमित विस्तार कार्य और प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं की सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए। व्यक्तिगत किसानों और स्व-सहायता समूहों/ एसोशिएसनों को राज्य मत्स्य विभाग में विस्तार कर्मचारियों, एम0पी0ई0डी0ए0, आई0सी0ए0आर0 संस्थानों, कृि। विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों, जैसा भी मामला हो, के साथ बातचीत करने की व्यवस्था करनी चाहिए तािक छोटे किसानों को सहायता मिल सके। मत्स्य कार्मिकों, विस्तार कर्मचारियों, जलकृि। किसानों और जो लोग सतत् जलकृि। की योजना बनाने और प्रचालन चलाने से संबंधित गतिविधियों में शािमल हैं उनके बीच तकनीकी ज्ञान और पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए झींगा किसानों और कर्मचारियों के विस्तार कार्य तथा प्रशिक्षण के जरिए उचित जागरूकता कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिए।
- 17.4 पद्धतियों और फार्म के लेखों के संबंध में आंकड़े एकत्र करने की सुविधा करने के लिए झींगा किसानों/ स्व-सहायता समूहों को राज्य मत्स्य विभाग के साथ आंकड़े एकत्र, संगठित और इनका मूल्यांकन करने के लिए सहयोग करना चाहिए तािक दिशा-निर्देश अपनाना प्रदर्शित किया जा सके और इनके उपयोग के लाभ का दस्तावेज बनाया जा सके तथा अन्य सांख्यिकी प्रयोजन पूरे हो सकें।
- 17.5 किसानों को स्थानीय, रा-ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर झींगा किसान सूचना नेटवर्क में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। झींगा किसानों को देश तथा अन्यत्र में झींगा कृिन में हो रहे विभिन्न विकासों को भी देखना चाहिए। उपलब्ध जलकृिन नेटवर्कों का उपयोग झींगा किसानों/ समूहों को अपने ज्ञान और दक्षता में सुधार करने तथा अद्यतन विकास और बाजार प्रवृत्ति जानने के लिए करना चाहिए।

18.0 एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन

- 18.1 तटीय राज्यों के लिए संबंधित राज्यों द्वारा विभिन्न गतिविधियों के लिए जोन बनाकर और बफर जोन बनाकर एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए। यह कार्य आरंभिक अवस्था में एक रोलिंग योजना (गतिशील) हो सकता है तािक अन्य क्षेत्रों के साथ जलकृिन की स्थल विशेन बातचीत पर उन्नत डाटाबेस तथा ज्ञान के साथ वािनंक अथवा द्विवािनंक रूप से सुधार प्रभावी किया जा सकें।
- 18.2 रिमोट सेंसिंग डाटा, भू-स्तरीय सत्यता के प्रमाणीकरण, भौगोलिक सूचना प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का उपयोग करके जल कृि। के लिए उपयुक्त और अनुपयुक्त भूमि अलग करके संभावित क्षेत्रों का मैक्रो और माइक्रो स्तर पर सर्वेक्षण करके तथा तटीय क्षेत्रों के जोन बनाकर जलकृि। के विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में झींगा तालाब का घनत्व अथवा तालाब का जल सतह क्षेत्र (डब्ल्यू०एस०ए०) पारिस्थितिकी प्रणाली की रखरखाव क्षमता से अधिक है, जिन्हें ग्रहण करने वाले जल की समाहित करने की क्षमता के रूप में भी परिभाित किया जा सकता है, वहां तालाब घनत्व में गिरावट और इस प्रकार समग्र डब्ल्यू०एस०ए० में गिरावट को प्रभावी करना चाहिए।

19.0 विभिन्न तटीय समुदायों की जीविका का संरक्षण

- 19.1 तटीय जलकृिन, जो अब मुख्यतः झींगा कृिन तक सीमित है, तटीय समुदायों के तटीय क्षेत्रों में चलाई जाने वाली अनेक गतिविधियों में से एक है। तटीय क्षेत्रों में अधिकांश सामाजिक टकराव सीमित संसाधनों पर अधिक मांग होने के कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न हितधारकों में प्रतिस्पर्धा होती है। ऐसे भी मामले हैं जिनमें संसाधनों का मेल-मिलाप से उपयोग करके तटीय समुदायों ने एकीकृत तटीय विकास के उत्कृ-ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।
- 19.2 झींगा फार्मों की खराब योजना और अनियमित प्रचालन, जैसा कि पहले दर्शाया गया है, फार्मों के क्षेत्र में समुदायों और अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों के बीच पर्याप्त स्तर तक परिहार्य टकराव उत्पन्न कर सकते हैं। झींगा किसानों और अन्य, जो या तो तटीय जोन में रहते हैं अथवा अपनी जीविका के लिए तटीय जोन के संसाधनों पर निर्भर हैं, के बीच भी टकराव हो सकता है तथा झींगा फार्म स्वामियों/ प्रबंधकों और कर्मचारियों, विशे-ारूप से बड़े फार्मों के मामले में इनके बीच भी टकराव हो सकता है। कुछ और गंभीर अंतरक्षेत्रीय समस्याओं को निम्निलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाकर समग्र शासन और नियमन में दूर किया जाएगा:-
 - झींगा फार्म के स्वामियों/ प्रबंधकों को सामुदायिक अधिकारों और जरूरतों का सम्मान करना चाहिए और यदि कोई टकराव होता है तो समुदाय में शांति सुनिश्चित करने तथा झींगा फार्मों की सततता सुनिश्चित करने के लिए शांतिपूर्ण ढ़ंग से समस्याओं को हल करने का प्रयास सदैव करना चाहिए। उन्हें समुदाय तथा तटीय संसाधनों के अन्य क्षेत्रीय उपयोगकर्ताओं के साथ पर्यावरणीय परिस्थितिकी और समुदाय कल्याण में सुधार करने के लिए आम प्रयास करने में सहयोग करना चाहिए।
 - किसान, विशे-ारूप से बड़े किसानों को जहां तक संभव हो, स्थानीय कर्मकारों को रोजगार देना चाहिए।

- कर्मकारों के लिए अच्छी कार्य स्थितियां प्रदान करनी चाहिए और उनकी दक्षता के उन्नयन के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी देना चाहिए।
- जलकृि यूनिटों द्वारा तटीय समुदायों के लिए समुद्र तट तथा अन्य आम संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्षेत्र में समुदायों और संगठनों के हितों की सुरक्षा की जानी चाहिए।
- यह देखने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि प्राकृतिक निकासी नहर, जिनका उपयोग जलकृि यूनिटों के लिए जल स्रोत के रूप में किया जा सकता है, में रूकावट न हो ताकि निचले क्षेत्रों और ग्रामों में बाढ़ न आए।
- कृ-ि। भूमि, ग्राम और झींगा फार्मों के बीच उपयुक्त बफर जोन प्रदान करके भूमि और पेय जल की लवणता से बचाव करना चाहिए।
- संकरी नदी, नहर आदि जैसी आम संपदा का उपयोग शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार से तटवर्ती समुदायों के परंपरागत हित प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- भूजल के लवणीकरण की समस्या से बचने के लिए झींगा जलकृिन के लिए भूजल की निकासी कड़ाई से निनेध है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लवणता प्रवेश की मानीटरिंग करने के लिए अधिमानत 4/ हैक्टेयर के दाब मापी/ भूजल मानीटरिंग बोर वेल (तालाब की चारदीवारी के साथ-साथ) स्थापित किए जाते हैं। यदि लवणता बढ़ती है तो तटीय जलकृिन प्राधिकरण को सुनिश्चित करना चाहिए कि तत्काल फार्म बंद कर दिया जाए।

परिशि-ट (नियम 3 देंखे)

मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के लिए अधिकतम अनुमेय अवशि-ट स्तर

	पदार्थ	अधिकतम अनुमेय
		अवशि-ट स्तर (पी०पी०एम० में)
क	एंटीबायोटिक्स और अन्य औ-ाधीय रूप से सक्रिय पर	रार्थ
	1. क्लोरामफेनिकोल	शून्य
	2. नाईट्रोफुरेन्सः फ्यूरालटेडोन, फ्यूराजोलिडोन,	
	फ्यूरीलफ्यूरामाइड, नाईफ्यूरेटेल निफुरोक्साइम,	_
	निफुराप्राजाइम, नाइट्रोफ्यूरेनटाइन, नाईट्रोफुरेजोन	सहित शून्य
	3. नियोमाइसिन	शून्य
	4. नेलिडाइक्सिक अम्ल	शून्य
	5. सल्फामेथोक्साजोल	शून्य
	6. एरिस्टोलोचिआ एस0पी0पी0 और उसका सम्पाक	शून्य
	7. क्लोरोफोर्म	शून्य
	8. क्लोरप्रोमैजिन	शून्य
	9. कोलचिसाइन	शून्य
	10. डैपसोन	शून्य
	11. डाइमेट्रिडाजोल	शून्य
	12. मेट्रोनिडाजोल	शून्य
	13. रोनिडाजोल	शून्य
	14. इन्प्रानिडाजोल	शून्य
	15. अन्य नाइट्रोआइमीडाजोल्स	शून्य
	16. क्लेनबुटेरोल	शून्य
	17. डाईथीलस्टिलबेस्ट्रोल (डी0ई0एस0)	शून्य
	18. सुल्फोनामाइड औ-ाधियां (अनुमोदित	
	सुल्फाडाईमेथोक्साइन, सल्फाब्रोमोमेथाजाइन	
	एंड सल्फाइथोजाईपाइरिडेजाइन को छोड़कर)	शून्य
	19. फ्लुरोक्विनोलोन्स	शून्य
	20. ग्लाइकोपेप्टिडेस	शून्य
	21. टेट्रासाइक्लीन	0.1
	22. ऑक्सीटेट्रासाइक्लीन	0.1
	23. ट्रिमेथोप्रिम	0.05
	24. ऑक्सोलीनिक अम्ल	0.3

ख	उपचयी प्रभाव वाले पदार्थ और अनधिकृत पदार्थ		
	1. स्टिलबेनिस, स्टिलबेनि डेरिवेटिव्स और		
	उनके साल्ट्स तथा इस्टर्स	शून्य	
	2. स्टिरोइड्स	शून्य	
ग.	पशु चिकित्सा की औध-ीयां		
	1. क्युनोलोन्स सहित एंटीबैक्ट्रिअल पदार्थ	शून्य	
	2. एंटी हेलमिनिटिक	शून्य	
घ.	अन्य पदार्थ और पर्यावरणीय संदूनक		
	1. पी0सी0बी0एस0 सहित ओरगानोक्लोरोन यौगिक	शून्य	
	2. माइकोटोक्सिन्स	शून्य	
	3. रंजक	शून्य	
	4. डाइओक्सिन्स	4 पिकोग्राम प्रति ग्राम, शुद्ध	
		वजन	
ङ	जन्तुबाधानाशी		
	1. बी0एच0सी0	0.3	
	2. एल्ड्रिन	0.3	
	3. डाइलड्रिन	0.3	
	4. इन्ड्रिन	0.3	
	5.	5.0	
च.	भारी धातु		
	1. पारा	1.0	
	2. कैडमियम	3.0	
	3. अरसेनिक	75	
	4. शीशा	1.5	
	5. ਟਿਜ	250	
	6. निकल	80	
	7. क्रोमियम	12	

Ministry of Agriculture

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2005

G.S.R 740(E) – In exercise of the powers conferred by section 24 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I Preliminary

- **1. Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:-

In these rules, unless the context otherwise requires:

- (a) "Act" means the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005);
- (b) "Authority" means the Coastal Aquaculture Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act:
- (c) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;
- (d) "Fee" means any fee stipulated in these rules;
- (e) "Form" means Form annexed to these rules:
- (f) "Guidelines" mean the guidelines made under section 3 of the Act;
- (g) "Member" means the member of the Authority appointed under sub-section (3) of section 4 of the Act and includes the Chairperson and the Member Secretary;
- (h) "Regulations" mean the regulations made by the Authority;
- (i) "Notification" means a notification published in the Official Gazette;
- (j) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005) or the Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) shall have the meaning respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER II Guidelines

3. Guidelines for regulation of coastal aquaculture under section 3 of the Act are annexed to these rules:-

CHAPTER III The Authority and its Committees

4. Terms and conditions of the service of Chairperson and Members:-

The terms and conditions of service of Chairperson and Member.

- (1) The Chairperson shall be entitled to such salary and allowances and such conditions of service in respect of leave, pension, and other matters as may from time to time, be fixed by the Central Government for a *Secretary* to the Government of India.
- (2) The Member Secretary of the Authority shall be entitled to such salary and allowances and such conditions of service in respect of leave, pension and other matters as may be fixed by the Central Government for an *Additional Secretary* to the Government of India.
- (3) The members appointed under clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of sub-section (3) of section 4 of the Act shall be part-time members. They shall not be entitled for any salary and allowances under this Act except that non-official members will be entitled to sitting fees as well as TA, DA, etc. as may be fixed by the Central Government from time to time.
- (4) A member appointed under clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of sub-section (3) of section 4 of the Act shall cease to be a member if he/ she ceases to hold the office by virtue of which he/ she was appointed.
- (5) The Chairperson may resign his/ her office by giving notice in writing to the Central Government and upon such resignation being accepted by the Central Government, the Chairperson shall be deemed to have vacated his/ her office.
- (6) A member may resign his/her office by a letter addressed to the Chairperson. The office of a member shall fall vacant from the date on which the resignation of such member is accepted by the Central Government or on expiry of 30 days from the date of the receipt of the resignation by the Chairperson, whichever is earlier.
- (7) The Central Government may remove any member who becomes subject to disqualification under section 5 of the Act.
- (8) The Central Government may also remove any member, if he/ she without the approval of the Chairperson, fails to attend three consecutive meetings of the Authority.
- (9) The Member Secretary shall be responsible for the implementation of the decisions arrived by the Authority or by the Committees set up by it and the discharge of the duties imposed on him/her under the rules.
- (10) The Member Secretary shall in consultation with the Chairperson, fix the date, time, place and also draw up agenda for every meeting.
- (11) The Member Secretary shall have powers of general superintendence, which shall include:
 - (a) to grant leave to the Officers and Staff of the Authority;
 - (b) to exercise administrative control over all divisions and officers of the Authority;

- (c) to call for documents and record and to inspect or cause to be inspected, the accounts and places of storage or of business as required under the rules;
- (d) to sanction expenditure for contingencies, supplies and services and purchase of articles required for the working of the office of the Authority;
- (e) cause all important papers and matters to be presented to the Authority as early as practicable; and
- (f) issue directions as to the method of carrying out the decisions of the Authority.

5. Functions of the Authority:-

The Authority shall perform the following functions to -

- ensure that the agricultural lands, salt pan lands, mangroves, wet lands, forest lands, land
 for village common purposes and the land meant for public purposes and national parks
 and sanctuaries shall not be converted for construction of coastal aquaculture farms so as
 to protect the livelihood of coastal community;
- (ii) deal with any issues pertaining to coastal aquaculture including those which may be referred to it by the Central Government;
- (iii) survey the entire coastal area of the country and advise the Central Government and the State/ Union territory Governments to formulate suitable strategies for achieving ecofriendly coastal aquaculture development;
- (iv) advise and extend support to the State/ Union territory Governments to construct common infrastructure *viz.*, common water in-take and discharge canals by the coastal aquaculture farms and common effluent treatment systems for achieving eco-friendly and sustainable development of coastal aquaculture;
- (v) fix standards for all coastal aquaculture inputs *viz.*, seed, feed, growth supplements and chemicals/ medicines for the maintenance of the water bodies and the organisms reared therein and other aquatic life;
- (vi) carryout and sponsor investigations and studies/ schemes relating to environment protection and demonstration of eco-friendly technologies in coastal aquaculture;
- (vii) collect and dissemination of data and other scientific and socio-economic information in respect of matters related to coastal aquaculture;
- (viii) prepare manuals, codes and audio visual material relating to sustainable development of coastal aquaculture and activities relating there to;
- (ix) organise through media and other means of communication a comprehensive programme regarding sustainable utilization and fair and equitable sharing of the coastal resources for aquaculture purpose;
- (x) plan and organise training of personnel engaged or likely to be engaged in programmes for sustainable utilization of the coastal resources for aquaculture purposes;
- (xi) constitute various technical committees, sub-committees, working groups, sub-groups comprising the Members and Officers of the Authority, Scientists and Officers of the National Research Institutes/ State Governments/ Representatives of the Civil Society for preparation of technical manuals, code of conduct, etc.

- (xii) direct the owners of the farm to carry out such modifications to minimize the impacts on coastal environment including stocking density, residual levels/ use of antibiotics, chemicals and other pharmacologically active compounds.
- (xiii) order seasonal closure of farms for ensuring sustainability of the coastal aquaculture practices;
- (xiv) order closure of coastal aquaculture farm in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods or for any other reasons considered necessary in the interest of coastal environment.
- (xv) cancel the certificate of registration where it is satisfied that any person has obtained a certificate of registration under sub-rule (1) of rule 11 by furnishing false information or that he/ she has contravened any of the provisions of these rules or of the conditions mentioned in the certificate of registration, without any prejudice to any other action, that may be taken against such person:
 - Provided that before cancelling such certificate, the person concerned shall be given an opportunity to make his/her representation,
 - Provided further that a copy of the order together with the reasons for the cancellation shall be communicated to the person concerned;
- (xvi) frame recruitment rules for the posts created for the Coastal Aquaculture Authority and till such time issue order that the recruitment to the posts be made on the basis of recruitment rules for analogous posts in the Central Government.
- (xvii) determine the pay, leave, allowances and other terms and conditions of the service of the employees of the Authority:
 - Provided that the pay, leave, allowances, other conditions of service and other facilities and concessions such as advances of pay, advances of conveyance, construction of houses and the like in respect of all employees in Coastal Aquaculture Authority shall be regularised in accordance with such rules and orders as are for the time being applicable to officers and employees of the Central Government of the corresponding grades or status stationed at those places till separate regulations are made by the Coastal Aquaculture Authority.
- (xviii) make suitable recommendations to the Government for amending the guidelines under rule 3 from time to time taking into account the changes in technology, farming practices, etc, and incorporating such modifications in the guidelines to ensure environmental protection and the livelihoods of the coastal communities.

CHAPTER IV

Powers and functions of the one man Authority

6. Powers and functions of the one man Authority:-

- (a) The one man authority to be appointed under sub-section (2) of section 11 of the Act shall exercise the powers of a District Magistrate with regard to the compensation as may be settled between the workers and the management.
- (b) While settling the compensation to be paid to the workers factors such as the likely loss of income for the workers, the alternate employment opportunities for them and the paying capacity of the employer may be taken into account.
- (c) For the purpose of ensuring that the amount of compensation settled is paid to the workers, the one man authority shall exercise the powers of the Collector and District Magistrate under the land revenue laws of the respective States.

7. Power to enter on any coastal aquaculture land. The powers of a person authorised by the Authority to enter on any coastal aquaculture land, pond, pen or enclosure shall be subject to the following:-

- (i) the person authorized by the Authority shall have the powers to take one or more persons including police personnel to carry out the functions mentioned in this section;
- (ii) the Authority's decisions to make any inspection, survey, measurement, valuation or inquiry as well as removal or demolition of any structure shall be intimated to the owner of the coastal aquaculture land, pond, pen or enclosure or his/ her representative at least 24 hours in advance in writing and delivered to him/ her by registered post or by messenger. In addition, such notice shall also be pasted at a prominent place in the premise of the coastal aquaculture farm. In case of refusal by the owner to accept the notice, such pasting shall be deemed to be due service of the notice on him;
- (iii) the activities mentioned in section 12 of the Act shall be carried out in the presence of the owner or his/ her representative if he desires to do so. The owner may also be permitted to bring his/ her own staff (not more than two) to assist in the inspection, survey, measurement, valuation or inquiry;
- (iv) removal or demolition of any structure should be carried out under a panchanama and wherever possible a representative of the local body should be included in the team and his/her signature recorded in the panchanama;
- (v) the person(s) authorized by the Authority to perform the functions as mentioned under clauses (a) and (b) of section 12 of the Act shall do so only during the daytime, i.e., after sunrise and before sunset;
- (vi) the person(s) authorized by the Authority to perform the functions under clause (a) of section 12 of the Act shall endeavour that such functions are carried out without causing any damage to the civil structures, equipment, machinery or the standing crop.

8. The acts or things which are to be done under clause (c) of section 12 of the Act: Any person authorised by the Authority shall:-

(1) take samples of water, soil and the farmed animal for the purpose of detection of banned antibiotics, chemicals and other pharmacologically active compounds and to adopt appropriate procedures for collection, analysis, reporting and follow up action;

- (2) subject to the provision of rule 7, remove or demolish any coastal aquaculture farm which is causing pollution and which was not removed or demolished after an order to that effect, passed under clause (d) of sub-section (1) of section 11 of the Act.
- (3) drain the water from the coastal aquaculture farm or destroy the crop which is causing pollution in respect of which an appropriate order passed under clause (e) of sub-section (1) of section 11 of the Act has not been complied with.
- (4) authorize/recognize laboratories to carry out analysis of soil, water, farmed animals/ other farmed aquatic life for the purpose of detection of banned antibiotics, chemicals and other pharmacologically active compounds.

CHAPTER V Registration and Renewal

9. Application for registration and the fees to be paid under sub-section (4) of section 13:-

- (1) Every application for the registration of a coastal aquaculture farm shall be made to the District Level Committee as set up by the Authority in Form I, obtainable from the office of the District Level Committee or the office of the Authority or be downloaded from the website of the Authority.
- (2) Every application under sub-rule (1) for the registration of coastal aquaculture farm specified in column (1) of the Table below shall be accompanied by the fee specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

	(1)	(2)
1.	Up to 5.0 hectare (ha) water spread area	Rs. 200 per ha (or fraction of a ha), subject to a minimum of Rs. 500/-
2.	From 5.1 to 10 ha water spread area	Rs. 1000 plus Rs. 500 per ha (or fraction of a ha) in excess of 5 ha.
3.	From 10.1 ha water spread area and above	Rs. 3500 plus Rs. 1000 per ha (or fraction of a ha) in excess of 10 ha.

(3) The fees for registration shall be payable in the form of Demand Draft in favour of the Member Convenor of the District Level Committee set up by the Authority.

10. The manner of considering application for registration:-

- (1) On receipt of an application under sub-rule (1) of rule 9, the District Level Committee shall verify the particulars given in the application in respect of all coastal aquaculture farms irrespective of their size; and
 - (a) in the case of coastal aquaculture farms up to 2.0 ha water spread area, the District Level Committee upon satisfaction of the information furnished therein shall recommend the application directly to the Authority for consideration of registration under intimation to the State Level Committee.

- (b) in the case of coastal aquaculture farms above 2.0 ha water spread area, the District Level Committee shall inspect the concerned farm to ensure that the farm meets the norms specified in the guidelines with specific reference to the siting of coastal aquaculture farms and recommend such applications to the State Level Committee, which upon satisfaction shall further recommend the application to the Authority for consideration of registration.
- (2) In case any defect is noticed in the application, the attention of the applicant shall be drawn in writing, requesting him/her to rectify the defect within a specified period and in case of failure on the part of the applicant to rectify the defect within such period, the registration shall be refused.
- (3) The time-frame for consideration of application for registration shall be as specified in the regulations.
- (4) For the purpose of this rule, the compositions of District Level and State Level Committees shall be as below:-

A. District Level Committee

(a)	District Collector	-	Chairperson
(b)	Representative of the State/ Union Territory Revenue Department	-	Member
(c)	Representative of the State/ Union Territory Agriculture Department	-	Member
(d)	Representative of the State/ Union Territory Environment Department	-	Member
(e)	Representative of the State/ Union Territory Zilaparishad	-	Member
(f)	Assistant Director/ District Level Fisheries officer of the State/ Union Territory	-	Member-Convener

B. State Level Committee

Fisheries Department

(a)	Secretary-in-charge of Fisheries of the State/ Union Territory Government	-	Chairperson
(b)	Secretary-in-charge of Revenue of the State/ Union Territory Government	-	Member
(c)	Secretary-in-charge of Environment of the State/ Union Territory Government	-	Member
(d)	Representative of the Marine Products Export Development Authority	-	Member
(e)	Director/ Commissioner-in-charge of Fisheries of the State/ Union Territory Government	-	Member-Convener

- (5) Where the applications for registrations is refused, the reasons for such refusal shall be recorded in writing and a copy of the same along with the order of refusal shall be furnished to the applicant;
- (6) The Authority or any officer authorised by the Authority may require the applicant to furnish within a specified period such additional information as he/ she may consider necessary for the purpose of registration/ renewal and every such applicant shall be bound to furnish such information within the specified period.
- (7) The Authority may, by order, refuse an application for registration/ renewal of a coastal aquaculture farm if the applicant fails to furnish the information asked for or furnishes incorrect information; a copy of the order together with reasons for such refusal shall be communicated to the applicant.
- (8) Nothing in sub-rule (5) shall preclude the applicant to apply afresh for registration after six months of the rejection made there under, if the applicant has rectified the defects and has reasons to believe that he can fully comply with the standards specified by the Authority.
- (9) If during the period when the registration of the coastal aquaculture farm is in force, the owner thereof desires to make any change, he/ she shall apply to the Authority at least thirty days in advance and the Authority shall make such enquiries, as considered necessary before order can be passed for effecting the change. Where the Authority agrees to the change, details of such change shall be entered in the certificate of registration.
- (10) Any person aggrieved by an order of refusal under sub-rule (5) of rule 10 may within thirty days from the date of receipt by him of a copy of the order of refusal or cancellation, as the case may be, appeal to the Chairperson who may either affirm, vary or set aside such order.

11. The form for using a certificate of registration:-

Where the application for registration is not refused, a certificate of registration shall be granted in **Form II** and shall be subject to the terms and conditions specified in the certificate.

12. Application for renewal of registration and the fees to be paid:-

- (1) Every application for renewal of registration of a coastal aquaculture farm shall be made before two months of the expiry of such registration to the Authority in **Form III** and the Authority shall renew the registration for a further period of five years.
- (2) The fees payable for renewal of registration shall be same as specified under sub-rule (2) of rule 9 for registration.
- (3) Every application for renewal of registration of a coastal aquaculture farm shall be made to the District Level Committee, which upon examination shall forward it to the Authority through the State Level Committee.
- (4) The time-frame for consideration of renewal of registration shall be as specified in the regulations.
- (5) Where the Authority is satisfied that further continuation of the said coastal aquaculture farm is harmful to the coastal environment it shall refuse to renew the registration: Provided that before refusal to renew the registration, the Authority shall give the concerned person an opportunity to be heard;

- Provided further that a copy of the order together with the reasons for the refusal to renew the registration shall be communicated to the person concerned.
- (6) Any person aggrieved by an order of refusal of renewal may within thirty days from the date of receipt by him of a copy of the order of refusal, appeal to the Chairman who may affirm, vary or set aside such order.

13. The form and time for preparation of the budget:-

- (1) The Authority shall, in each financial year, prepare a budget for the Coastal Aquaculture Authority for the next financial year and shall submit it for sanction to the Central Government on or before such dates as may be appointed by the Central Government.
- (2) No expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government and the sanction for that expenditure by the competent authorities is received.
- (3) The budget shall be prepared in the following form or as may be directed by the Central Government indicating:-
 - (a) the estimated opening balance;
 - (b) the estimated receipts referred to in sub-section (1) of section 17 of the Act;
 - (c) the estimated expenditure classified under the following broad heads or such other heads as per the schemes approved by the Central Government, namely
 - (i) Administration;
 - (ii) Development;
 - (iii) Statistics;
 - (iv) Inspection/ Works;
 - (v) Financial and other assistance/ subsidy scheme;
 - (vi) Others

Note:- Wherever applicable, full details shall be given, under various sub-heads for each broad head, indicating estimated expenditure including that of pay of officers, pay of establishment, allowance, honoraria, contingencies and the like.

(4) Supplementary estimates of expenditure, if any, shall be submitted for the sanction of the Central Government in such form and on such dates as may be directed by it in this behalf.

14. The form and time for preparation and submission of annual report:

- (1) The Chairperson or such employee of the Authority as may be authorized in this behalf, shall prepare, as soon as may be after the commencement of the each financial year the annual report which shall include an account of the activities of the Authority during the previous financial year which shall contain the following information
 - (a) a statement of corporate and operational goals and objectives of the Authority;
 - (b) annual targets and physical and financial terms set for various activities in the background of sub-rule (1) together with a brief review of the actual performance with reference to those targets;
 - an administrative report on the activities of Authority during the previous financial year and an account of the activities which are likely to be taken up during the next financial year;

- (d) a summary of the actual financial results during the previous financial year and year of report;
- important changes in policy and specific measures either taken or proposed to be taken, which have influenced or are likely to influence the profitability or functioning of the Authority;
- (f) new projects or expansion schemes contemplated together with their advantages, financial implications and programme for execution;
- (g) important changes in the organisational set up of the Authority;
- (h) report on employer-employee relations and welfare activities of the Authority; and
- (i) report on such other miscellaneous subjects as deemed fit by the Authority or the Central Government for reporting to the latter.
- (2) The annual report shall be placed for adoption in the meeting of the Authority and shall be signed by the Chairman or in his absence by two members authorized for the purpose by the Chairman and authenticated by fixing the common seal of the Authority and required copies thereof shall be submitted to the Central Government by the thirty-first day of December of the following year.

15. The form and manner of maintaining the accounts of the Authority:-

- (1) The Authority shall maintain accounts of all receipts and expenditure relating to every financial year.
- (2) A separate bank account shall be maintained for the registration fee.
- (3) The expenditure incurred in a particular financial year shall be shown under separate heads and Sub-heads.
- (4) The opening balance, if any, shall also be stated as such separately.
- (5) The closing balance of the year shall be shown at the foot of the accounts on the expenditure side.
- (6) The books of accounts, other books in relation to the accounts, will be maintained in the form as laid down in various General Financial Rules, Central Treasury Rules, Receipts and Payment Rules in force from time to time except as otherwise provided in these Rules, the provisions of the Central Treasury Rules, the Delegation of Financial Power Rules, 1958, and the General Financial Rules, 1962 of the Central Government, for the time being in force, shall subject to such modifications or adaptations as may be made by the Authority therein with the previous approval of the Central Government and shall apply to all financial transactions of the Authority.

[F.No. 33036/5/2005-Fy (T-2)]

(Ajay Bhattacharya) Joint Secretary to the Govt. of India

FORM I

(see rule 9)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

MINISTRY OF AGRICULTURE

Application for Registration of Coastal Aquaculture Farm

	(d)	Land meant for Public purpose			
	(c)	Lands for village common purpose			
	(b)	Forest land			
	(a)	Agricultural Land			
		Category	Village	Survey Numbers	Extent (in ha)
5.	und	the whole or a part of the above land a er any one of the following categories are furnish details			
_		Water Spread Area (in hectare)	:		
		Total Farm Area (in hectare)	:		
	(f)	Ownership right (whether freehold or lease hold)	:		
	(e)	Survey Number	:		
	(d)	Revenue village	:		
	(c)	Taluk/ Mandal	:		
	(b)	District	:		
	(a)	State	:		
4.		ails of land for which registration is lied for:			
	(b)	Registration of new aquaculture fato be constructed	nrm :	Yes/ No	
3.	Who	ether the application is for: Registration of aquaculture farm already operating in coastal area	:	Yes/ No	
2.		lress for Communication BLOCK LETTERS)	:		
1.	com	ne of the applicant(s)/ registered appany/ establishment (in BLOCK TTERS with permanent address)	:		

- (f) Mangroves
- (g) Salt pan
- 6. Indicate the distance of unit site from
 - (a) High tide line
 - (b) Nearest drinking water source :
 - (c) Agricultural land
 - (d) Mangrove :
 - (e) Marine protected area :
 - (f) Adjacent aquaculture farm :
 - (g) Human settlements (Indicate the population of the settlement)
 - (h) National parks :
 - (i) Sanctuaries :
 - (j) Reserve forests :
 - (k) Breeding spawning grounds and other aquatic life
 - (l) Beaches
 - (m) Coral reefs :
 - (n) Heritage area
- 7. Water source for the Aquaculture Unit
 - (a) Sea : Yes/No
 - (b) Creek/estuary/ canal/ back water : Yes/ No
 - (c) If the water source is as mentioned in(b) above, indicate the name of the source
- 8. Date of commencement of operations of existing aquaculture farm
- 9. * Furnish Project Report giving details with sketch (to scale) of design and layout of the aquaculture farm in operation/proposed along with operational details, water intake and wastewater treatment facility
- 10. * Whether Environment Impact Assessment (EIA)/Environment Management Plan (EMP) were carried out on the environment of the aquaculture farm with reference to other land uses in its neighborhood and based on operational details of the unit as furnished in the Project Report, please state specifically, whether

- (a) the aquaculture activity has the effect of causing water logging of adjacent areas or polluting the drinking water sources.
- (b) by use of supplementary feeds/ medicines/drugs, etc. will consequently increase sedimentation which will be harmful to the environment.
- (c) such activity would cause siltation, turbidity with detrimental implication on local fauna and flora
- 11. *If, Environment Impact Assessment (EIA) has been done, please attach the report
- 12 * If Environment Management Plan (EMP) has been drawn up, please furnish details
- 13 *If effluent treatment system (ETS) has been in operation/ proposed, please furnish layout, design and technical details:
- 14 Details of remittance of processing fee

Declaration

I/ We	son(s)/daughter(s) / wife of
	residing at
hereb	y declare that the information furnished above
is true to the best of my/our knowledge and belief. I am	we are fully aware that if it is found that the
information furnished by me/us is false or there is any	kind of deviation/ violation of the conditions
on which certificate of registration may be issued by t	he Authority, the Certificate of Registration
issued may be either suspended or cancelled.	
	Signature of the applicant(s)
	Signature of the applicant(s)
Date:	
Place:	

* Applicable for farms with water spread area of more than 2 (two) hectares.

FORM II (see rule 11)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY MINISTRY OF AGRICULTURE

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF COASTAL AQUACULTURE FARM

Under section 13 of Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 and rule 11 of Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005.

Au	thority Rules, 2005.		
Re	g. No.		Dated:
The	e coastal aquaculture farm of Shi	ri/ Smt/ M/s	son/ daughter/ wife of
		residing at	
		is registe	ered by the Coastal Aquaculture
Au	thority vide No	dated	·
	DETAILS OF UNIT	AND TECHNOLOGY TO B	E FOLLOWED
1.	LOCATION OF THE FARM		
	State District	Taluk/ Mandal	Revenue village
2.	Survey Numbers:		
1.	Area of the Farm (in hectare):a) Total farm areab) Total water spread area		
2.	Species to be cultured:		
3.	Stocking Density:		
4.	No of Crops/ Year		
Pla Da			Signature of the officer issuing the Certificate
		(Seal of the Authority)	

Conditions for Registration of Coastal Aquaculture Farm

- This Certificate of Registration is granted subject to the provisions of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005 and the Coastal Aquaculture Authority Regulations, 2005 and the Guidelines issued thereunder.
- 2. This Certificate of Registration is not transferable.
- 3. Any change in the layout, design, area and stocking density (or) other matter should be got approved by the Authority.
- 4. The environmental requirements should conform to the Guidelines and the regulations issued in this behalf by the Coastal Aquaculture Authority from time to time.
- 5. The owner of the coastal aquaculture farm shall also comply with such other instructions/ conditions as may be from time to time issued by the Authority.

FORM III

(see rule 12)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY MINISTRY OF AGRICULTURE

APPLICATION FOR RENEWAL OF REGISTRATION BY COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY FOR UNDERTAKING SHRIMP AQUACULTURE

1.	regis	ne(s) of the Applicant(s) stered company/ establishment BLOCK LETTERS)	:
2.	Address for Communication : (in BLOCK LETTERS)		
3.		nils of location/ land of the farm which approval had been issued	:
	(a)	Total Area and Water Spread Area	:
	(b)	Survey No. of the Farm/ Pond	:
	(c)	Village	:
	(d)	Taluk	:
	(e)	District	:
	(f)	Average Stocking Density followed (in number/ m²)	:
	(g)	Average Production obtained (Kg/ ha/ crop)	:
	(h)	Technology followed	:
	(i)	No. and date of the Registration issued by the Authority (Photo copy of the approval issued by the Authority has to be enclosed)	:
4.	Deta	ails of remittance of Processing fee	:

DECLARATION

I/We	Son(s)/ Daughter(s)/ Wife of
residing at	
hereby declare that information furnished ab	ove is true to the best of my/ our knowledge and belief.
The shrimp culture operations carried out b	y me/ us had not neither polluted the environment nor
damaged the ecology of the adjacent area.	I am/ we are fully aware that if it is found that the
information furnished by me/ us is false and t	here is any kind of deviation/violation of the conditions
on which registration was granted by the Aut	hority, the authorisation/renewal granted to me/us may
be either suspended or cancelled.	
	Signature of applicant(s)
Date:	
Place:	

Guidelines for Regulating Coastal Aquaculture

Annexure (see rule 3)

Guidelines for Regulating Coastal Aquaculture

Contents

1.0	Introduction
2.0	Shrimp aquaculture
3.0	Shrimp aquaculture practices
4.0	Site selection
5.0	Construction and preparation of shrimp farms
6.0	Water quality and its management
7.0	Seed production
8.0	Seed selection and stocking
9.0	Feed and feed management
10.0	Health management of shrimps
11.0	Use of chemicals and drugs
12.0	Harvest and post-harvest
13.0	Wastewater management
14.0	Farm hygiene and management
15.0	Environment impact assessment
16.0	Environment monitoring and management plans
17.0	Cluster management, record maintenance and networking
18.0	Integrated coastal zone management
19.0	Protecting the livelihood of various coastal communities
	Appendix

Guidelines for Regulating Coastal Aquaculture

1.0 Introduction

- 1.1 Coastal aquaculture entails managed farming or culture of organisms in saline or brackishwater areas for the purpose of enhancing production, both for domestic and export markets. Coastal aquaculture in the broader sense includes culturing of crustaceans like shrimp, prawn, lobsters, crabs and finfishes like groupers, sea bream, mullets and molluscs like clams, mussels and oysters.
- 1.2 These guidelines are to ensure orderly and sustainable development of shrimp aquaculture in the country. The guidelines are intended to lead to environmentally responsible and socially acceptable coastal aquaculture and also enhance the positive contributions that shrimp farming and other forms of aquaculture can make to socio-economic benefits, livelihood security and poverty alleviation in the coastal areas.
- 1.3 The present guidelines are to cover the entire gamut of shrimp farm management and measures to reduce the environmental impact of the wastewater discharged from shrimp farms, treatment of such wastes and mitigation of the adverse impact of such wastes on the environment as well as resolution of social conflicts, which could lead to sustainable development of shrimp aquaculture. The guidelines are intended to assist the farmers in adopting good management practices (GMP).
- 1.4 These guidelines are for the use of all stakeholders involved, including shrimp farmers, the coastal community, State Fisheries Departments, Pollution Control Boards and the Ministries and Departments of the Governments of India and the States.

2.0 Shrimp aquaculture

- 2.1 Shrimp aquaculture is one of the most common and popular farming practices in the coastal areas. By the end of 2004 out of an estimated 12 lakh ha amenable for coastal area only about 1 50 000 ha is under shrimp farming producing about 1 20 000 tonnes of shrimp every year. *Peneaus monodon* is the most commonly farmed species for which the technology is also well established. Presently, about 80 per cent of the shrimp culture activities in the country are under traditional/ extensive systems.
- 2.2 Shrimp aquaculture also resulted in development of several ancillary/associated activities such as seed production, feed production and processing units as well as aquaculture machinery/ equipment production. Together, these activities have contributed to the generation of livelihood options and employment opportunities in the coastal areas.

3.0 Shrimp aquaculture practices

- 3.1 The technology, scale and intensity of shrimp aquaculture determine the production and productivity as well as the environmental and socio cultural impacts on the coastal environment. Presently, traditional/improved traditional and scientific extensive shrimp farming practices are most common and adopted by the farmers in the coastal areas of the country. Traditional/improved traditional systems are characterized by low stocking densities and limited application of supplementary feeding or fertilizers. In scientific extensive farming, supplementary seed and feed are encouraged as a means of integrating more effectively the use of land and water resources in the coastal areas.
- 3.2 The other technologies of shrimp farming such as semi-intensive and intensive are not recommended as they involve the use of higher stocking density of seed and larger quantities of feed and fertilizers. Such practices generally place larger demands on the natural resources and result in higher organic load leading to pollution and social impacts in the coastal areas. Therefore, only traditional/improved traditional and scientific extensive systems of shrimp farming shall be permitted in the coastal areas.

4.0 Site selection

- 4.1 Site selection is an important process in aquaculture as this can often decide the success or failure of the shrimp farm, small or large. Besides technological (biological, physical and chemical) aspects of aquaculture, the environmental and socio-economic aspects covering social, economic and legal issues are important parameters to be considered while finalizing the site for setting up a shrimp farm. It is also essential to look into the previous use(s) and topography of the site to determine the adequacy of the site and cost of farm construction.
- 4.2 The following guidelines on site selection are to ensure that shrimp farms are harmoniously integrated into the local environment and social settings. By identifying the limitations that influence the suitability of a site, it is possible to incorporate corrective measures in the farm design and also formulate remedial measures for the negative impacts likely to arise out of these limitations.
- 4.3 Large-scale shrimp aquaculture may bring in excessive demand on land resources, resulting in multi-user conflicts. Construction of shrimp farms may make inroads into agricultural land. The States must undertake detailed surveys to identify lands/ areas, which are fit for different purposes and allocate suitable area for shrimp farming. They should discourage conversion of agriculture land for aquaculture. Construction of shrimp ponds on marginal land not fit for cultivation alone should be permitted. However, the competitive and cooperative activities of the different sectors concerned should also be considered while giving approval to setting up of shrimp farms.
- 4.4 Generally clayey loam soils are preferred. High capital and operational cost will be involved in maintaining a farm in sandy area, which is also to be avoided owing to the high water percolation through the sandy soils, and possible environmental damage which could arise from it. Further, the topography of the soil and its contour should be ascertained in relation to the water intake and drainage points as well as construction costs. A better site is the one, which involves lesser capital investment for constructing fully drainable ponds.
- 4.5 The quality of soil should be ascertained for soil pH, permeability, bearing capacity and heavy metal content. Soil with low pH of below 5 (example acid sulphate soils) should be avoided. Similarly, soils with high concentrations of heavy metals also should be avoided. The suitable soil characteristics ideal for construction of a shrimp farm are as follows:

pН	Organic	Calcium	Available	Available	Electrical
	carbon	carbonate	nitrogen	phosphorus	conductivity
7-8	1.5 - 2.5%	> 5%	50–75 mg/100 g soil	4–6 mg/100 g soil	> 4 µmhos

- 4.6 The hydro-meteorological data of the proposed area is very important to develop the design of the farm and to ensure the availability of acceptable water quality in the farm. The most important data required in this regard are rainfall, tidal fluctuation, wind direction and velocity, flood levels, frequency and time of occurrence of natural calamities such as storm, cyclone, hailstorm, etc. Construction of farms in cyclone prone areas and places where natural calamities such as floods occur should be avoided.
- 4.7 Mangroves play an important role in soil binding, as a source of nutrient cycling, as a buffer and a natural biological filter of several pollutants and as a breeding ground and

nursery area for many important fin and shellfishes. There is evidence that removal of mangroves leads to a decline in fin and shellfish recruitment to the open waters through reduced availability of post-larvae. Mangroves are now legally protected under the environment law of the country.

Large concentration of shrimp farms in mangrove areas has not proved sustainable elsewhere in the world. Mangrove soils are potential acid sulphate soils and not conducive for setting up of shrimp farms. The States should not permit shrimp farm construction within natural mangrove areas, or ecologically sensitive wetlands, swamps, etc.

- 4.8 The infrastructure facilities like roads, electricity, proximity to hatcheries, feed manufacturing units/ feed retailers, ice plants, processing plants should be considered while choosing the site for a shrimp farm since these play an important role in the economics of culture operations.
- 4.9 The following guidelines, which are mandatory, should be adopted for site selection and also to avoid subsequent social and environmental impacts.
 - Mangroves, agricultural lands, saltpan lands, ecologically sensitive areas like sanctuaries, marine parks, etc, should not be used for shrimp farming.
 - Shrimp farms should be located at least 100 m away from any human settlement in a village/ hamlet of less than 500 population and beyond 300 m from any village/ hamlet of over 500 population. For major towns and heritage areas it should be around 2 km.
 - All shrimp farms should maintain 100 m distance from the nearest drinking water sources.
 - The shrimp farms should not be located across natural drainage canals/ flood drain.
 - While using common property resources like creeks, canals, sea, etc, care should be taken that the farming activity does not interfere with any other traditional activity such as fishing, etc.
 - Spacing between adjacent shrimp farms may be location specific. In smaller farms, at least 20 m distance between two adjacent farms should be maintained, particularly for allowing easy public access to the fish landing centers and other common facilities. Depending upon the size of the farms, a maximum of 100 150 m between two farms could be fixed. In case of better soil texture, the buffer zone for the estuarine-based farms could be 20 –25 m. A gap having a width of 20 m for every 500 m distance in the case of sea based farms and a gap of 5 m width for every 300 m distance in the case of estuarine-based farms could be provided for easy access.
 - Larger farms should be set up in clusters with free access provided in between clusters.
 - A minimum distance of 50 100 metres shall be maintained between the nearest agricultural land (depending upon the soil condition), canal or any other water discharge/ drainage source and the shrimp farm.
 - Water spread area of a farm shall not exceed 60 per cent of the total area of the land. The rest 40 per cent could be used appropriately for other purposes. Plantation could be done wherever possible.
 - Areas where already a large number of shrimp farms are located should be avoided.
 Fresh farms in such areas can be permitted only after studying the carrying/assimilation capacity of the receiving water body.

5.0 Construction and preparation of shrimp farms

5.1 Farm Design and Construction: Proper designing and construction of shrimp farm is essential for their efficient management and for promoting environmental protection. Good site selection and incorporation of mitigatory features in the farm design are the best ways to avoid problems related to flood levels, storms, erosion, seepage, water intake and discharge points. A site-specific approach to design and construction of shrimp farms is necessary, as site characteristics vary greatly from place to place. The following checklist should be considered while designing and constructing shrimp farms:

Checklist for farm design and construction

- Embankments should be designed to prevent flooding and erosion, after taking into consideration the tidal amplitude, water current, wind direction, wave action and the past histories of flooding in the area during cyclones/ storms.
- In soils, which are seepage prone, design should include an inner clay core in the dykes with greater compaction and trench around the farm to reduce saline water intrusion into the neighbouring lands.
- The elevation of the pond bottom, drainage canal and the outlet should be designed in such a way that the water in the farm can be drained fully and easily through gravity.
- Ponds should have separate intake and outlet structures to permit control of filling and draining.
- A minimum water depth of 80-100 cm should be maintained in the ponds.
- Inlet and discharge canals should be separate so that water supply and wastewater are not mixed. In areas where such a provision cannot be made, it is advisable that waste treatment pond should be included in the design.
- The farm design should not alter natural water flows, or impound floodwater.
- The sluice gates should be watertight and provided with net filters.
- Where possible, vegetative buffer zones, riparian vegetation and habitat corridors should be maintained and vegetative cover provided on exposed earthwork.
- Pump intakes should be screened, vegetative buffers provided around pump stations, and containments installed to prevent fuel spills.
 - 5.2 Construction of Intake Reservoirs and Effluent Treatment Ponds: In areas where the source water is turbid with suspended particles, an intake reservoir for settling the silt is very essential. Similarly, in areas where there is overcrowding of shrimp farms and the intake and outfall are from the same source (*i.e.* creek, estuary, backwater) the intake reservoir with provision for treatment of water is essential. In areas where the tidal current is swift and tidal amplitude is high, the wastewater from the farm can be directly let out during the low tide. But in areas where the tidal current is very low, it is essential that the wastewater be treated in an Effluent Treatment Pond (ETP) before it is released into the natural system. An ETP, as a reservoir for holding and regenerating wastewater, is mandatory for farms larger than 5 ha. A minimum of 10 percent of the total farm area should be reserved for this purpose. It is also necessary that smaller farms that are located in close proximity to each other (farm clusters) should consider setting up of common ETP to avoid self-pollution and also release of excess nutrients and suspended solids, which could lead to eutrophication of the receiving water body.

For better water management, individual culture units should be within 5 ha areas and suitable feeder channel system should be provided within the farm so that the water intake can be effectively managed in all the individual units.

- 5.3 Pond Preparation: Pond preparation is an essential part of culture practices during which the metabolite load and contaminants (chemical and biological) in the soil from the previous culture cycle is removed through tilling, ploughing and drying. During pond preparation, the pests and predators are removed and pH and nutrient levels in the water and soil are brought to optimal concentrations through application of lime, organic manures and inorganic fertilisers. The following checklist would assist in pond preparation and reduction of the possible environmental impacts:
 - Pond sediments from the previous culture, which are likely to have accumulation of
 nutrient loads and other contaminants, should not be disposed off in the natural
 environment. In case it is necessary to remove the sediments it should be disposed
 off within the farm site itself, by putting such sediments in trenches made in the wide
 dykes. However, it should be ensured that these sediments do not leach out.
 - Application of lime is useful in correcting the pH of the soil and water, as a disinfectant
 and for increasing the mineralisation process. If the soil pH is not below 7.5, a basal
 dose of 300-500 kg/ ha can be applied. However, in acid soils, where the pH is low,
 the quantity of lime to be applied should be calculated based on the pH and type of
 lime used.
 - Unwanted /pest organisms should be killed and removed from the pond by drying of the pond bottom. In cases, where complete drying is not possible, organic, biodegradable piscicides such as *Mahua* oil cake (100-150 ppm), tea seed cake (15-20 ppm) and also lime (*Calcium oxide preferred*) can be used. No chemical piscicide should be used.
 - After the application of the organic piscicide at least a period of 10 days should be given for its toxic effect to be removed. Chlorination can be done to remove the pests and pathogens in ponds where drying of pond bottom is not possible.
 - Fertilizers and manures should be used judiciously as per the requirement, according
 to recommended doses (Table 1 below). Over fertilization should be avoided. Fertilizer
 schedule should be decided based on the phytoplankton growth in the ponds. The
 colour and transparency of the water can be taken as indicators of plankton growth.
 Optimal density of phytoplankton should be maintained throughout the culture period.
 - Heavy algal bloom should never be allowed to develop since crash of algal bloom
 may lead to anoxic conditions in the pond thereby affecting the survival and growth
 of the shrimps.

Table 1. Recommended dosages of organic manures and inorganic fertilizers for improving production from traditional and extensive systems of farming

Dosage of manures in relation to organic carbon content of soil				
	Prescribed basal dose			
Organic	Raw cow	Dry chicken manure		
Carbon in soil (%)	dung (kg/ha)	(kg/ha)		
1	500	175		
0.5	1000	350		
0.25	2000	700		

Application of Urea in relation to available Nitrogen			
Available N in soil (mg/100g soil)	Urea to be applied (kg/ha)		
12.5	100		
25.0	50		
50.0	25		

Application of super phosphate in relation to available Phosphorus			
Available P in soil	Super phosphate to		
(mg/100g soil)	be applied (kg/ha)		
1.5	100		
3.0	50		
6.0	25		

(Source: Aquaculture Authority, 1999)

6.0 Water quality and its management

6.1 Brackishwater/ seawater in adequate quantities should be available throughout the year. The water source could be from backwaters, canals/creeks, lagoons or sea. The quality of the water available in the site has a strong influence on the success of the shrimp farm. Water quality parameters like pH, salinity, dissolved oxygen (DO) and the presence of toxicants/ pollutants should be ascertained. Low pH water will pose serious problems and similarly wide fluctuation in salinity will also be detrimental to the cultured species. The water source should be free from any industrial/ agricultural pollution. The presence of contaminants and their levels should be considered in the light of the tolerance and also sub-lethal effects on the species to be cultured. The optimal levels of various water quality parameters for better survival and growth of shrimps are listed in the Table 2 below:

Table 2. Optimal levels of water quality parameters for shrimp farms

Sl. No.	Water Quality Parameters	Optimal Level
1.0	Temperature (°C)	28 – 33
2.0	Transparency (cm)	25 - 45
3.0	pH	7.5 - 8.5
4.0	Dissolved oxygen (ppm)	5 – 7 (above 50% air saturation)
5.0	Salinity (ppt)	15 - 25
6.0	Total alkalinity (ppm)	200
7.0	Dissolved inorganic phosphate (ppm)	0.1 - 0.2
8.0	Nitrate - N (ppm)	< 0.03
9.0	Nitrite - N (ppm)	< 0.01
10.0	Ammonia - N (ppm)	< 0.01
11.0	Cadmium (ppm)	< 0.01
12.0	Chromium (ppm)	< 0.1
13.0	Copper (ppm)	< 0.025
14.0	Lead (ppm)	< 0.1
15.0	Mercury (ppm)	< 0.0001
16.0	Zinc (ppm)	< 0.1

- 6.2 Nutrients and organic wastes produced in shrimp culture ponds consist of solid matter (mainly uneaten feed, faecal matter and dead plankton) and dissolved metabolites (mainly ammonia, phosphate, carbon dioxide, nitrite and nitrate). Various management methods are followed to maintain these within the tolerable limits. Among these, the most economical is water exchange. A water exchange of 5 − 30 percent per day is usually done depending on the availability of water and the quality of pond water. A variety of chemicals and probiotics are used in improving the water and soil quality.
- 6.3 The following guidelines are to ensure that the harmful effects of these practices are reduced.
 - Good water quality should be maintained by using water stable feed with minimal wastage.
 - Water quality parameters should be monitored regularly and periodical water exchange
 is necessary to maintain optimal water quality conditions. While exchanging water, care
 should be taken to avoid wide fluctuations in water quality, so as to avoid stress to the
 shrimps and proper screens should be used to prevent the entry of pests and predators.
 Dissolved oxygen concentrations should be measured during early morning hours.
 - Fertilisers and lime should be used in a responsible manner only when it is actually required.
 - Use of freshwater to reduce the *salinity* of the culture water should be avoided for sustainability reasons; even though the shrimps can adapt and grow in a wide range of salinity, it is better to avoid salinity fluxes so as to avoid stress to the shrimps, which could make them more prone to diseases.
 - In low density cultures, high level of water exchange is not required. In view of the complaints of nutrient loading in the open environment and the fear of viral contamination in the source water, the water exchange should be need-based. If water quality remains within optimal limits no water exchange is required for the first two months of rearing.
 - Indiscriminate use of chemicals, bacteriological and enzyme preparations that supposedly
 enhance nutrient removal, organic matter, oxidation and removal of ammonia from water
 and soil should be avoided.

7.0 Seed production

- 7.1 All shrimp hatcheries need to be registered by MPEDA as per their norms which may be reported to the Authority at its subsequent meeting. The Authority will have the power to review the registration of hatcheries and to take appropriate decisions in tune with the requirements of the Coastl Aquaculture Sector.
- 7.2 Production of healthy and disease free shrimp seed is the first step towards sustainable shrimp farming. About 300 shrimp hatcheries were set up in the country by the end of 2004 with a total production capacity of 12 billion post-larvae. These hatcheries are mostly located on the East coast of the country.
- 7.3 Hatchery operations can be broadly classified into broodstock, larval/post larval rearing and live feed management. Since production of healthy seed is a primary step towards disease free farming, shrimp hatcheries are required to maintain strict sanitation, quarantine and quality control management to ensure bio-security and health management. These following guidelines should be adopted by the shrimp hatchery to ensure production of standard and homogeneous quality seed, which are pathogen free.
- 7.4 Water quality: Hatcheries should ensure good supply of oceanic quality seawater with the following optimal water quality characteristics in its rearing systems so as to avoid any stress to the larvae. This can be achieved by selecting a good site with the required water quality.

Table 3. Recommended water quality parameters for shrimp hatcheries

Parameters	Tolerable Limit	Optimal Levels
Temperature (°C)	18 - 36	28 - 32
Salinity (ppt)	26 - 34	30 - 34
рН	7.0 - 9.0	8.0 - 8.4
Dissolved oxygen (ppm)	Above 3	Above 4
Ammonia - N (ppm)	Up to 0.1	Less than 0.01
Nitrite - N (ppm)	Up to 0.1	Less than 0.01

Further, the water should be treated to remove all the suspended solids, dissolved nutrients and bacterial and viral pathogens. This could be achieved by following a good water treatment protocol, which includes:

- Sedimentation
- Water chlorination and dechlorination
- Filtration with sand filters
- Filtration with activated carbon filter
- Cartridge filtration up to 1 micron size
- UV filtration/ Ozonation
- 7.5 Spawner/ broodstock quality: Vertical transmission of viral pathogens from mother shrimps to larvae through the ovarian tissue is one of the sources of introduction of viral pathogens into the hatchery system. In addition to that any stress caused to the spawners will result in spawning of poor quality eggs. The following measures should be strictly followed to obtain good quality eggs.
 - Spawners/ broodstock collected from commercial trawling operations will be stressed
 after being caught in the trawl nets. They should be immediately transported to the
 hatcheries without further stress/ injuries.
 - The spawners collected should be placed individually in disinfected water and immediately transported individually under oxygen packing. Maintaining the spawners individually from the time of their capture is more important to avoid cross contamination with viral pathogens.
 - The broodstock should be quarantined on arrival at the hatchery to prevent the entry
 of pathogens.
 - Spawners/ broodstock, which do not have lesions, damage to gills, loss of appendages and red colouration, should only be selected.
 - Prophylactic treatment of spawners/ broodstock with formalin at 50 ppm for 1 hour under strong aeration should be done before introducing the stock into the hatchery/ maturation system.
 - Spawners/ broodstock should be kept individually for acclimatization and screened
 for the presence of WSSV using a terminal portion of pleopods and for monodon
 baculo virus (MBV) from the faecal matter. Only spawners free from these pathogens
 should be taken into the hatchery/ maturation system.
- 7.6 Induced maturation under captive conditions: Healthy, pathogen free, immature, broodstock, collected from wild, after the prophylactic treatment and acclimatization

should be taken into the maturation tanks and allowed to recover from the stress of capture and transportation for 4-5 days. Then they are induced to mature through eyestalk ablation following the guidelines given below:

- Hard shelled, intermoult healthy female shrimps free from disease or injury having spermatophore in the thelycum should be selected for eyestalk ablation.
- The females should be above 100 g in size for ensuring good quality eggs.
- Eyestalk ablation is to be avoided for newly moulted and ready to moult female shrimps.
- Electrocauterisation is the best way of ablating eyestalk since it causes minimum stress.
- The ablated female shrimps are stocked in the maturation tanks along with unablated males @ 4 nos/ m². Stocking of females and males in the ratio of 2: 1 ensures best mating success.
- Fresh feeds such as clam (*Meritrix sp.*), mussel (*Perna viridis*) and squid (*Loligo* sp.) having similar amino acid profile as shrimps, polychaete worms, Artemia biomass rich in long chain poly-unsaturated fatty acids are used as maturation feeds. Feed should be provided in sufficient quantities by visual observation. Feeds like crabmeat, which are carriers of pathogens, should be avoided.
- In addition to live feed items, pelleted feed fortified with polyunsaturated fatty acids (PUFA) such as arachidonic acid, eicosopentaenoic acid and decasohexaenoic acid should be used to ensure good egg quality.
- Water quality should be maintained under optimal conditions with 100 percent to 200 percent water exchange per day.
- Light intensity should be maintained low and the movement of personnel near the maturation tanks should not disturb the ablated shrimps.

7.7 Spawning and hatching:

- Wild spawners/ induced matured stock should be disinfected with formalin treatment before placing them individually in spawning tanks.
- Feed should not be provided in the spawning tanks.
- Spawned eggs should be collected, washed thoroughly and disinfected by formalin dip treatment and re-suspended in fresh seawater for hatching.
- The quality of the eggs should be assessed within 2 hours after spawning when it will be easier to identify the fertilized and unfertilized eggs.
- If the quality of eggs is very poor, it is advisable to discard the eggs.
- Only active positively photo tactic nauplii should be collected for transfer to larval rearing tank.
- Nauplii should be tested for WSSV before transfer to larval rearing tank.

7.8 Larval rearing/ nursery rearing:

- Nauplii from a single spawner should be reared separately to avoid cross contamination.
- Stocking density of nauplii should be maintained at 50 no./l in larval rearing tanks.
- Algal feed should be initiated before nauplii moult to zoea 1.

- Algal feed should be given in required quantity from cultures that are in exponential stage of growth.
- Algal feed should be concentrated to avoid introduction of large quantities of algal culture water with its nutrient load.
- Water quality in the larval rearing should be monitored for ammonia, nitrite and bacterial load.
- Uniform aeration in all parts of the tanks should be provided through air diffuser stones placed @ 1 no/ sq. ft. This will keep the larvae and the algal feed uniformly distributed in the tank.
- During water exchange, appropriate mesh size nets should be used for draining the water so as to facilitate the removal of faecal matter without stressing the larvae.
- Artemia nauplii/ flake diets should essentially be used from Mysis II stage onwards along with the algal diet.
- Prophylactic use of antibiotics or other drugs should be avoided and only permitted antibiotics, chemicals, etc should be used. Probiotics should be used to the maximum extent possible.
- At PL5, the larvae should be collected from the larval rearing tanks, disinfected with formalin dip treatment and distributed in outdoor nursery tanks @ 15-20 nos/ litre.
- During later stages of nursery rearing, along with artemia nauplii, other live feed items like clam meat or balanced compounded feed can be used.
- Acclimatization to required salinity levels should be done gradually in the nursery stage of rearing.
- Only PL20 should be sold to the farmers after testing its quality with reference to presence of Monodon Baculo Virus (MBV) and White Spot Syndrome Virus (WSSV). At any stage of rearing, if WSSV is detected, the larvae from the whole tank should be discarded.
- For long distance transportation, the seed should be packed in thermocol boxes at reduced temperature.
- Supplementary feeds and raw materials should be properly handled and stored to avoid spoilage.

7.9 Algal culture:

- Algal culture should be maintained in pure form in indoor; temperature controlled rooms and used as started culture for outdoor mass culture.
- It is advisable to use UV treated water for the pure culture of the algae, to prevent contamination.
- The quality of the mass culture should be tested before feeding in larval rearing tanks.

7.10 Artemia hatching:

- Artemia cysts should be disinfected before keeping them for hatching.
- Hatched artemia nauplii should be segregated from the cyst wall and un-hatched cysts before being used as feed in larval rearing tanks.
- Only the nutritionally superior instar I nauplii should be used as feed.

7.11 General bio-security procedures:

- The quality of intake water is very important for healthy operation of a shrimp hatchery. The pollution free water drawn from natural sources should be filtered and possibly, sterilized before usage.
- Movement of men, materials and paraphernalia between different sections of the hatchery should be controlled to avoid contamination.
- Foot pits, washbasins, toilets, etc. should be provided to ensure adequate sanitation and hygiene in the hatchery premises.
- The effluent water should be properly treated in a effluent treatment system before discharge. Regular monitoring of effluents to ensure environment standards, stipulated.
- Hatchery should have adequate facilities for pathology lab like microbiology/PCR facilities to check the health condition of brooders/seeds at different stages.
- Diseased or moribund shrimps should be disposed off safely to prevent contamination
 of the stock.
- Bio-filters, tanks, buckets, nets, etc. should be thoroughly washed and cleaned using sanitizers and dried thereafter. Regular disinfections should be carried out to ensure bio safety.
- The hatcheries are required to monitor their effluents frequently so that the water quality standards remain within the limit stipulated in Table 5. Considering the need for maintaining effluent discharge standards, effluent treatment system shall be mandatory for all hatcheries.
- It is essential that hatcheries maintain proper records of their activities in various sections, for verification by the supervising agencies and also to ensure traceability and easy market access.
- 7.12 Shrimp hatcheries require large quantity of seawater for their day-to-day operations. The water used in the hatchery and let out is likely to be contaminated with dissolved or suspended organic matter, nutrients, chemicals, antibiotics, etc. When contaminated water is discharged into open, it is likely to result in environmental pollution that could be detrimental to the hatchery operation itself, since intake and discharge points are nearby. Therefore, it is necessary to properly treat the effluents so that the discharged water conforms to environmental standards.

8.0 Seed selection and stocking

- 8.1 Seed quality has a direct relationship with the survival and growth of the cultured shrimps and the stocking density has a strong bearing on the level of waste generated in the pond. The higher the stocking density the larger the quantity of feed that has to be used. Higher stocking densities also stress the animals leading to greater incidence of disease. In ponds with excessive stocking and feeding rates, the wastewater is generally of low quality and has a greater potential to cause water pollution than wastewater from ponds stocked at more reasonable densities. Hence, it is essential that the following guidelines be observed:
 - Only healthy and pathogen-free seed from registered hatcheries should be used for stocking.

- The health status of the shrimp seed should be checked through standard testing procedures, including PCR.
- Seed collection from the natural resources should be banned by the State Governments
 with a view to protecting a large spectrum of fin and shellfish species from being
 destroyed.
- Before stocking the seed should be acclimatised to the prevailing temperature, salinity
 and pH in the pond conditions by gradual mixing. In areas with very low salinity,
 salinity adjustments are to be made over a period of 4 –5 days and hence should be
 done at the hatchery itself.
- 8.2 In view of the strong impact of stocking densities on sustainability of farming practices, low stocking densities would only be permitted in shrimp aquaculture. However, such stocking densities for different types of practices shall be as per the regulation of the Coastal Aquaculture Authority.

9.0 Feed and feed management

- 9.1 All shrimp feed manufacturing units need to be registered by MPEDA as per their norms which may be reported to the Authority at its subsequent meetings. The Authority will have the powers to review the registration of feed mills and to take appropriate decisions in tune with the requirements of the coastal aquaculture sector.
- 9.2 Feed is the basis for optimum yield levels in shrimp farming. About 33 shrimp feed mills with a production capacity of 1 50 000 metric tonnes of feed were set up in the country by the end of 2004. Besides, there are a large number of small feed manufacturing units, meeting local requirements.
- 9.3 However, shrimp do not eat all of the feed provided to them, and only a portion of the feed consumed is converted to shrimp flesh. Uneaten feed, feces and metabolic wastes add to the nutrient load in the wastewaters. As feeding rates increase, water quality and soil quality in ponds usually deteriorate.
- 9.4 Fresh diets increase nitrogen loads in shrimp ponds. Considerable amount of detritus and wastes often accumulate on the pond bottom, in areas where water circulation is slow, leading to increased BOD and release of harmful gases, which could cause stress on bottom living shrimps. On the contrary, regular feeding with pelletised diets is known to maximize the growth of shrimps and minimize the nutrient enrichment of the wastewater.
- 9.5 Feed quality and conversion ratio/efficiency have considerable influence on waste levels. Reduction of phosphorus content in feed, control of dietary nitrogen in relation to metabolism and improvement in physical characteristics such as attractability, water stability, texture and appropriate size of the feed will help to reduce the nutrient loading to a large extent.
- 9.6 Careful feed management is essential for successful shrimp farming. By using good quality feed in reasonable quantities, water and soil quality in ponds remains in optimum conditions. This reduces stress on shrimp, there is less likelihood of disease, and they convert feed more efficiently to improve the feed conversion ratio and minimize feed costs. Better water quality in ponds allows minimum load of nutrients in wastewater and reduces the possibility of environmental impacts in receiving water bodies.

9.7 Monitoring of feed input is required to keep feed wastage to the minimum. Similarly, careful monitoring of standing stock in the ponds will also help to ensure that correct feeding levels are observed. The feeding rate prescribed by the manufacturer varies depending on the quality of the feed. The feeding rates given in Table 4 below are recommended. However, it should be regulated based on the check tray observations.

Table 4. Recommended feeding rates for different sizes of the shrimp

Shrimp size (g)	Daily Feed as Percentage of Body Weight
2 - 5	4.0 - 3.0
5 - 10	3.0
10 - 15	3.0 - 2.5
15 - 20	2.5 - 2.0
20 - 35	2.0

- 9.8 The following guidelines should be adopted for feed and feed management in shrimp farming:
 - Feed ingredients should not contain contaminants, anti-nutritional factors, microbial toxins, banned antibiotics or other adulterating substances.
 - Farm-made wet diets should not be used. However, when wet feeds are used crustaceans should be avoided as an ingredient.
 - Only dry, nutritionally balanced pelleted feed with optimal water stability should be used.
 - Freshly obtained feed should be used to the extent possible. In any case feed stored
 for more than two months should not be used. Feed should be stored in cool, dry
 areas to prevent mould and other contamination.
 - Feeding rates should be determined from standard feed curves/charts (Table 3 above) and adjusted for shrimp biomass on a weekly basis.
 - Feed check trays should be used to regulate feeding rates. Feed trays should be widely distributed in the pond.
 - Both overfeeding and underfeeding should be avoided. Efforts should be directed to
 ensure that the shrimps consume the maximum amount of supplementary feed given,
 since excess feed lying uneaten would decompose and lead to poor water quality,
 stress to the shrimps and consequently increased vulnerability to diseases.
 - Since the shrimps require about 4 hours for digestion of feed, feeding frequency should be 4 6 times in a day. Since shrimps are nocturnal, more than 60 percent of the feed should be fed during night.
 - Feed Conversion Ratio (FCR) should be monitored. Reductions in FCR through careful feeding schedule will improve production efficiency and reduce waste loads.
 - Feeds with high acceptability, high digestibility and assimilation efficiency will reduce
 waste generation and nutrient loading. Further this will reduce the cost of production
 since feed accounts for more than 50 percent of the recurring cost.

Shrimp farmers should keep full records of daily feed schedules to enable assessment
of FCR, which should be used to increase feeding efficiency and reduction in feed
waste.

10.0 Health management of shrimps

- 10.1 Viruses, bacteria and protozoa cause the major shrimp diseases. The "White Spot Disease", caused by the White Spot Syndrome Virus (WSSV), which led to devastations in shrimp farming in India as elsewhere is the most known virus disease; the other well known virus disease is the "Yellow Head Disease", which has not been reported from India but is frequent in Thailand and other parts of Asia. Bacteria cause vibriosis. Protozoan diseases such as gill and external fouling caused by *Zoothamnium* also cause problems in shrimp farming.
- 10.2 Outbreak of disease in shrimp culture systems is related to the environmental factors such as deterioration of water quality, sedimentation and self-pollution. Treatment should be undertaken only when a specific disease has been diagnosed and it is known that this disease is treatable. Also, effective measures must be taken to minimize the spread of disease between farm stocks and natural stocks.
- 10.3 The following guidelines envisage health management as a holistic activity with disease prevention as the main objective. The approach includes reduced stocking of disease free seed, better handling, maintenance of good pond environment, and optimal feed management to reduce the stress and prevent most infectious and non-infectious diseases.
 - The health of the shrimps should be monitored continuously and those with any one or more of the following conditions are diagnosed to have some disease: inactive and sluggish, empty gut, bluish/blackish coloration, body blisters, flared up gills, broken appendages, black / white spots, coloured gills and opaque muscles.
 - Any disease should be diagnosed immediately with the help of trained pathologists/ microbiologists.
 - Chemical treatments that can stress the animals should not be employed.
 - Disease problems arising in aquaculture can be attributed primarily to the environmental degradation and most of the pathogens are facultative pathogenic in nature. Hence, management of pond environment is of utmost importance for disease prevention and control.
 - For non-infectious diseases related to pond conditions, treatment of animals should be carried out or pond conditions corrected.
 - For mild infectious diseases with potential to spread, the pond should be quarantined and the best options for disease treatment should be carried out.
 - For serious infectious diseases that may spread widely, the pond should be isolated, remaining shrimp should be net harvested and the pond should be disinfected without discharging any water.
 - Dead and diseased shrimp should be disposed off in a sanitary manner that will discourage the spread of disease.
 - When disease occurs in a pond, transfer of shrimp, equipment, or water to other ponds should be avoided.

 Drug, antibiotic, and other chemical treatments should be done in accordance with recommended practices and all national and international regulations should be complied with.

11.0 Use of chemicals and drugs

- 11.1 Chemicals and drugs used in aquaculture include those associated with structural material, soil and water treatment, antibacterial agents, therapeutants, pesticides, feed additives, anesthetics, immuno-stimulants and hormones. Chemicals and drugs presently in use are mostly derived from agriculture/veterinary field and have never been tested/evaluated specifically with regard to their effects on the aquatic environment.
- 11.2 Some of the chemicals and antibiotics can accumulate in the flesh of shrimp and represent a potential health hazard to the consumer and also affect trade prospects. Some chemicals may also exist in effluents as residues and be harmful to natural aquatic ecosystems. Reducing the use of these agents and chemicals will improve environment performance but also reduce cost of operating shrimp farms. Shrimp health management should focus on disease prevention through good nutrition, sound pond management, and overall stress reduction rather than disease treatment.
- 11.3 Use of chemicals: Chemicals should be avoided in shrimp ponds for prevention or treatment of disease, as feed additives, disinfectants, for removal of other fish or for treatment of soil or water. However, chemicals may be required in hatcheries. The hatchery operators should carefully monitor entry of such chemicals into the natural waters from the hatcheries and they should take steps to remove such materials from the wastewaters.
- 11.4 *Use of fertilizers:* Both organic and inorganic fertilizers are used widely in shrimp culture for promoting the growth of fish food organisms, particularly for the early post-larval stages. This may contribute to the nutrient load in waters receiving the effluents. Therefore, as far as possible only organic manure/ fertilizers and other plant products should be used for such purposes.
- 11.5 *Use of piscicides:* Similarly, piscicides and molluscicides are widely used for removing predators and competitors from shrimp ponds. It would be advisable for aquaculturists to use only the biodegradable organic plant extracts for this purpose, as they are less harmful than the chemical agents. Use of chemical piscicides should be avoided.
- 11.6 *Use of chemotherapeutants:* Some of the chemotherapeutants such as formalin and malachite green which are commonly used as disinfectants are toxic and may affect adversely the pond ecosystem, the external waters, etc. and hence their usage in culture system should be avoided.
- 11.7 *Use of antibiotics/ drugs:* The use of antibiotics in shrimp culture is strictly prohibited as their use may result in development of pathogens resistant to such drugs and the transfer of these pathogens into human beings might result in development of resistance in human pathogens. The list of 20 antibiotics/ pharmacologically active substances presently banned for use in shrimp culture is given in Table 5. This ban will also apply to other substances so notified by the Government from time to time.

Table 5. List of Antibiotics and other pharmacologically active substances banned for using in shrimp aquaculture

Sl. No.	Antibiotics and other Pharmacologically Active Substances
1	Chloramphenicol
2	Nitrofurans including: Furaltadone, Furazolidone, Furylfuramide, Nifuratel, Nifuroxime, Nifurprazine, Nitrofurantoin, Nitrofurazone
3	Neomycin
4	Nalidixic acid
5	Sulphamethoxazole
6	Aristolochia spp and preparations thereof
7	Chloroform
8	Chlorpromazine
9	Colchicine
10	Dapsone
11	Dimetridazole
12	Metronidazole
13	Ronidazole
14	Ipronidazole
15	Other nitroimidazoles
16	Clenbuterol
17	Diethylstilbestrol (DES)
18	Sulfonamide drugs (except approved Sulfadimethoxine,
	Sulfabromomethazine and Sulfaethoxypyridazine)
19	Fluroquinolones
20	Glycopeptides

11.8 The Maximum Permissible Residual levels for various antibiotics and other pharmacologically active substances stipulated by the Government for fish and fishery products is as per appendix attached to these guidelines. Shrimp farmers and input providers should strictly follow these stipulations, which may be revised by the Government from time to time.

12.0 Harvest and post-harvest

- 12.1 During the harvesting maximum suspended particles are likely to be released into the open waters. Hence great care should be taken to prevent such a release. The farmers are advised to adopt the following norms while harvesting the crop:
 - Harvesting can be done by completely draining the pond either by gravity or through pumping and hand picking or trapping.
 - The water drained out for harvesting should be pumped into the waste stabilization ponds and kept for a few days for settlement before releasing into the open water.
 - Icing should be done immediately after harvest.
 - Generally, the processors/ buyers collect the harvest from farm site and transport in refrigerated vans. When such a facility is not available and the produce has to be transported over a long distance, the shrimps should be beheaded and stored in ice to prevent spoilage.

13.0 Wastewater management

- 13.1 The waste from shrimp ponds contain mainly suspended solids, comprising unconsumed feed, faecal matter and plankton, and dissolved nutrients such as ammonia, nitrite, phosphorus, carbon-dioxide, hydrogen sulphide. The former component is the result of physical qualities of feed and fertilizers while the nutrients are influenced by the chemical composition of the feed ingredients and the fertilisers. The nutrients and organic matter in shrimp pond wastes have potential for the following impacts:
 - reduce dissolved oxygen in receiving waters, due to discharge of waste water low in dissolved oxygen and breakdown of dissolved and particulate organic matter and other waste materials (BOD and COD).
 - hyper-nitrification and eutrophication of receiving waters, resulting in increased primary productivity (with potential risks of phytoplankton blooms), alteration of biological community structure and secondary productivity; and
 - increased sedimentation due to organic matter, leading to changes in productivity and benthic community structure, plus possible siltation.
- 13.2 Such impacts depend on the quantum of wastewater outflow and the capacity of the environment to assimilate the waste materials. It is, therefore, desirable to match loads with the capacity of the environment to accept the waste materials. The following checklist will guide the shrimp farmer in responsible waste management and for protection of the water and land resources.

Checklist for wastewater management

- Proper designing of the farm with independent intake and outfall will reduce the nutrient loading.
- Proper compaction of bunds with vegetative cover should be provided which will reduce erosion.
- Proper pond preparation methods will reduce nutrient loads.
- Proper water and soil quality management in the culture ponds will reduce the nutrient loading of wastewater
- Responsible feed management will reduce feed wastage.
- During harvest, water should be drained carefully avoiding re-suspension of sediment.
- Shrimp pond wastewater should not be discharged into freshwater areas or onto agricultural land.
- Removing of sediments from the pond bottom should be avoided. It should be corrected in situ.
- 13.3 Direct output of waste from shrimp farms and hatcheries can alter the water quality along the coastline. The dissolved and particulate nutrients and organic matters including small quantities of chemicals, micro-organisms and detritus can alter the water quality to a great extent and hence have to be properly treated before such wastes are discharged into the open waters or in the drainage canal. Such wastewater could also be used for undertaking secondary aquaculture projects, particularly for culture of mussels, oysters, seaweed, other finfishes, etc. Such integrated projects would also offer scope for

- improving the wastewater quality, reducing the organic and nutrient loss and producing an additional cash crop. In addition to this biological amelioration of wastewater, settlement/ sedimentation ponds may be constructed along the drainage canals. The drainage canals may be designed in such a way that they are wide enough to slow down the flow of water from ponds, so as to allow the settlement of these suspended solids.
- 13.4 Effluent Treatment System (ETS) is mandatory for farms above 5 ha. At least 10 per cent of the total pond area should be earmarked for the ETS which may be used for secondary aquaculture projects, particularly for culture of mussels, oysters, seaweed, other fin fishes, etc. Such integrated projects would help improving the wastewater quality, reducing the organic and nutrient loads and producing an additional cash crop.
- 13.5 The standards shown in Table 6 are laid down for the wastewater discharged from the aquaculture systems, hatcheries, feed mills and processing plants. The same may, however, be modified by the Authority from time to time.

Table 6. Standards for treatment of wastewater discharged from the aquaculture farms, hatcheries, feed mills and processing units

		Final Discharge Point	
S No	Parameters	Coastal Marine Waters	Creek or estuarine courses when the same inland water courses are used as water source & disposal point
1	рН	6.0 - 8.5	6.0 – 8.5
2	Suspended solids mg/1	100	100
3	Dissolved oxygen mg/1	Not less than 3	Not less than 3
4	Free Ammonia (as NH3-N) mg/1	1.0	0.5
5	Biochemical Oxygen Demand-BOD (5 days @ 20 c) Max mg/1	50	20
6	Chemical Oxygen Demand-COD mg/1 Max	100	75
7	Dissolved Phosphate (as P) mg/1 Max	0.4	0.2
8	Total Nitrogen (as N) mg/1	2.0	2.0

13.6 It is advisable to let ponds dry between harvests rather than removing sediment accumulations from the pond bottom. This method is probably less environmentally damaging than indiscriminate discharge of bottom sediment. If shrimp stocking densities are kept low (below 15 Pl per m²), then sediments can be kept in good condition by simply drying the pond bottom between harvests. The solid waste of the farms, including sludge and scrapped soil from the ponds should not be disposed off into the waterways. The waste shall be disposed off within the premises of the farm after adequate treatment without allowing it to get into waterways.

14.0 Farm hygiene and management

- 14.1 The objectives of shrimp farming practices should be to produce contaminant-free products for consumers through responsible pond operations and good management practices that prevent, eliminate, or appropriately reduce levels of chemicals, drugs and pathogens that pose human health concerns. The following guidelines should be used to achieve this goal:
 - All waste materials should be disposed of in a sanitary way.
 - In evaluating the suitability of a site for aquaculture, include testing for any chemicals, drugs and pathogens that might pose a human health risk and are likely to occur at the site.
 - Avoid the potential for septic runoff from humans or other animals, as well as any
 indication of frequent use of pesticides, herbicides, and drugs; and past contamination
 with fuel oil or any other chemical contaminants.
 - Feed should not contain chemical or microbial contaminants. Feeding of uncooked organisms or any nutrient source derived from uncooked organisms is discouraged.
 - The shrimp industry and individual producers should work with the government to
 prepare lists of pathogens, drugs and chemical contaminants that pose existing or
 potential human health concerns and takes effective measures to control these risks.
 - When using any chemical products at or near shrimp-farming sites, shrimp farmers should be attentive to the information on product labels that regards human health concerns.
 - Approved drugs, or other chemicals should be used only when necessary to control identified disease problems.

15.0 Environment impact assessment

15.1 An Environment Impact Assessment (EIA) should be made even at the planning stage by all the aquaculture units above 40 ha size. For 10 ha and above a statement will be required to be given in the detailed plans. The District/ State Level Committees set up by the Coastal Aquaculture Authority should ensure that such an EIA has been carried out by the aquaculture units before their proposal is recommended to the Coastal Aquaculture Authority for approval.

16.0 Environment monitoring and management plans

- 16.1 The shrimp culture units with a net water area of 40 ha or more shall incorporate an Environment Monitoring Plan and Environment Management Plan (EMMP) covering the areas mentioned below:
 - Impact on the water courses in the vicinity;
 - Impact on ground water quality;
 - Impact on drinking water sources;
 - Impact on agricultural activity;
 - Impact on soil and soil salinisation;
 - Waste water treatment:
 - Green belt development (as per specifications of the local authorities) and
 - All farms of 10 ha and more but less than 40 ha shall furnish detailed information on the aforesaid aspects.

17.0 Cluster management, record maintenance and networking

- 17.1 There should be an awareness of avoiding social conflicts and the stakeholders together should discuss common problems and adopt appropriate management measures to avoid conflicts and increase sustainability of the farming systems.
- 17.2 Farmers' Associations and Self-Help Groups: Shrimp farmers should form co-operatives, associations or self-help groups in order to exchange technology and to achieve co-operation in water use and waste management. Shrimp culture techniques are also constantly improving, and it is important that shrimp farmers continue to increase their knowledge of sustainable farming techniques.
 - Small farmers should gain benefit by forming such co-operatives or self-help groups/ associations for facilitating supply of inputs, synchronised farming operations, common necessities for monitoring seed and feed quality, shrimp health management and water quality, sale of product and also in organising credit and crop insurance. Formation of an Apex body of Shrimp Farmers associations in the State/ District would be helpful, especially in negotiations with credit agencies and other major organisational activities.
- 17.3 Facilities for regular extension work and different aspects of training should be made available to the farmers. Individual farmers and self-help groups/ Associations should arrange to interact with the extension staff in the State Department of Fisheries, MPEDA, ICAR institutions, Agricultural Universities, and NGOs, as the case may be to assist the small farmers.
 - Appropriate awareness programmes through extension work and training of shrimp farmers and officials should be initiated for enhancing the technical knowledge and environmental awareness among the fisheries personnel, extension workers, aquaculturists and all those involved in related activities for planning and operation of sustainable aquaculture.
- 17.4 For facilitating data collection on the practices and farm accounts shrimp farmers/self-help groups should co-operate with the State Department of Fisheries to collect, organize, and evaluate data to demonstrate the adoption of the guidelines and document the benefits of their use and also for other statistical purposes.
- 17.5 Farmers should be encouraged to join shrimp farmers information network at the local, national and regional levels. The shrimp farmers should also see the various developments in shrimp farming in the country and elsewhere. The aquaculture networks available should be made use by shrimp farmers/Groups for improving their knowledge and skills and also for obtaining latest developments and market trends.

18.0 Integrated coastal zone management

- 18.1 Integrated coastal zone management plans should be prepared for each coastal State by the States concerned with zoning for different activities and with buffer zones. This could at best be only a rolling plan (dynamic) in the initial stages so that improvements can be effected annually or biannually, with improved databases and knowledge on site-specific interactions of aquaculture with other sectors.
- 18.2 Detailed master plans for development of aquaculture through macro and micro-level surveys of the potential areas and zonation of coastal area delineating the land suitable and unsuitable for aquaculture using the remote sensing data, ground truth verification, Geographical Information System (GIS) and socio-economic aspects should be considered. In areas where pond density or water surface area (WSA) of shrimp ponds are in excess of the carrying capacity (CC) of the eco-system, which can also be defined as the assimilation capacity of the receiving waters, a reduction in pond density and thus a reduction in the overall WSA should be effected.

19.0 Protecting the livelihood of various coastal communities

- 19.1 Coastal aquaculture, which is now confined mainly to shrimp farming, is one among the several activities in the coastal area involving the coastal communities. Much of the social conflicts in coastal areas are due to the larger demands on the limited resources, resulting in competition amongst the various stakeholders. There are also instances where through harmonious use of resources coastal communities have set up excellent examples of integrated coastal development.
- 19.2 Badly planned and unregulated operation of shrimp farms, as already indicated can cause considerable level of avoidable conflicts with the community and other sectoral activities in the vicinity of the farms. Conflicts could arise between shrimp farmers and others who either live in the coastal zone or depend on coastal zone resources for their livelihood, as also between shrimp farm owners/ managers and employees, especially in the case of larger farms. Some of the more serious inter-sectoral problems would be addressed in the overall governance and regulation by adopting the following guidelines.
 - Shrimp farm owners/managers should respect the community rights and needs and in
 case of any conflicts arising always attempt to solve the problems in amicable ways for
 ensuring harmony in the community and sustainability of the shrimp farms. They should
 cooperate with the community and other sectoral users of the coastal resources, in
 common efforts for improving environmental conditions and community welfare.
 - Farmers, especially with larger holdings should employ local workers as far as possible.
 - Workers should be provided with good working conditions and should also be trained for their skill upgradation.
 - Access to the sea front and other common resources to the coastal communities by the aquaculture units should be ensured. The interests of the communities and organisations in the area should be safeguarded.
 - Care should be taken to see that the natural drainage canals which are used as water source for aquaculture units are not blocked so as to avoid flooding of low lying areas and villages.
 - Salinisation of land and drinking water should be avoided by providing suitable buffer zones between agricultural land, villages and shrimp farms.
 - Use of common property resources like the creeks, canals, etc should be carried out in a harmonious manner and the traditional rights of the coastal communities should not be affected in any way.
 - To avoid problems of ground water salinisation, drawal of ground water is strictly prohibited for shrimp aquaculture. It must be ensured that piezometers/groundwater monitoring bore wells preferably 4/ha (along the periphery of the pond) are installed to monitor salinity ingress. In case of salinity ingress the Coastal Aquaculture Authority should ensure immediate closure of the farms.

Appendix

Maximum Permissible Residual Levels for Fish and Fishery Products

	Substance	Maximum Permissible Residual Levels (in ppm)
A	Antibiotics and other Pharmacologically Active Substances	
	1. Chloramphenicol	Nil
	2. Nitrofurans including: Furaltadone, Furazolidone, Furylfuramide, Nifuratel, Nifuroxime, Nifurprazine, Nitrofurantoin, Nitrofurazone	Nil
	3. Neomycin	Nil
	4. Nalidixic acid	Nil
	5. Sulphamethoxazole	Nil
	6. Aristolochia spp. and preparations thereof	Nil
	7. Chloroform	Nil
	8. Chlorpromazine	Nil
	9. Colchicine	Nil
	10. Dapsone	Nil
	11. Dimetridazole	Nil
	12. Metronidazole	Nil
	13. Ronidazole	Nil
	14. Ipronidazole	Nil
	15. Other nitroimidazoles	Nil
	16. Clenbuterol	Nil
	17. Diethylstilbestrol (DES)	Nil
	18. Sulfonamide drugs (except approved Sulfadimethoxine, Sulfabromomethazine and Sulfaethoxypyridazine)	Nil
	19. Fluroquinolones	Nil
	20. Glycopeptides	Nil
	21. Tetracycline	0.1
	22. Oxytetracycline	0.1
	23. Trimethoprim	0.05
	24. Oxolinic acid	0.3

В.	B. Substances having anabolic effect and unauthorised substances		
	1. Stilbenes, stilbene derivatives and their salts and esters.	Nil	
	2. Steroids	Nil	
C.	Veterinary drugs		
	1. Antibacterial substances, including quinolones	Nil	
	2. Ante helminitic	Nil	
D.	Other substances and environmental contaminants		
	Organochlorone compounds including PcBs	Nil	
	2. Mycotoxins	Nil	
	3. Dyes	Nil	
	4. Dioxins 4 picogram p	per gram, fresh weight	
E.	Pesticides		
	1. BHC	0.3	
	2. Aldrin	0.3	
	3. Dieldrin	0.3	
	4. Endrin	0.3	
	5. DDT	5.0	
F.	Heavy Metals		
	1. Mercury	1.0	
	2. Cadmium	3.0	
	3. Arsenic	75	
	4. Lead	1.5	
	5. Tin	250	
	6. Nickel	80	
	7. Chromium	12	

Other Notifications (Hindi and English versions)

भारत के राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड ३- उप-खण्ड (ii) PART II - Section 3 - Sub - section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1314]

नई दिल्ली, सुक्रवार, दिसम्बर 16, 2005/ अग्रहायण 25, 1927

No. 1314]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2005/AGRAHAYANA 25, 1927

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1771(अ).— तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा। की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 16 दिसम्बर, 2005 की तारीख को वह तारीख नियत करती है, जिस तारीख को उक्त धाराएं 2 से 26 (दोनों शामिल) लागू होंगी।

[फा.सं. 33036/5/2005-मा.(टी-2)] अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2005

S.O.1771 (E). — In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section1 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby appoints the 16th day of December, 2005, as the date on which the said Sections 2 to 26 (both inclusive) shall come into force.

[F. No. 33036/5/2005-Fy(T-2)] AJAY BHATTACHARYA, Jt. Secy.

भारत के राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड ३- उप-खण्ड (ii)
PART II - Section 3 - Sub - section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1336]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22,2005/ पौष 1, 1927 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2005/PAUSA 1, 1927

No. 1336]

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्सपालन विभाग) **अधिसूचना**

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1803(अ).-तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005(2005 कां 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तटीय जलकृषि प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण गठित करती है और उक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष और सद्स्वों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है, नामत ::-

(क) न्यायमूर्ति ए.के. राजन, — अध्यक्ष (मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश), नं. 5 (एस 79), गली नं. 16, अन्नानगर, चेन्नई– 600040

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अंतर्गत नियुक्त सद्स्य:

(ख) डॉ. पी. रवीचंद्रन, — सदस्य निदेशक , केंद्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान, चेन्नई, तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

(ग) डॉ. के.वी. शर्मा, — सदस्य वैज्ञानिक – घ, समुद्री विकास विभाग, ब्लॉक – 11, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
 तटीय परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) के अंतर्गत नियुक्त सद्स्य:

(घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली — सदस्य के प्रतिनिधि, (पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नामित किया जाना है)

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ङ) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य:

(ङ) श्री अजय भट्टाचार्य, — सदस्य संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), कृषी मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि, कृषी मंत्रालय द्वारा नामित

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य:

 (च) श्री जी. मोहन कुमार, — सदस्य अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची – वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (छ) के अंतर्गत तटीय राज्यों के प्रतिनिधि :

- (छ) (i) श्री विश्वनाथ शेगांवकर, सदस्य तमिलनाडु सरकार के सचिव, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, चेन्नई – 600009
- (ii) श्री पी. के. सेन, सदस्य मात्स्यिकी निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार,
 63, एन.एस. रोड, जेसोप बिल्डिंग, कोलकाता 700001
- (iii) श्री डी. राधा कृष्णा रेड्डी, सदस्य अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य झींगा किसान, कल्याण परिसंघ, 16-111-488, रामामूर्ति नगर, नैल्लोर -524003 (आंध्र प्रदेश)
- (iv) श्री अजीत सिन्हा पाटिल, सदस्य (पंचम एक्वाकल्चर फार्म, जेलासर. तालुका, पलघर, जिला थाणे), 103 बी, मित्तल टावर्स, नरीमन प्वाइंट, मंबई – 400021

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ज) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य:

(ज) डॉ. वाई. एस. यादव , — सदस्य – सचिव निदेशक, बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम – अंतर्शासकीय, संगठन (बीओबीपी – आईजीओ), 91- सेंट मेरी रोड,

अभिरामपुरम, चेन्नई - 600018

फा.सं.एल. 33036/3/2005 - मा. (टी-2) अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, 22nd December, 2005

S.O.1803 (E). -- In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby establishes an authority to be called the Coastal Aquaculture Authority for the purpose of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and appoints the following persons to be the Chairperson and Members of the said Authority, namely:-

(a) Justice Shri A.K. Rajan — Chairperson (Retired Judge of the Madras High Court),
No.5 (S-79), 16th Street,
Anna Nagar,
Chennai-600040.

Member appointed under clause (b) of Sub-section (3) of Section 4:

(b) Dr. P. Ravichandran, — Member
Director
Central Institute of Brackshwater
Aquaculture, Chennai
Expert in the field of
coastal aquaculture.

Member appointed under clause (c) of Sub-section (3) of Section 4:

(c) Dr. K.V. Sharma, — Member Scientist - D, Department of Ocean Development, Block-11, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

Member referred to in clause (d) of Sub-Section(3) of Section 4:

Expert in the field of coastal ecology.

(d) Representative of the Ministry — Member of Environment and Forests,New Delhi,(to be nominated by the Ministry of Environment and Forests).

Member referred to in clause (e) of Sub-section (3) of Section 4:

(e) Shri Ajay Bhattachartya, — Member
Joint Secretary (Fisheries) —
Representative of the Ministry
of Agriculture, New Delhi,
Nominated by the Ministry

Member referred to in clause (f) of Sub-section (3) of Section 4:

of Agriculture.

(f) Shri G. Mohan Kumar, — Member Chairman,
Marine Products Export
Development Authority,
Kochi-- Representative of the
Ministry of Commerce.
Nominated by the
Ministry of Commerce.

Representatives of Coastal States appointed under clause (g) of Sub-section (3) of Section 4:

(g) (i) Shri Vishwanath
 Shegaonkar, — Member
 Secretary to Government of
 Tamil Nadu, Animal Husbandry and
 Fisheries Department,
 Chennai-600009.

- (ii) Shri P.K. Sen, Member
 Director of Fisheries,
 Government of West Bengal,
 63, N.S. Road, Jessop Building,
 Kolkata-700001.
- (iii) Shri D. Radha Krishna Reddy Member President,
 Andhra Pradesh State
 Prawn Farmers' Welfare Association,
 16-111-488, Ramamurthy Nagar,
 Nellore-524003 (Andhra Pradesh)
- (iv) Shri Ajit Sinha Patil, Member(Pancham Aquaculture Farms,Jelasar, Taluka Palghar,District-Thane) 103 B, Mittal Towers,Nairman Point, Mumbai-400021.

Member referred to in clause (h) of Sub-section (3) of Section 4:

(h) Dr. Y. S. Yadava, — Member-Director, Secretary
 Bay of Bengal Programme - Inter Governmental Organisation, (BOBP-IGO), 91-St. Mary's Road, Abiramapuram, Chennai-600018.

[F. No. L.33036/3/2005-FY(T-2)] AJAY BHATTACHARYA, Jt. Secy.

भारत के राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड ३- उप-खण्ड (ii) PART II - Section 3 - Sub - section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70] No. 70]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23,2006/ माघ 3, 1927 NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 2006/MAGHA 3, 1927

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्सपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2006

का.आ. 74(अ).-तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड़ (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित क्षेत्र को तटीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करती है. नामता::-

"समुद्र, निदयों, क्रीकों तथा बैकवाटर की हाई टाइड लाइन (एच टी एल) से दो किलोमीटर की दूरी के भीतर की भूमि का क्षेत्र।"

टिप्पणि:- 1. नदियों, क्रीकों तथा बैकवाटर के साथ-साथ परिसीमा को दर्शाना उस सीमा तक शासित होगा जहां तक ज्वारीय प्रभाव देखा जाता है तथा जहां लवणता सांद्रण प्रति हजार 5 भाग (पी पी टी) से कम नहीं है। इस उद्देश्य के लिए लवणता को वर्ष के सबसे सूखी अवधि के दौरान मापा जाएगा।

टिप्पणि:- 2. चिलका झील तथा पुलिकट झील जैसे परिस्थिति भंगुर क्षेत्रों के मामले में, तटवर्ती क्षेत्र झीलों की सीमा से दो किलोमीटर तक की दूरी तक बढ़ाया जाएगा।

> [फा.सं. 33036/5/2005-मा.(टी.-2)] अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2006

S.O. 74 (E). -- In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (1) of Section 2 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005) the Central Government hereby specifies the following area to be coastal area for the purposes of the said Act, namely:-

"Area of land with in a distance of two kilometers from the High Tide Line (HTL) of seas, rivers, creeks and backwaters."

Note:- 1. The delineating boundaries along rivers, creeks and backwaters shall be governed by the distance upto which the tidal effects are experienced and where salinity concentration is not less than 5 parts per thousand (ppt). For this purpose the salinity measurements shall be made during the driest period of the year.

Note:- 2. In the case of ecologically fragile areas such as Chilka Lake and Pulicat Lake, the coastal area shall extend upto a distance of two kms. from the boundary of the lakes.

[F. No. 33036/5/2005-Fy(T-2)] AJAY BHATTACHARYA, Jt. Secy.

भारत के राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड ३- उप-खण्ड (ii)
PART II - Section 3 - Sub - section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 946] No. 946] नई दिल्ली,शुक्रवार, आगस्त 25, 2006/ भाद्र 3, 1928 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2006/BHADRA 3, 1928

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्सपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2006

का.आ. 1359(अ).-तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खण्ड - 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 की सं. का.आ. 1803 (अ) के तहत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (ख) और (छ) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को शामिल की जाए, नामत:-

- "(ख) डॉ. ए. जी. पोनियाह, सदस्य " निदेशक, केंद्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान, चेन्नई (तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ)
- "(छ) (i)सुश्री लीना नायर, सदस्य " सचिव, तमिलनाडु सरकार, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, चेन्नई – 600009.

[फा.सं. 33036/3/2005-मा.(टी.-2)] अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2006

S.O. 1359 (E). In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture vide number S.O. 1803 (E), dated the 22nd December, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 22nd December, 2005, namely:-

In the said notification, for serial numbers (b) and (g) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

- "(b) Dr. A.G. Ponniah, Member"
 Director,
 Central Institute of Brackishwater
 Aquaculture, Chennai (Expert in the field of coastal aquaculture)
- "(g) (i) Ms. Leena Nair, Member"
 Secretary to Government of Tamil Nadu,
 Animal Husbandry, Dairying and
 Fisheries Department,
 Chennai-600 009.

[F.No. 33036 /3/2005-Fy (T-2)] AJAY BHATTACHARYA, Jt Secy.



Coastal Aquaculture Authority (Government of India) Shastri Bhawan Annexe 26, Haddows Road Chennai - 600 006, India

Tel: 91-44-2821 3785; Fax: 91-44-2821 6552